बहारे शरीअ़त

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीअ़ह मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त
[illegible]
[illegible], पुराना शहर बरेली



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

उन्नीसवां हिस़्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुह़म्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–9219132423

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة و السلام على سيد نا و مو لانا محمد سيد المرسلين و على اله و اصحابه اجمعين

वसियत का बयान

वसियत करना कुर्आन मजीद और अहादीसे नबविया अला साहिबिहस्सलातु वसल्लामु से साबित है रब तबारक व तआला कुर्आन करीम में इरशाद फरमाता है।

﴿يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

तर्जमा इस का यह है— "अल्लाह तुम्हे हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे मे बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है फिर अगर सिर्फ लड़कियाँ हो अगर्चे दो से ऊपर तो उनको तर्का की दो तिहाई और अगर एक लड़की हो तो उसके लिये आधा और मय्यित के माँ बाप को हर एक को उसके तर्के से छठा हिस्सा अगर मय्यित के औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद न हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का तिहाई हिस्सा। फिर अगर उसके कई बहन, भाई हों तो माँ का छठा हिस्सा बाद इस वसियत के जो कर गया और बाद दैन के. तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आयेगा यह हिस्सा बाँधा हुआ है अल्लाह की तरफ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"।

कुर्आन मजीद के चौथे पारे में सूराए निसाअ् के इस दूसरे रुकुअ् में अल्लाह तआला ने वसियत का ज़िक्र चार मरतबा फरमाया जिस में तकसीमे विरासत को अदायगी वसियत और अदायगी कर्ज़ के बाद रखा उसी रुकुअ् की आख़िरी आयात से कुछ पहले फरमाया

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"मय्यित की वसियत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुकसान न पहुँचाया हो यह अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"।

और फ़रमाता है

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾

यानी "ऐ ! ईमान वालों तुम्हारी आपस की गवाही जब तुम में किसी को मौत आये वसियत करते वक्त तुम में दो मोअ्तबर शख्स है या गैरो में के दो जब तुम मुल्क में सफर को जाओ फिर तुम्हे मौत का हादसा पहुँचे"।

अहादीसे् वसियत

हदीस् (1) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 'किसी मुसलमान के लिये यह मुनासिब नहीं कि उसके पास वसियत के काबिल कोई शय हो और वह बिला ताख़ीर इस में अपनी वसियत तहरीर न कर दे'। (मिश्कात बाबुल'वसाया स.265)

हदीस् (2) सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम सअ्द इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी वह फ़रमाते हैं कि मैं फ़तहे मक्का के साल इस क़द्र बीमार हुआ कि मौत के क़रीब होगया तो मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एयादत फ़रमाने के लिये तशरीफ लाये मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे पास कसीर माल है और मेरी बेटी के सिवा कोई वारिस् नहीं (असहाबे फराइज में से) तो क्या मैं अपने कुल माल की वसियत करदूँ आप ने जवाब इरशाद फ़रमाया नहीं मैंने अर्ज़ किया तो क्या दो सुलुस् की वसियत कर दूँ आप ने फ़रमाया नहीं मैंने अर्ज़ किया तो क्या आधे माल की, आप ने फ़रमाया नहीं मैंने अर्ज़ किया कि क्या तिहाई माल की वसियत कर दूँ, आप ने फ़रमाया तिहाई माल और तिहाई माल बहुत है तेरा अपने

वुरसा को ग़नी छोड़ना इस से बेहतर है कि उन्हें मोहताज छोड़े कि वह लोगों के सामने हाथ फैलायें और बिला शुब्ह तू अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ाजोई के लिये कुछ ख़र्च नहीं करेगा मगर यह कि तुझे इस का अज्र दिया जायेगा यहाँ तक कि वह लुकमा जो तू अपनी बीवी के मुँह में उठाकर रखे। (मुत्तफ़क अ़लैह मिश्कात बाबुल'वसाया स.265)

हदीस् (3) इमाम तिर्मिज़ी ने ह़ज़रत सअ़्द बिन अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया उन्होंने कहा कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरी बीमारी में एयादत के लिये तशरीफ़ लाये आपने फ़रमाया कि ''क्या तुमने वसि़यत करदी'' मैंने अ़र्ज़ किया जी हाँ, आपने फ़रमाया ''कितने माल की वसि़यत की'' मैंने अ़र्ज़ किया राहे खुदा में अपने कुल माल की, आपने फ़रमाया ''अपनी औलाद के लिये क्या छोड़ा'' मैंने अ़र्ज़ किया वह लोग अग़निया यानी साहिबे माल हैं आपने फ़रमाया ''दसवें हिस्से की वसि़यत करो'' तो मैं बराबर कम करता रहा यहाँ तक कि आपने फ़रमाया सुलुस् माल की वसि़यत करो और सुलुस् माल बहुत है। (मिश्कात स.265)

हदीस् (4) अबूदाऊद और इब्ने माजा ह़ज़रत अबूउमामा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को ह़ज्जतुलविदा के साल अपने खुतबे में इरशाद फ़रमाते सुना कि बेशक अल्लाह तआ़ला ने हर ह़क़ वाले को उसका ह़क़ अ़ता फ़रमादिया पस वारिस् के लिये कोई वसि़यत नहीं।(मिश्कात स.265) तिर्मिज़ी की रिवायत में यह अलफ़ाज़ मज़ीद हैं कि बच्चा औरत का है और ज़ानी के लिये संगसारी और उनका हिसाब अल्लाह पर है दारे कुतनी की रिवायत में है आपने फ़रमाया वारिस् के लिये कोई वसि़यत नहीं मगर यह कि वुरसा चाहें। (मिश्कात स.265)

हदीस् (5) इमाम तिर्मिज़ी अबूदाऊद इब्ने माजा और इमाम अहमद ने ह़ज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि ''मर्द व औरत अल्लाह जल्ल जलालुहु की इताअत व फ़रमांबरदारी साठ साल (लम्बे ज़माने) तक करते रहें फिर उनका वक़्ते मौत क़रीब आजाये और वसि़यत में ज़रर पहुँचायें तो उनके लिये दोज़ख़ की आग वाजिब होती है,'' फिर ह़ज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने आयत مِنْ م بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ से وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ तक तिलावत फ़रमाई। (मिश्कात स.265)

हदीस् (6) इब्ने माजा ह़ज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया जिसकी मौत वसि़यत पर हो (यानी जो वसि़यत करने के बाद इन्तिक़ाल करे) वह अ़ज़ीम सुन्नत पर मरा और उसकी मौत तक़वा और शहादत पर हुई और इस ह़ालत में मरा कि उसकी मग़फ़िरत होगई। (मिश्कात बाबुल'वसाया स.266)

हदीस् (7) अबूदाऊद ह़ज़रत अ़म्र बिन शुऐ़ब से रिवायत करते हैं वह अपने बाप शुऐ़ब से और शुऐ़ब अपने बाप अ़म्र बिनिल'आ़स रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत बयान करते हैं कि आ़स इब्ने वाइल ने वसि़यत की कि उसकी ज़ानिब से सौ गुलाम आज़ाद किये जायें तो उसके बेटे हिश्शाम ने पचास गुलाम आज़ाद किये फिर उसके बेटे अ़म्र ने चाहा कि उसकी जानिब से बक़ाया पचास गुलाम आज़ाद करदे पस उसने (अपने भाई या साथियों या अपने दिल में) कहा कि रसूलुल्लाहु स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त करलूँ पस वह आये नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम मेरे बाप ने वसि़यत की थी कि उसकी जानिब से सौ गुलाम आज़ाद किये जायें और यह कि हिश्शाम ने उसकी जानिब गुलाम आज़ाद कर दिये हैं और उस पर पचास गुलाम बाक़ी रह गये हैं तो क्या मैं उसकी त़रफ़ से (अपने बाप की त़रफ़ से) यह पचास आज़ाद कर दूँ तो रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अगर वह मुसलमान होता फिर तुम उसकी त़रफ़ से गुलाम आज़ाद करते या सदक़ा करते या ह़ज अदा करते तो उसको यह पहुँचता। (मिश्कात स.266)

हदीस् (8) इब्ने माजा व बैहक़ी ह़ज़रत अनस रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि

फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो शख़्स अपने वारिस् की मीरास् काटेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास् को काटदेगा। (मिश्कात स.266)

मसाइले फ़िक़्हिया

वसियत करना जाइज़ है कुर्आन करीम से ह़दीस् शरीफ़ से और इजमाए उम्मत से उसकी मश्रूईयत साबित है ह़दीस् शरीफ़ में वसियत करने की तर्ग़ीब दीगई है।(जौहरा नय्यरा जि.2 व बदाइअ् जि.7 स.33) शरीअत में ईसा यानी वसियत करने का मतलब यह कि बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मनफ़अत का मालिक बनाना। (तबईन अज आलमगीरी जि.6 स.90) वसियत का रुक्न यह है कि यूँ कहे "मैंने फुलाँ के लिये इतने माल की वसियत की या फुलाँ को मैंने यह वसियत की" (मुहीतुल'सर्ख़सी अज़ आलमगीरी जि.6 स.90) वसियत में चार चीज़ों का होना ज़रूरी है (1)**मूसी** यानी वसियत करने वाला (2)**मूसा लहू** यानी जिस के लिये वसियत की जाये। (3)**मूसा'बिही** यानी जिस चीज़ की वसियत की जाये।(4)**वसी** यानी जिस को वसियत की जाये।(किफाया अज आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.1:– वसियत करना मुस्तहब है जब कि उस पर हुकूकुल्लाह की अदायगी बाकी न हो अगर उस पर हकूकुल्लाह की अदायगी बाकी है जैसे उस पर कुछ नमाज़ों का अदा करना बाकी है या उस पर हज फ़र्ज़ था अदा न किया या रोज़ा रखना था न रखा तो ऐसी सूरत में उनके लिये वसियत करना वाजिब है। (तबईन अज आलमगीरी जि.6 स.90 व कुदूरी दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.2:– वसियत चार किस्म की है। (1)**वाजिबा,**जैसे ज़कात की वसियत और कफ़्फ़ाराते वाजिबा की वसियत और सदका–ए–सियाम (रोज़ा) व सलात (नमाज़) की वसियत। (2)**मुबाहा** जैसे वसियत अग़निया (मालदारों) के लिये। (3)**वसियते मकरूहा** जैसे अहले फ़िस्क व मअ्सियत के लिये वसियत जब यह गुमान ग़ालिब हो कि वह माले वसियत गुनाह में सर्फ़ करेगा। (दुर्रे मुख़्तार व रद्दुल मुहतार स.453) (4)**इसके एलावा के लिये** वसियत मुस्तहब है।

मसअ्ला.3:– वसियत का रुक्न ईजाब व क़बूल है ईजाब वसी की तरफ़ से और क़बूल मूसा'लहू की तरफ़ से इमामे आज़म और साहिबैन के नज़्दीक। (बदाइअ् जि.7 स.331)

मसअ्ला.4:– मूसा'लहू सराहतन या दलालतन मूसी की वसियत को क़बूल करले सराहतन यह है कि साफ़ अल्फ़ाज़ में कहदे कि मैंने क़बूल किया और दलालतन यह है कि मस्लन मूसा लहू वसियत को मन्ज़ूर करने से क़ब्ल इन्तिक़ाल कर जाये तो उसकी मौत उसकी क़बूलियत समझी जायेगी और वह चीज़ उसके वुरसा को विरासत में देदी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.5:– वसियत क़बूल करने का एअ्तिबार मूसी की मौत के बाद है अगर मूसा'लहू ने मूसी की ज़िन्दगी ही में उसे क़बूल किया या रद किया तो यह बातिल है मूसा'लहू को इख़्तियार रहेगा कि वह मूसी के इन्तिक़ाल के बाद वसियत को क़बूल करे। (सिराजिया अज आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.6:– वसियत को क़बूल करना कभी अमलन भी होता है जैसे वसी का वसियत को नाफ़िज़ करना या मूसी के वुरसा के लिये कोई चीज़ ख़रीदना या मूसी के क़र्ज़ों को अदा करना वग़ैरा(आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअ्ला.7:– वसियत की शर्त यह है कि मूसी मालिक बनाने का अहल हो और मूसा'लहू मालिक बनने का अहल हो और मूसा बिही मूसी की मौत के बाद क़ाबिले तम्लीके माल या मन्फ़अत हो।

मसअ्ला.8:– ईसा का हुक्म यह है कि माले वसियत मूसा'लहू की मिल्कियत में इसी तरह दाख़िल हो जाता है जैसे हिबा किया हुआ माल। (किफाया अज़ आलमगीरी जि.6 स.90 दुर्रेमुख़्तार व बदाइअ् जि.7 स.233)

मसअ्ला.9:– मुस्तहब यह है कि इन्सान अपने तिहाई माल से कम में वसियत करे ख़्वाह वुरसा मालदार हों या फ़ुक़रा। (हिदाया व आलमगीरी जि.6 स.90, कुदूरी जौहरा नय्यिरा)

मसअ्ला.10:– जिसके पास माल थोड़ा हो उसके लिये अफ़ज़ल यह है कि वह वसियत न करे जब कि उसके वारिस् मौजूद हों और जिस शख़्स के पास कसीर माल हो उसके लिये अफ़ज़ल यह है कि वह अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) से ज़्यादा की वसियत न करे। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअला.11:– मूसा'लहू (जिसके लिये वसियत की गई) वसियत कबूल करते ही मूसा बिही (जिस चीज की वसियत की गई) का मालिक बन जाता है ख़्वाह उसने मूसा'बिही को कब्ज़े में लिया हो या न लिया हो और अगर मूसा'लहू ने वसियत को कबूल न किया रद्द कर दिया तो वसियत बातिल हो जायेगी(काफी)

मसअला.12:– वसियत सुलुस् माल से ज़्यादा की जाइज़ नहीं मगर यह कि वारिस् अगर बालिग हैं और ना'बालिग़ या मजनून नहीं और वह मूसी (वसियत करने वाला) की मौत के बाद सुलुस् माल से ज़ाइद की वसियत जाइज़ करदें तो सहीह है मूसी की ज़िन्दगी में अगर वारिसों ने इजाज़त दी तो इसका एअ्तिबार नहीं मूसी की मौत के बाद इजाज़त मोअ्तबर है। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअला.13:– वारिसों की इजाज़त के बिग़ैर अजनबी शख़्स के लिये तिहाई माल में वसियत सहीह है। (तबईन अज आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअला.14:– मूसी ने अगर अपने कुल माल की वसियत करदी और उसका कोई वारिस् नहीं है तो वसियत नाफ़िज़ हो जायेगी बैतुल'माल से इजाज़त लेने की हाजत नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअला.15:– अहनाफ के नज़्दीक वारिस् के लिये वसियत जाइज नहीं मगर इस सूरत में जाइज है कि वारिस् उसकी इजाज़त देदें और अगर किसी ने विरासत और अजनबी दोनों के लिये वसियत की तो अजनबी के हक़ में सहीह है और वारिस् के हक़ में वुरसा की इजाज़त पर मौक़ूफ़ रहेगी अगर उन्होंने जाइज़ करदी तो जाइज़ है और इजाज़त नहीं दी तो बातिल और यह इजाज़त मूसी की हयात में मोअ्तबर नहीं यहाँ तक कि अगर वारिसों ने मूसी की हयात में इजाज़त दी थी फिर भी उन्हें मूसी की मौत के बाद रुजूअ् कर लेने का हक़ है। (आलमगीरी जि.6 स.90)

मसअला.16.:– वारिस् और ग़ैर वारिस् होने का एअ्तिबार मूसी की मौत के वक़्त है कि ब'वक़्ते वसियत यानी अगर मूसा'लहू ब'वक़्ते वसियत मूसी का वारिस् था और मूसी की मौत के वक़्त वारिस् न रहा तो वसियत सहीह होगी और ब'वक़्ते वसियत वारिस् नहीं था फिर ब'वक़्ते मौत वारिस् होगया तो वसियत बातिल होजायेगी। मिसाल के तौर पर अगर मूसी ने अपने भाई के लिये वसियत की इस हाल में कि भाई वारिस् था फिर मौत से पहले मूसी के लड़का पैदा होगया तो भाई के हक़ में वसियत सहीह होगई और अगर उसने अपने भाई के लिये इस हाल में वसियत की कि मूसी का लड़का मौजूद है फिर मौत से पहले उसके लड़के का इन्तिक़ाल होगया तो भाई के हक़ में वसियत बातिल हो जायेगी। (तबईन अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअला.17:– वारिसों की इजाज़त से जब वसियत जाइज़ होगई तो जिसके हक़ में वसियत जाइज की गई वह मूसा'बिही का मालिक होजायेगा ख़्वाह उसने क़ब्ज़ा न लिया हो वारिस् को अब रुजूअ् करने का हक़ नहीं रहा वारिस् की इजाज़त सहीह होने के लिये शुयूअ् मानेअ् नहीं (यानी मूसा'बिही का मुश्तरक होना) (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअला.18:– किसी ने वारिस् के लिये वसियत की दूसरे वारिस् ने उसकी इजाज़त देदी अगर यह इजाज़त देने वाला वारिस् बालिग़ मरीज़ है तो अगर यह अपने मर्ज़ से सेहत'याब होगया तो उसकी इजाज़त सहीह होगई और अगर उस बीमारी में फ़ौत होगया तो उसकी यह इजाज़त ब'मन्ज़िला इब्तिदाए वसियत के क़रार पायेगी यहाँ तक कि अगर मूसा'लहू उस मुतवफ़्फ़ा (फ़ौतशुदा) इजाज़त देने वाले का वारिस् है तो यह वसियत जाइज़ न होगी मगर यह कि मुतवफ़्फ़ा के दूसरे वुरसा इसकी इजाज़त देदें और अगर इस सूरत में मूसा'लहू वारिस् नहीं बल्कि अजनबी था तो यह वसियत सहीह होगी मगर सुलुस् माल में जारी होगी। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.91 मतबूआ पाकिस्तान)

मसअला.19:– जिस वसियत का जवाज़ व निफ़ाज़ (जाइज व नाफिज होना) वुरसा की इजाज़त पर है उनमें अगर बाज़ वुरसा ने इजाज़त देदी और बाज़ ने इजाज़त न दी यानी बाज़ ने रद करदी तो इजाज़त देने वाले वुरसा के हिस्से में नाफ़िज़ होगी और दूसरे के हक़ में बातिल।(आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअला.20:– हर वह मक़ाम जहाँ वुरसा की इजाज़त की हाजत है उस इजाज़त में शर्त यह है

कि मुजीज़ (इजाजत देने वाला) अहले इजाज़त से हो मस्लन बालिग और आकिल और सहीह यानी गैर मरीज़ हो। (खिजानतुल मुफतीन अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.21:– मूसी की वसियत अपने कातिल के लिये जाइज नहीं ख़्वाह मूसी का क़त्ल उसने अमदन किया हो या ख़ताअ्न ख़्वाह मूसी ने अपने कातिल के लिये वसियत ज़ख़्मी होने से क़ब्ल की हो या बाद में लेकिन अगर वारिसों ने इस वसियत को जाइज़ कर दिया तो इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद रहिमहुमल्लाह के नज़्दीक जाइज़ है। (मब्सूत अज आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.22:– इन सूरतों में कातिल के लिये वसियत जाइज़ है जबकि कातिल ना बालिग बच्चा, या पागल हो अगर्चे वुरसा उसको जाइज न करें या यह कि कातिल के इलावा मूसी का कोई दूसरा वारिस् न हो यह इमाम अबू हनीफा और इमाम मुहम्मद रहिमाहुमल्लाहु तआला के नज़्दीक है। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.23:– किसी औरत ने मर्द को किसी धारदार लोहे की चीज़ से या बिगैर धारदार चीज़ से मारा फिर उसी मर्द ने उस कातिला के लिये वसियत की फिर उससे निकाह करलिया तो औरत को उस मर्द की मीरास् न मिलेगी न वसियत, उसको सिर्फ उसका महरे मिस्ल मिलेगा, महरे मिस्ल महरे मुअय्यन से जिस क़द्र ज़्यादा होगा वह वसियत शुमार होकर बातिल क़रार पायेगा। (आलमगीरी जि.6स.91)

मसअ्ला.24:– अमदन क़त्ल में मुआफ़ कर देना जाइज़ है और अगर ख़ताअ्न क़त्ल हुआ और मुआफ़ कर दिया तो यह वसियत शुमार होगा लिहाज़ा सुलुस् माल में नाफ़िज़ होगा। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.25:– मूसी ने किसी शख़्स के लिये वसियत की फिर मूसा लहू के ख़िलाफ़ दलील क़ाइम होगई कि मूसी का कातिल है और बाज़ वुरसा ने उसकी तस्दीक़ की और बाज़ ने तकज़ीब (झुटलाना) तो मूसा लहू मक़तूल की दियत अदा करने में तकज़ीब करने वाले वारिसों के बक़द्र हिस्सा बरी होगा और मूसी की वसियत उनके हिस्से में बक़द्र सुलुस् नाफ़िज़ होगी और तस्दीक़ करने वाले वुरसा को मूसा लहू बक़द्र उनके हिस्से के दियत अदा करेगा और उनके हिस्से में उसके लिये वसियत बातिल होगी। (आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.26:– वसियत जाइज़ है अपने वारिस् के बेटे के लिये और जाइज़ है वसियत क़ातिल के बाप, दादा के लिये और क़ातिल के बेटे, पोते के लिये। (फतावा काजीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.27:– अगर वसियत की कि फुलाँ के घोड़े पर हर माह दस रुपये ख़र्च किये जायें तो वसियत साहिबे फ़रस (यानी घोडे के मालिक) के लिये है लिहाज़ा अगर मालिक ने घोड़ा बेच दिया तो वसियत बातिल होजायेगी। (ज़हीरिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.28:– मुस्लिम की वसियत ज़िम्मी के लिये और ज़िम्मी की वसियत मुसलमान के लिये जाइज़ है। (काफी अज़ आलमगीरी जि.6 स.91)

मसअ्ला.29:– ज़िम्मी की वसियत काफिर हर्बी ग़ैर मुस्तामिन के लिये (जो दारुल इस्लाम में अमान लिये न हो) सहीह नहीं। (बदाइअ् अज़ आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.30:– काफिर हर्बी दारुल हर्ब में है और मुसलमान दारुल इस्लाम में है उस मुसलमान ने इस काफिर हर्बी के लिये वसियत की तो यह वसियत जाइज़ नहीं अगर्चे वुरसा इसकी इजाज़त दें और अगर हर्बी मूसा लहू दारुल इस्लाम में अमान लेकर दाख़िल हुआ और अपनी वसियत हासिल करने का क़स्द व इरादा किया तो उसे माली वसियत से कुछ लेने का इख़्तियार नहीं ख़्वाह वुरसा इसकी इजाज़त दें और अगर मूसी भी दारुल हर्ब में हो तो इस में मशाइख़ का इख़्तिलाफ़ है। (आलमगीरी)

मसअ्ला.31:– काफ़िरे हर्बी दारुल इस्लाम में अमान लेकर आया मुसलमान ने उस के लिये वसियत की तो यह वसियत सुलुस् माल में जाइज़ होगी ख़्वाह वुरसा इस की इजाज़त दें या न दें लेकिन सुलुस् माल से ज़ाइद में वुरसा की इजाज़त की ज़रूरत है काफ़िरे हर्बी मुस्तामिन के लिये भी यही हुक्म हिबा करने और सदक़ा–ए–नाफ़िला देने का है। (तातार ख़ानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.32:– मुसलमान की वसियत मुर्तद के लिये जाइज़ नहीं। (फतावा काज़ी ख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.33:– किसी शख़्स ने वसियत की लेकिन उसपर इतना कर्ज़ है कि उसके पूरे माल को मुहीत है तो यह वसियत जाइज़ नहीं मगर यह कि क़र्ज़ख़्वाह अपना क़र्ज़ मुआफ करदें(आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.34:– वसियत करना उसका सहीह है जो अपना माल बतौर एहसान व हुस्ने सलूक किसी को दे सकता हो लिहाज़ा पागल, दीवाने और मकातिब व माज़ून का वसियत करना सहीह नहीं और यूंही अगर मजनून ने वसियत की फिर सेहत पाकर मरगया यह वसियत भी सहीह नहीं क्योंकि ब'वक़्ते वसियत वह अहल नहीं था। (आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.35:– बच्चे की वसियत ख़्वाह वह क़रीबुल'बूलूग़ हो जाइज नहीं(फतावा काज़ीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.36:– वसियत मज़ाक़ में, जब्र व इकराह की हालत में और ख़ताअ्न मुँह से निकल जाने से सहीह नहीं। (बदाइअ् अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.37:– आज़ाद आक़िल ख़्वाह मर्द हो या औरत उसकी वसियत जाइज़ है और मुसाफ़िर जो अपने माल से दूर है उसकी वसियत जाइज़ है। (फतावा काज़ीखाँ अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.38:– पेट के बच्चे की और पेट के बच्चा के लिये वसियत जाइज़ है बशर्ते कि वह बच्चा वक़्ते वसियत से छः माह से पहले पहले पैदा होजाये। (आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.39:– अगर किसी शख़्स ने यह वसियत की कि''मेरी यह लौन्डी फुलाँ के लिये है मगर उसके पेट का बच्चा नहीं'' तो यह वसियत और इस्तिस्ना दोनों जाइज़ हैं(काफी अज आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.40:– मूसी ने अपनी बीवी के पेट में बच्चे के लिये वसियत की फिर वह बच्चा मूसी के इन्तिक़ाल और उसकी वसियत के एक माह बाद मरा हुआ पैदा हुआ तो उसके लिये वसियत सहीह नहीं और अगर ज़िन्दा पैदा हुआ फिर मरगया तो वसियत जाइज है मूसी के तिहाई माल में नाफ़िज होगी और उस बच्चे के वारिसों में तक़सीम होगी, और अगर मूसी की बीवी के दो जुड़वाँ बच्चे हुए यानी एक ही हमल में और उनमें से एक जिन्दा और एक मुर्दा है तो वसियत जिन्दा के हक़ में नाफ़िज़ होगी और अगर दोनों ज़िन्दा पैदा हुए फिर एक इन्तिकाल कर गया तो वसियत उन दोनों के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ नाफ़िज़ होगी और जिस बच्चे का इन्तिक़ाल होगया उसका हिस्सा उसके वारिसों की मीरास् होगा। (आलमगीरी जि.6 स.92)

मसअ्ला.41:– मूसी ने यह वसियत की कि अगर फुलाँ औरत के पेट में लड़की है तो उसके लिये एक हज़ार रुपये की वसियत है और अगर लड़का है तो उसके लिए दो हज़ार रुपये की वसियत है फिर उस औरत ने छः माह से एक दिन पहले लड़की को जन्म दिया और उसके दो दिन या तीन दिन बाद लड़का जना तो दोनों के लिये वसियत नाफ़िज़ होगी और मूसी के तिहाई माल से दी जायेगी।(आलमगीरी जि.6 स.92)

वसियत से रुजूअ् करने का बयान

मसअ्ला.1:– वसियत करने वाले के लिये यह जाइज़ है कि वह अपनी वसियत से रुजूअ् करले। यह रुजूअ् कभी सरीहन होता है और कभी दलालतन। सरीहन की सूरत यह है कि साफ़ लफ़्ज़ों में कहे कि मैंने वसियत से रुजूअ् करलिया या इसी क़िस्म के और कोई सरीह लफ़्ज़ बोले और दलालतन रुजूअ् करने की सूरत यह है कि कोई ऐसा अमल करे जो रुजूअ् कर लेने पर दलालत करे, इस के लिये अस्ले कुल्ली(क़ायदा कुल्ली)यह है कि हर ऐसा फ़ेअ्ल जिसे मिल्के ग़ैर में अमल में लाने से मालिक का हक़ मुन्क़तअ्(ख़त्म)होजाये, अगर मूसी ऐसा काम करे तो यह उसका अपनी वसियत से रुजूअ् करना होगा इसी तरह हर वह फ़ेअ्ल जिस से मूसा'बिही में ज़्यादती और इज़ाफ़ा होजाये और उस ज़्यादती के बिग़ैर मूसा'बिही को मूसा'लहू के हवाले न किया जा सके तो यह फ़ेअ्ल भी रुजूअ् करना है इसी तरह हर वह तसर्रुफ़ जो मूसा बिही को मूसी की मिल्कियत से ख़ारिज करदे यह भी रुजूअ् करना है।(आलमगीरी स.92)इन उसूल से मुन्दर्जा ज़ैल मसाइल निकलते हैं।

मसअ्ला.2:– मूसी ने किसी कपड़े की वसियत की फिर उस कपड़े को काटा और सीलिया या रुई की वसियत की फिर उसे सूत बनालिया या सूत की वसियत की फिर उसे बुनलिया या लोहे की

वसियत की फिर उसे बर्तन बनालिया तो यह सब सूरतें वसियत से रुजूअ् कर लेने की हैं(आलमगीरी)
मसअ्ला.3:– चान्दी के टुकड़े की वसियत की फिर उसकी अंगूठी बनाली या सोने के टुकड़े की वसियत की फिर उसको कोई ज़ेवर बनालिया यह रुजूअ् सहीह नहीं है।(मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.4:– अगर मूसी ने मूसा बिही को फ़रोख़्त करदिया फिर उसको ख़रीद लिया या उसने मूसा बिही को हिबा कर दिया फिर उससे रुजूअ् कर लिया तो वसियत बातिल होजायेगी(आलमगीरी)
मसअ्ला.5:– जिस बकरी की वसियत करदी थी उसे ज़बह करलिया यह भी वसियत से रुजूअ् कर लेना है लेकिन जिस कपड़े की वसियत की थी उसे धोया तो यह रुजूअ् नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.6:– पहले वसियत करदी फिर उस से मुन्किर होगया तो इस का यह इन्कार अगर मूसा लहू की अदम मौजूदगी में हो तो यह रुजूअ् नहीं लेकिन अगर मूसा लहू की मौजूदगी में इन्कार किया तो यह वसियत से रुजूअ् है। (मब्सूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.7:– मूसी ने कहा कि मैंने फुलाँ के लिये जो भी वसियत की वह हराम है या रिबा (सूद) है तो यह रुजूअ् नहीं लेकिन अगर यह कहा कि वह बातिल है तो यह रुजूअ् है।(काफी अज़ आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.8:– लोहे की वसियत की फिर उसकी तलवार या ज़रह बनाली तो यह रुजूअ् है(आलमगीरी जि.6)
मसअ्ला.9:– गेहूँ की वसियत की फिर उस का आटा पिसवालिया या आटे की वसियत की फिर उसकी रोटी पकाली तो यह वसियत से रुजूअ् कर लेना है। (आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.10:– घर की वसियत की फिर उसमें गच कराया (चूने का प्लास्तर कराया) या उसको गिरा दिया तो यह रुजूअ् नहीं आगर उसकी बहुत ज़्यादा लिसाई कराई तो यह रुजूअ् है। (आलमगीरी जि.6 स.93)
मसअ्ला.11:– ज़मीन की वसियत की फिर उसमें अंगूर का बाग़ लगाया दीगर पेड़ लगादिये तो यह रुजूअ् है और अगर ज़मीन की वसियत की फिर उसमें सब्ज़ी उगाई तो यह रुजूअ् नहीं(आलमगीरी)
मसअ्ला.12:– अंगूर की वसियत की फिर वह मुनक्का होगया या चाँदी की वसियत की फिर वह अंगूठी में तब्दील होगई या अन्डे की वसियत की फिर उससे बच्चा निकल आया गेहूँ की बाल की वसियत की फिर वह गेहूँ होगया अगर यह तब्दीलियाँ मूसी की मौत से पहले वुकूअ् में आयें तो वसियत बातिल होगई और अगर मूसी के इन्तिक़ाल के बाद यह तब्दीलियाँ हुईं तो वसियत नाफ़िज़ होगी।(आलमगीरी जि.6 स.94)
मसअ्ला.13:– एक शख़्स ने दूसरे के माल में एक हज़ार रुपये की वसियत किसी के लिये करदी या उसके कपड़े की वसियत करदी और इस दूसरे शख़्स यानी मालिक ने वसियत करने वाले की मौत से पहले या मौत के बाद उसे जाइज़ कर दिया तो उस मालिक के लिये इस वसियत से रुजूअ् कर लेना जाइज़ है जब तक मूसा लहू के सिपुर्द न करदे लेकिन अगर मूसा लहू ने कब्ज़ा ले लिया तो वसियत नाफ़िज़ हो जायेगी क्योंकि माले ग़ैर की वसियत ऐसी है जैसे माले ग़ैर को हिबा करना लिहाज़ा बिग़ैर तस्लीम और क़ब्ज़ा के सहीह नहीं। (मब्सूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.94)

वसियत के अल्फ़ाज़ का बयान

"किन अल्फ़ाज से वसियत साबित होती है और किन अल्फ़ाज़ से नहीं नीज कौनसी वसियत जाइज है और कौनसी नहीं"
मसअ्ला.1:– किसी शख़्स ने दूसरे से कहा कि तू मेरे मरने के बाद मेरा वकील है तो वह उसका वसी होगा और अगर यह कहा कि तू मेरी ज़िन्दगी में मेरा वसी है तो वह उसका वकील होगा(आलमगीरी)
मसअ्ला.2:– अगर किसी ने दूसरे शख़्स से कहा कि तुझे सौ रुपये उजरत मिलेगी इस शर्त पर कि तू मेरा वसी बन जाये तो यह शर्त बातिल है सौ रुपये उसके हक़ में वसियत हैं और वह उसका वसी माना जायेगा। (ख़िज़ानुतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.94)
मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने कहा कि तुम लोग गवाह रहो कि मैंने फुलाँ शख़्स के लिये एक हज़ार रुपये की वसियत करदी और मैंने वसियत की कि मेरे माल में फुलाँ के एक हज़ार रुपये हैं तो पहली सूरत वसियत की है और दूसरी सूरत इक़रार की है। (आलमगीरी जि.6 स.94)
मसअ्ला.4:– किसी ने वसियत में यह लफ़्ज़ कहे कि मेरा तिहाई मकान फुलाँ के लिये है मैं उस

की इजाज़त देता हूँ तो यह वसियत है और अगर यह अल्फ़ाज़ कहे कि मेरे मकान में फुलाँ शख़्स का छठा हिस्सा है तो यह इकरार है। (आलमगीरी जि.6 स.94) इसी उसूल पर अगर उसने वसियत के मौक़े पर यूँ कहा कि फुलाँ के लिये मेरे माल से हज़ार दिरहम तो यह इस्तिहसानन वसियत है और अगर यूँ कहा कि फुलाँ के मेरे माल में हजार दिरहम हैं तो यह इक़रार है। (आलमगीरी जि.6)

मसअला.5:– अगर किसी शख़्स ने यह कहा कि मेरा यह मकान (घर) फुलाँ के लिये और उस वक़्त वसियत का कोई ज़िक्र न था न यह कहा कि मेरे मरने के बाद तो यह हिबा है अगर मौहूब लहू ने हिबा करने वाले की ज़िन्दगी ही में क़ब्ज़ा ले लिया तो सहीह होगया और अगर क़ब्ज़ा न लिया था कि हिबा करने वाले की मौत वाक़ेअ़ होगई तो हिबा बातिल होगया। (आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.6:– वसियत करने वाले ने कहा कि मैंने वसियत की कि फुलाँ शख़्स को मेरे मरने के बाद मेरा तिहाई मकान हिबा कर दिया जाये तो यह वसियत है और इसमें मूसी की ज़िन्दगी में क़ब्ज़ा लेना शर्त नहीं है। (आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.7:– मरीज़ ने किसी शख़्स से कहा कि मेरे ज़िम्मे का क़र्ज़ अदा करदे तो यह शख़्स उसका वसी बन गया। (खिज़ानतुल मुफ्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.8:– किसी शख़्स ने हालते मर्ज़ या हालते सेहत में कहा कि अगर मेरा हादसा होजाये तो फुलाँ के लिये इतना है तो यह वसियत है और हादसा का मतलब मौत है इसी तरह अगर उसने यह कहा कि फुलाँ के लिये मेरे सुलुस माल से हज़ार दिरहम हैं तो यह वसियत शुमार होगी(आलमगीरी)

मसअला.9:– किसी शख़्स ने यह वसियत की कि मेरे वालिद की वसियत से जो तहरीरशुदा वसियत है और मैंने उसे नाफ़िज़ न किया हो तो तुम उसे नाफ़िज़ कर देना या उसने ब'हालते मर्ज़ अपने नफ़्स पर इसका इक़रार किया (यानी यह इक़रार किया कि मेरे वालिद की वसियत का निफ़ाज़ मेरे ज़िम्मे बाकी है) तो वसियत है और वुरसा उसकी तस्दीक़ करदें और अगर वुरसा ने इस की तकज़ीब की तो यह मूसी के सुलुस माल में नाफ़िज़ होगी। (ज़हीरिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.94)

मसअला.10:– मरीज़ ने सिर्फ़ इतना कहा कि मेरे माल से एक हज़ार निकाल लो या यह कहा ''एक हज़ार दिरहम निकाल लो'' और इसके इलावा कुछ न कहा फिर वह मरगया तो अगर यह अलफ़ाज़े वसियत में कहे तो वसियत सहीह होगई, इतना माल फ़ुक़रा पर सर्फ़ किया जायेगा। इसी तरह किसी मरीज़ से कहा गया कि कुछ माल की वसियत करदो उसने कहा ''मेरा तिहाई माल'' इस से ज़्यादा न कहा तो अगर यह सवाल के फ़ौरन बाद कहा तो उसका तिहाई माल फ़ुक़रा पर सर्फ़ किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.11:– एक शख़्स ने वसियत की कि लोगों को एक हज़ार दिरहम दिये जायें तो यह वसियत बातिल है अगर उसने यह कहा एक हज़ार दिरहम सदक़ा करदो तो यह जाइज़ है फ़ुक़रा पर ख़र्च किये जायें। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.12:– एक शख़्स ने यह कहा कि अगर मैं अपने इस सफ़र में मर जाऊँ तो फुलाँ शख़्स के मुझपर हज़ार दिरहम क़र्ज़ हैं तो यह वसियत शुमार होगी और इसके तिहाई माल में नाफ़िज़ होगी। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.13:– किसी शख़्स ने वसियत की कि मेरा जनाज़ा फुलाँ बस्ती या शहर में ले जाया जाये और वहाँ दफ़्न किया जाये और वहाँ मेरे तिहाई माल से एक रिबात़ (सराय) तअ़मीर किया जाये तो यह रिबात़ तअ़मीर करने की वसियत जाइज़ है और जनाज़ा वहाँ ले जाने की वसियत बातिल और अगर वसी बिग़ैर वुरसा की इजाज़त व रज़ा'मन्दी के उसका जनाज़ा वहाँ लेगया तो इसके अख़राजात का ज़ामिन खुद होगा। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.14:– अगर किसी शख़्स ने अपनी क़ब्र को पुख़्ता खुबसूरत बनाने की वसियत की तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.15:– कोई शख़्स यह वसियत करे कि मेरे मरने के बाद खाना तैयार किया जाये और तअ्ज़ियत करने के लिये आने वालों को खिलाया जाये तो यह वसियत सुलुस् माल में नाफ़िज़ होगी यह खाना उन लोगों के लिये होगा जो मय्यित के मकान पर तवील कियाम रखते हैं या वह दूर दराज़ इलाके से आये हों और इस में ग़रीब, अमीर सब बराबर हैं सब को यह खाना जाइज़ है लेकिन जो लम्बी मसाफ़त तय करके नहीं आया या उसका कियाम तवील नहीं है उनके लिये यह खाना जाइज़ नहीं अगर वसी ने खाना ज़्यादा तैयार करादिया कि यह लोग खा चुके और खाना बहुत ज़्यादा बच रहा तो वसी इस ज़्यादा ख़र्च का ज़ामिन होगा और खाना बहुत थोड़ा बचा तो वसी ज़ामिन न होगा। (आलमगीरी जि6 स.95)

मसअला.16:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरे मरने के बाद लोगों के लिये तीन दिन खाना पकवाया जाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि6 स.95)

फ़ायदा:– अहले मुसीबत यानी जिसके घर में मौत हुई उनको खाना पकाकर देना और खिलाना पहले दिन में जाइज़ है क्योंकि वह मय्यित की तजहीज़ व तकफ़ीन में मश्गूलियत और शिद्दते ग़म की वजह से खाना नहीं पका सकते हैं लेकिन मौत के बाद तीसरे दिन ग़ैर मुस्तहब मकरूह है (आलमगीरी) और अगर तअ्ज़ियत के लिये औरतें जमअ् हों कि नोहा करें तो उन्हें खाना न दिया जाये कि गुनाह पर मदद देना है। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ)

मसअला.17:– किसी शख़्स ने यह वसियत की कि उसे एक हज़ार दीनार या दस हज़ार दिरहम की क़ीमत का कफ़न दिया जाये यह वसियत नाफ़िज़ न होगी उसे औसत दर्जा का कफ़न दिया जायेगा जिसमें न फ़ुज़ूल ख़र्ची हो और न बुख़्ल और न तंगी (आलमगीरी जि. 6 स.95) उसी में दूसरी जगह बयान किया गया है कि ऐसे शख़्स को कफ़न मिस्ल दिया जायेगा और कफ़न मिस्ल यह है कि वह अपनी ज़िन्दगी में जुमआ व ईदैन और शादियों में शिरकत के लिये जिस क़िस्म का और जिस क़ीमत का कपड़ा पहनता था उसी क़ीमत और उसी क़िस्म के कपड़े का कफ़न उसे दिया जायेगा।

मसअला.18:– औरत ने अपने को शौहर को वसियत की कि उसका कफ़न वह उसके महर में से दे जो शौहर पर वाजिब है तो औरत का अपने कफ़न के बारे में कुछ कहना या मनअ् करना बातिल है(आलमगीरी जि.6)

मसअला.19:– अपने घर में दफ़्न करने की वसियत की तो यह वसियत बातिल है लेकिन अगर उसने यह वसियत की कि मेरा घर मुसलमानों के लिये क़ब्रिस्तान बना दिया जाये तो फिर इस घर में इस का दफ़्न करना जाइज़ व सहीह है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.20:– यह वसियत की कि अपने कमरे में दफ़्न किया जाये तो यह वसियत सहीह नहीं उसे मक़ाबिरे मुस्लेमीन में दफ़्न किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.21:– यह वसियत की कि मेरे जनाज़े की नमाज़ फ़ुलाँ शख़्स पढ़ाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.22:– किसी ने वसियत की कि मेरा सुलुस् माल मुसलमान मय्यितों के कफ़न या उनकी गोरकुनी में या मुसलमानों को पानी पिलाने में ख़र्च किया जाये तो यह वसियत बातिल है और अगर वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फ़ुक़राए मुस्लिमीन के कफ़न में ख़र्च किया जाये या उनकी क़बरें खुदवाने में ख़र्च किया जाये तो यह जाइज़ है वसियत सहीह है। (आलमगीरी स.6 जि.55)

मसअला.23:– मूसी ने वसियत की कि मेरा घर क़ब्रिस्तान बनादिया जाये फिर उसके किसी वारिस् का इन्तिक़ाल हुआ तो इसमें वारिस् को दफ़्न करना जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.24:– किसी शख़्स ने वसियत की कि मेरा घर लोगों को ठहराने के लिये सराय बनादिया जाये तो यह वसियत सहीह नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.95) ब'ख़िलाफ़ इसके कि अगर यह वसियत की कि मेरा घर सक़ाया बनादिया जाये तो वसियत सहीह है। (तातार ख़ानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.95)

मसअला.25:– मरने वाले ने वसियत की कि मेरे मरने के बाद मुझे उसी टाट या कम्बल में दफ़्न किया जाये या मेरे हाथों में हथकड़ी लगादी जाये या मेरे पावों में बेड़ी डालदी जाये तो यह वसियत

खिलाफ़े शरअ् और बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.96) और उसे कफ़ने मिस्ल दिया जायेगा और उसे आम मुसलमानों की तरह दफ़न किया जायेगा।

मसअ्ला.26:– अपनी क़ब्र को मिट्टी गारे से लेपने की वसियत की या अपनी क़ब्र पर कुब्बा तअ्मीर करने की वसियत की तो यह वसियत बातिल है लेकिन अगर क़ब्र ऐसी जगह है जिसको दरन्दों और जानवरों के ख़ौफ़ से लेपने की ज़रुरत है तो वसियत नाफ़िज़ होगी।(आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.27:– अपने मर्जुल'मौत में किसी ने अपनी लड़की को पचास रुपये दिये और कहा कि अगर मेरी मौत होजाये तो मेरी क़ब्र तअ्मीर कराना और उसी के क़रीब रहना और उसमें से तेरे लिये पाँच रुपये हैं बाक़ी रुपये से गेहूँ ख़रीद करके सदक़ा करदेना तो उस लड़की को यह पाँच रुपये लेना जाइज नहीं और अगर क़ब्र को मज़बूती के लिये बनाने की ज़रुरत है न कि ज़ीनत व आराइश के लिये तो बक़द्र ज़रूरत उसे तअ्मीर कराया जायेगा और बाक़ी फ़ुक़रा पर सदक़ा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.28:– यह वसियत की कि मेरे माल से किसी आदमी को इतना माल दिया जाये कि वह मेरी क़ब्र पर क़ुर्आन पाक की तिलावत करे तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.29:– किसी ने वसियत की कि उसकी किताबें दफ़न करदी जायें तो उन किताबों को दफ़न करना जाइज़ नहीं मगर यह कि उन किताबों में ऐसी चीज़ें हों जो किसी की समझ में न आती हों या उन किताबों में ऐसा मवाद हो जिससे फ़साद पैदा होता हो। (मुहीत) फ़साद मुआशरा का हो या अक़ीदा व मज़हब का। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.30:– बैतुल'मक़दिस के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो जाइज़ है और यह माल बैतुल'मक़दिस की इमारत और चिराग़ बत्ती व रौशनी वग़ैरा पर ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.96) फ़ुक़हा ने इस मसअ्ला से वक़्फ़ मस्जिद की आमदनी से मस्जिद के अन्दर रौशनी करने के जवाज को क़ौल किया है। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.31:– मूसी ने अपने माल से जिहाद फ़ी'सबीलिल्लाह करने की वसियत की तो वसी को जिहाद करने वाले शख़्स को उसके खाने, पीने, आने, जाने, और मोर्चा पर रहने का ख़र्चा मूसी के माल से देना होगा लेकिन मुजाहिद के घर का ख़र्चा उसमें नहीं अगर मुजाहिद पर ख़र्च करने से कुछ माल बचगया तो वह मूसी के वुरसा को वापस कर दिया जायेगा और मुनासिब यह कि मूसी की तरफ़ से जिहाद के लिये मूसी के घर से रवाना हो जैसे कि हज की वसियत में मूसी के घर से रवाना होना है। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.32:– मुसलमान की वसियत ईसाई फ़ुक़रा के लिये जाइज़ है लेकिन उनके लिये गिर्जा तअ्मीर करने की वसियत जाइज़ नहीं क्योंकि यह गुनाह है और जो शख़्स उस गुनाह में इआनत (मदद) करेगा गुनाहगार होगा। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.33:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल मस्जिद पर ख़र्च किया जाये तो यह जाइज़ है और यह माल मस्जिद की तअ्मीर और उस के चिराग़ व बत्ती वग़ैरा पर ख़र्च होगा(आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.34:– एक शख़्स ने अपनी उस ज़मीन की वसियत की जिस में खेती खड़ी है लेकिन खेती की वसियत नहीं की तो यह जाइज़ है और यह खेती कटने के वक़्त तक उसमें बाक़ी रहेगी और उसका मुआवज़ा दिया जायेगा। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.35:– किसी ने वसियत की कि मेरा घोड़ा मेरी तरफ़ से अल्लाह की राह में जिहाद करने में इस्तेअ्माल किया जाये तो यह वसियत जाइज़ है और उसे ग़ज़वा में इस्तेअ्माल किया जायेगा इस्तेअ्माल करने वाला अमीर हो या ग़रीब और जब ग़ाज़ी ग़ज़वा से वापस आये तो घोड़ा वुरसा को वापस करदे और वुरसा इस घोड़े को हमेशा ग़ज़वा के लिये देते रहेंगे(मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.36:– अगर किसी ने यह वसियत की कि मेरा घोड़ा और मेरे हथियार फ़ि'सबीलिल्लाह हैं तो इसका मतलब किसी को मालिक बना देना है लिहाज़ा कोई ग़रीब व फ़क़ीर आदमी उनका

मालिक बनादिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.96)

मसअ्ला.37:– किसी शख़्स ने यह वसियत की कि उसकी आराज़ी (ज़मीन) मसाकीन के लिये क़ब्रिस्तान करदी जाये या यह वसियत की कि उसे आने, जाने वालों के लिये सराय बनादिया जाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.38:– मुस्हफ़ की वसियत की कि वह मस्जिद में वक़्फ़ कर दिया जाये तो यह वसियत जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.39:– वसियत की कि उसकी ज़मीन मस्जिद बनादी जाये तो यह बिला इख़्तिलाफ़ जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.40:– वसियत करने वाले ने कहा कि मेरा तिहाई माल अल्लाह तआ़ला के लिये है तो यह वसियत जाइज़ है और यह माल नेकी व भलाई के रास्ते में ख़र्च होगा और फ़ुक़रा पर सर्फ़ किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.41:– वसियत करने वाले ने कहा मेरा तिहाई माल फ़ी'सबीलिल्लाह राहे ख़ुदा में है यहाँ फ़ी'सबीलिल्लाह का मतलब ग़ज़वा है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.42:– अगर यह कहा कि मेरा तिहाई माल नेक कामों के लिये है तो उसे तअ्मीरे मस्जिद और उसकी चिराग़ व बत्ती में ख़र्च करना जाइज़ है लेकिन मस्जिद की आराइश व ज़ेबाइश में ख़र्च करना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.43:– अगर किसीने अपने तिहाई माल की वुजूहे ख़ैर (अच्छाई की वजहें) में ख़र्च करने की वसियत की तो उसे पुल बनाने, मस्जिद बनाने, और तालिबाने इल्म पर ख़र्च किया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.44:– किसी ने वसियत की कि मेरा तिहाई माल गाँवों के मुसालेह (गाँव को अच्छा बनाने) में ख़र्च किया जाये तो यह वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.97)

सुलुस माल की वसियत का बयान

"वसियत सुलुस् माल की या ज़्यादा या कम की वुरसा ने इसकी इजाज़त दी या न दी या बाज़ ने इजाज़त दी बाज़ ने न दी बेटी या बेटे के हिस्से के बराबर की वसियत वग़ैरा"

मसअ्ला.1:– मरने वाले ने किसी आदमी के हक़ में अपने चौथाई माल की वसियत की और एक दूसरे आदमी के हक़ में अपने निस्फ़ माल की अगर वुरसा ने इस वसियत को जाइज़ रखा तो निस्फ़ माल उसको मिलेगा जिसके हक़ में निस्फ़ माल की वसियत है और चौथाई माल उसे दिया जायेगा जिसके लिये चौथाई माल की वसियत की और बाक़ी माल वारिसों के दरम्यान मुक़र्ररा हिस्सों के मुताबिक़ तक़सीम किया जायेगा और अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ न रखा तो इस सूरत में मरने वाले मूसी की वसियत उसके सुलुस् माल में सहीह होगी और उसका सुलुस् माल सात हिस्सों में मुन्क़सिम (तक़सीम) होकर चार हिस्से निस्फ़ माल की वसियत वाले को और तीन हिस्से चौथाई माल की वसियत वाले को मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.2:– एक शख़्स के हक़ में अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) की वसियत की और दूसरे के हक़ में अपने सुदुस माल की (छटे हिस्से की) तो इस सूरत में उसके सुलुस् माल के तीन हिस्से किये जायेंगे उसमें से दो हिस्से सुलुस् माल की वसियत वाले के लिये और एक हिस्सा उसे जिसके हक़ में सुदुस माल की वसियत की। (हिदाया अज़ आलमगीरी जि.6 स.97)

मसअ्ला.3:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरा कुल माल फ़ुलाँ शख़्स को देदिया जाये और एक दूसरे शख़्स के लिये वसियत की कि उसे मेरे माल का तिहाई हिस्सा दिया जाये तो अगर उसके वारिस् नहीं हैं या हैं मगर उन्होंने इस वसियत को जाइज़ कर दिया तो उसका माल दोनों (मूसा'लहुमा) के दरम्यान ब'तरीक़ मुनाज़अ़त तक़सीम होगा और इसकी सूरत यह है कि सुलुस् माल निकालकर बक़िया कुल उसको देदिया जायेगा जिसके हक़ में कुल माल की वसियत है रहा सुलुस्

माल तो वह दोनों के माबैन निस्फ निस्फ तकसीम कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.9)

मसअ्ला.4:– मूसी ने एक शख़्स के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की और दूसरे शख़्स के लिये भी अपने सुलुस् माल की वसियत करदी और वुरसा उसके राजी न हुए तो उसका सुलुस माल दोनों के माबैन तकसीम होगा। (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.98)

मसअ्ला.5:– किसी ने वसियत की कि मेरे माल का एक हिस्सा या मेरा कुछ माल फुलाँ शख़्स को देदिया जाये तो इसकी तशरीह का हक मूसी को है अगर वह ज़िन्दा है और उसकी मौत के बाद इस की तशरीह का हक वुरसा को है। (शरहुत्तहावी अज आलमगीरी जि.6 स.98)

मसअ्ला.6:– किसी ने अपने माल के एक जुज़ की वसियत की तो वुरसा से कहा जायेगा कि तुम जितना चाहो मूसा लहू को देदो। (आलमगीरी जि.6 स.98)

मसअ्ला.7:– अपने माल के एक हिस्से की वसियत की फिर उसका इन्तिकाल होगया और उसका कोई वारिस् भी नहीं है तो मूसा लहू को निस्फ मिलेगा और निस्फ बैतुल माल में जमअ् होगा (आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने वारिसों में एक माँ और एक बेटा छोड़ा और यह वसियत करगया कि फुलाँ को मेरे माल से बेटी का हिस्सा है (अगर बेटी होती और उसे हिस्सा मिलता) तो वसियत जाइज़ है और उसका माल सत्रह हिस्सों में मुन्कसिम होकर मूसा लहू को पाँच हिस्से माँ को और दस हिस्से बेटे को मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.99)

मसअ्ला.9:– अगर मय्यित ने अपने वुरसा में एक बीवी और एक बेटा छोड़ा और एक दूसरे बेटे के बराबर हिस्से की वसियत किसी के लिये की (अगर दूसरा बेटा होता) और वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ रखा तो उसका तर्का पन्द्रह हिस्सों में मुन्कसिम होगा मूसा लहू (जिस के हक में वसियत की) को सात हिस्से, बेवा बीवी को एक हिस्सा, और बेटे को सात हिस्से दिये जायेंगे (आलमगीरी जि.6 स.99)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स का इन्तिकाल हुआ उसने वारिसों में एक लड़की और एक भाई छोड़ा और किसी शख़्स के लिये बक़द्र हिस्सा बेटे की वसियत की (अगर दूसरा बेटा होता) और वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ रखा तो इस सूरत में मूसा लहू को उसके माल के दो सुलुस् (दो तिहाई) हिस्से मिलेंगे और अगर एक सुलुस् भाई और बेटी के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होगा और अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ न रखा तो इस सूरत में मूसा लहू को एक सुलुस् मिलेगा और सुलुस् भाई और बेटी में निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.100)

मसअ्ला.11:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने वुरसा में एक भाई और एक बहन छोड़ा और यह वसियत की कि फुलाँ को मेरे माल से बक़द्र बेटे के हिस्से के देना (अगर बेटा होता) और वारिसों ने इसकी इजाज़त देदी तो इस सूरत में कुल माल मूसा लहू को मिलेगा और भाई और बहन को उसके माल से कुछ हिस्सा न मिलेगा अगर यह वसियत की कि फुलाँ को बेटे के हिस्से के मिस्ल देना तो इस सूरत में मूसा लहू को इसके माल का निस्फ़ मिलेगा और बाक़ी निस्फ़ में भाई बहन शरीक होंगे भाई को दो हिस्से और बहन को एक हिस्सा। (आलमगीरी जि.6 100)

मसअ्ला.12:– वसियत करने वाले ने वसियत की के मेरे माल से फुलाँ को बक़द्र बेटी के हिस्से के दिया जाये और वारिसों में उसने एक बेटी एक बहन छोड़ी तो इस सूरत में मूसा लहू को उसका तिहाई माल मिलेगा वुरसा इजाज़त दें न दें। (आलमगीरी जि.6 स.100)

मसअ्ला.13:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने अपने वारिसों में एक बेटा और बाप छोड़े और वसियत की कि फुलाँ शख़्स को मेरे बेटे के हिस्से के मिस्ल हिस्सा दिया जाये तो अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ रखा तो उसका माल ग्यारह हिस्सों में तक़सीम होकर मूसी को पाँच हिस्से बाप को एक हिस्सा और बेटे को पाँच हिस्से मिलेंगे और अगर वारिसों ने उसकी वसियत को जाइज़ न रखा तो मूसा लहू को उसके माल का तिहाई हिस्सा मिलेगा और बाक़ी बाप और बेटे के दरम्यान हिस्सा रसदी तक़सीम होगा बाप को एक हिस्सा, बेटे को पाँच, यानी कुल माल के नौ

हिस्से किये जायेंगे, तीन हिस्से मूसा'लहू को, एक हिस्सा बाप को और पाँच हिस्से बेटे को दिये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.100) मज़कूरा बाला सूरतों में मय्यित के वारिसों में से अगर एक ने मय्यित की वसियत को जाइज़ न किया और एक ने जाइज़ कर दिया तो जाइज़ करने वाले वारिस् के हिस्से में से मूसा'लहू को हिस्सा मिलेगा और जाइज़ न करने वाले वारिस् के हिस्से में से नहीं मिलेगा बल्कि उसका पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। तफ़सील उसकी यह है कि अगर एक वारिस् ने वसियत को जाइज़ किया और दूसरे वारिस् ने जाइज़ न किया तो देखा जायेगा कि दोनों वारिसों के इजाज़त देने की सूरत में मसअ्ला का हिसाब ग्यारह हिस्सों से हुआ था और इजाज़त न देने की सूरत में मसअ्ला का हिसाब नौ से हुआ था, उन दोनों को बाहम ज़र्ब किया जाये 9×11=99 हुए, अब दोनों के वसियत को जाइज़ न करने की सूरत में निन्नानवे में से एक सुलुस् यानी 33 हिस्से मूसा'लहू को मिलेंगे और बक़िया 66 हिस्सों में से एक सुदुस (छटा हिस्सा) यानी ग्यारह बाप को मिलेंगे और बक़िया पाँच सुदुस यानी 55 हिस्से बेटे को मिलेंगे कुल मीज़ान 99 और वारिसों के इस वसियत को जाइज़ करने की सूरत में मूसा'लहू को ग्यारह में से 9×5=45 बाप को ग्यारह में से 9×1=9 और बेटे को बक़िया 9×5=45 हिस्से मिलेंगे (कुल मीज़ान 99) इस तफ़सील से मअ्लूम हुआ कि उन दोनों हालतों के दरम्यान मूसा'लहू को बारह हिस्से ज़्यादा मिले जिनमें से दो हिस्से बाप के हक़ में से और दस हिस्से बेटे के हक़ में से, क्योंकि इजाज़त न देने की सूरत में बाप को ग्यारह हिस्से मिले और इजाज़त देने की सूरत में नौ, फ़र्क़ दो हिस्सों का हुआ। और बेटे को इजाज़त देने की सूरत में 45 हिस्से मिले, और इजाज़त न देने की सूरत में 55, फ़र्क़ दस हिस्सों का हुआ इस तरह दस और दो बारह हिस्से मूसा'लहू को ज़्यादा मिलते हैं। इस तफ़सील से यह भी मालूम हुआ कि मूसा'लहू को बाप के हक़ में से दो हिस्से और बेटे के हक़ में से दस हिस्से मिले लिहाज़ा अगर बाप ने वसियत को जाइज़ रखा और बेटे ने नहीं तो बाप के हक़ में से दो हिस्से मूसा'लहू को मिल जायेंगे और बेटे को उसका पूरा हक़ मिलेगा। इस तरह निन्नानवे में से 33+2=35 हिस्से मूसा'लहू को नौ हिस्से बाप को और 55 हिस्से बेटे को मिलेंगे कुल मीज़ान 99 हुआ, और अगर बेटे ने वसियत को जाइज़ रखा और बाप ने नहीं तो बेटे के हक़ में से दस हिस्से मूसा'लहू को मिल जायेंगे बाप को इसका पूरा हक़ मिलेगा यानी निन्नानवे में से 10+33=43 हिस्से मूसा'लहू को ग्यारह हिस्से बाप को और 45 हिस्से बेटे को मिलेंगे कुल मीज़ान 99 हुआ(आलमगीरी)

फ़ायदाः– इस सिलसिले में ज़ाबता यह है कि मसअ्ला की तसहीह एक बार की जाये इस सूरत में कि सब वारिसों ने इजाज़त देदी और दूसरी बार मसअ्ला की तसहीह की जाये इस सूरत में कि किसी वारिस् ने इजाज़त नहीं दी फिर दोनों तस्हीहों को एक मुबल्लिग़ से कर दिया जाये (यानी दोनो तस्हीहों को बाहम ज़र्ब देदी जाये) फिर इस सूरत में कि एक वारिस् ने इस वसियत को जाइज़ कर दिया और दूसरे ने जाइज़ न किया या इस की इजाज़त मोअ्तबर न हो जैसे बच्चा और पागल की इजाज़त मोअ्तबर नहीं तो जाइज़ करने वाले वारिसों के सिहाम को मसअ्ला इजाज़त से लिया जाये और बाक़ी दूसरों के सिहाम को मसअ्ला अदमे इजाज़त से लिया जाये वह हर वारिस् का हिस्सा होगा और जो बाक़ी बचेगा वह मूसा'लहू के लिये न सुलुसु पर ज़्यादा होगा (यानी मूसा लहू के सुलुस में बढ़ा दिया जायेगा) (जद्दुल मुमतार हाशिया रद्दुल मुहतार अज़ इफ़ादाते आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ स.639) इस की मिसाल यह है मूसी ने बाप और बेटे को छोड़ा और मूसा लहू के लिये बेटे के मिस्ल हिस्से की वसियत की वुरसा के इजाज़त देने की सूरत में मसअ्ला ग्यारह से होगा।

बाप	इब्न	मूसा'लहू
1	5	3
11	55	33

वुरसा के इजाज़त न देने की सूरत में मसअला 9 से होगा।

बाप	इब्न	मूसा'लहू
$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{45}$	$\frac{5}{45}$

ज़ाबता क मुताबिक़ दोनों तस्हीहों का मुब्लग़ वाहिद किया 9×11=99 मुब्लग़ वाहिद हुआ। मुजीज़ (इजाज़त देने वाला) अगर बाप हो तो इजाज़त की सूरत में बाप का हिस्सा 9 सिहाम है और इजाज़त न देने की सूरत में बाक़ी दूसरों का हिस्सा 88 सिहाम है दोनों को जमअ् किया 9+88=97,फ़र्क़ 99–97=2 सिहाम लिहाज़ा मूसा'लहू को दो सिहाम ज़ाइद अलस्सुलुस् मिलेंगे यानी 33+2=35 सिहाम। और मुजीज़ अगर बेटा हो तो इजाज़त की सूरत में उसका हिस्सा 45 सिहाम है और इजाज़त न देने की सूरत में बाकी दूसरों का हिस्सा 44 सिहाम है, दोनों को जमअ् किया 45+44=89 फ़र्क 99–89=10 लिहाजा मूसा'लहू को दस सिहाम ज़ाइद अलस्सुलुस् मिलेंगे, 33+10=43 सिहाम।

मसअ्ला.14:– मरने वाले ने दो बेटे छोड़े और एक शख़्स के लिये अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) की वसियत की और एक दूसरे शख़्स के लिये मिस्ल एक बेटे के हिस्से की वसियत की और दोनों वारिस् बेटों ने मरने वाले बाप की दोनों वसियतों को जाइज़ रखा तो इस सूरत में जिसके लिये तिहाई माल की वसियत की उसे मय्यित के माल का तिहाई हिस्सा मिलेगा और बक़िया दो सुलुस् दोनों बेटों और इस शख़्स के दरम्यान जिसके लिये बेटे के मिस्ल हिस्से की वसियत की तिहाई तिहाई तक़सीम होगा हिसाब उसका इस तरह होगा कि कुल माल नौ हिस्सों में मुन्क़सिम होगा इस में से तीन हिस्से उसे मिलेंगे जिस के लिये सुलुस् माल(तिहाई माल)की वसियत है बाक़ी रहे छः हिस्से तो दो दो हिस्से दोनों बेटों के दरम्यान और दो हिस्से उस के जिस के लिये बेटे के हिस्से मिस्ल वसियत की है।(आलमगीरी जि.6 स.100)और अगर उन दोनों बेटों ने बाप की वसियत को जाइज़ न किया तो एक तिहाई माल उन दोनों मुसा'लहू को दिया जायेगा जिनके हक़ में वसियत है और बक़िया दो सुलुस् (दो तिहाई) दोनों बेटों को मिल जायेगा(आलमगीरी जि.6 स.100)और अगर दोनों बेटों ने सुलुस् माल की वसियत को जाइज़ न रखा और उस वसियत को जाइज़ रखा जो उसने दूसरे शख़्स के लिये मिस्ल एक बेटे के हिस्से के की थी तो उस सूरत में साहिबे सुलुस् यानी सुलुस् माल की वसियत वाले को निस्फ़ सुलुस् यानी सुदुस(छठा हिस्सा)मिलेगा और साहिबे मिस्ल यानी जिस शख़्स के हक़ में मिस्ल हिस्सा बेटे के वसियत की उसे बक़िया माल का एक सुलुस् मिलेगा। उस सूरत में हिसाब ऐसे अदद से होगा जिसमें से अगर सुदुस(छठा हिस्सा)निकाला जाये तो बक़िया माल एक एक तिहाई के हिसाब से तक़सीम होजाये और ऐसे छोटे से छोटा अदद अठारह है लिहाज़ा कुल माले वसियत अठारह हिस्सों में तक़सीम होगा, छठा हिस्सा यानी तीन हिस्से सुलुस् माल की वसियत वाले को, बाक़ी पन्द्रह हिस्सों में एक सुलुस् यानी पाँच हिस्से उस शख़्स को जिसके लिये मिस्ल बेटे के हिस्से की वसियत की बक़िया एक सुलुस् यानी पाँच पाँच हिस्से दोनों बेटों को।(आलमगीरी जि.6 स.100) और अगर यह सूरत है कि एक बेटे ने साहिबे मिस्ल के हक़ में वसियत को जाइज़ रखा और साहिबे सुलुस् के हक़ में वसियत को रद कर दिया और दूसरे बेटे ने दोनों वसियतों को रद कर दिया तो मसअ्ला इस तरह होगा कि साहिबे मिस्ल को चार हिस्से और साहिबे सुलुस् को तीन हिस्से और जिस बेटे ने एक वसियत को जाइज़ किया उस को पाँच हिस्से और जिस बेटे ने दोनों वसियतों को रद कर दिया उसको छः हिस्से कुल मीज़ान अठारह हिस्से इस तरह साहिबे मिस्ल के हक़ में वसियत जाइज़ रखने वाले बेटे का एक हिस्सा साहिबे मिस्ल को मिला और उसका हिस्सा बजाए तीन के चार होगया और इस बेटे के छः के बजाए पाँच हिस्से रहगयें। (मुहीत अज आलमगीरी)

मसअ्ला.15:– एक शख़्स के पाँच बेटे हैं ......उसने वसियत की कि फुलाँ शख़्स को मेरे सुलुस्

माल में से मेरे एक बेटे के हिस्से के मिस्ल देना और सुलुस् माल में से यह हिस्सा निकालकर बकिया का सुलुस् एक शख़्स को दिया जाये, तो इस वसियत करने वाले का कुल माल इक्यावन हिस्सों में तक़सीम होकर उनमें से आठ हिस्से उस मूसा'लहू को मिलेंगे जिसके हक़ में बेटे के हिस्से के मिस्ल की वसियत की और तीन हिस्से दूसरे मूसा'लहू को मिलेंगे जिसके हक़ में सुलुस् मा'बकिया मिनस्सुलुस् की वसियत की (यानी जिसके हक में बाकी बचे सुलुस माल में से एक सुलुस की वसियत की) (आलमगीरी जि.6 स.100) और हर बेटे को आठ–आठ हिस्से मिलेंगे। (मुअल्लिफ)

मसअ्ला.16:– एक शख़्स के पाँच बेटे हैं उसने वसियत की कि फुलाँ शख़्स को मेरे सुलुस् माल से मेरे एक बेटे के हिस्से के मिस्ल दिया जाये और इस सुलुस् माल से यह हिस्सा निकालकर जो बाक़ी बचे उस का सुलुस् (यानी तिहाई) एक दूसरे शख़्स को दिया जाये तो इस सूरत में इस वसियत करने वाले का माल इक्यावन हिस्सों में तक़सीम होकर जिसके लिये बेटे के हिस्से के मिस्ल की वसियत की है उसे आठ हिस्से मिलेंगे और उसके सुलुस् माल में से यह आठ निकालकर जो बाक़ी बचेगा उसका एक सुलुस् यानी तीन हिस्से उसको मिलेंग, जिसके लिए सुलुस् मा'बकिया मिनस्सुलुस् (यानी उस के तिहाई माल से आठ हिस्से निकालकर जो बाकी बचा उसका तिहाई हिस्सा) की वसियत की थी और पाँच बेटों में से हर एक को आठ आठ हिस्से मिलेंगे। मसअ्ला की तख़रीज इस तरह होगी कि पाँच बेटों को ब'हिसाब फ़ी'कस एक हिस्सा = पाँच हिस्से और एक हिस्सा उसमें साहिबे मिस्ल का बढ़ाया (यानी उसका जिसके लिये बेटे के हिस्से के मिस्ल की वसियत की) इस तरह कुल छः हिस्से हुए छः को तीन में ज़र्ब दिया जाये 3×6=18हुए अठारह में एक कम किया जो ज़्यादा किया गया था तो सत्रह रहगये यह सत्रह उसके कुल माल का एक सुलुस् है इसके दो सुलुस् चौंतीस हुए, इस तरह कुल हिस्से इक्यावन हुए जब यह मालूम होगया कि सुलुस् माल (तिहाई माल) सत्रह हिस्से हैं तो इसमें से साहिबे मिस्ल का हिस्सा (यानी जिसके लिए एक बेटे के हिस्से की मिस्ल की वसियत की) मालूम करने का तरीक़ा यह है कि अस्ल हिस्से की तरफ़ देखा जाये वह पाँच बेटों के पाँच और साहिबे मिस्ल का एक था, उस एक को तीन से ज़र्ब किया तो तीन हुए फिर तीन को तीन से ज़र्ब किया तो नौ हुए, नौ में से एक जो बढ़ाया था कम किया तो आठ बाक़ी रहे, यह हिस्सा हुआ साहिबे मिस्ल का, फिर उस आठ को सत्रह में से घटाया तो नौ बाक़ी रहे उसका एक तिहाई यानी तीन हिस्से दूसरे शख़्स के जिसके हक़ में सुलुस् मा'बकिया मिनस्सुलुस् की (बकिया तिहाई माल के तिहाई की). वसियत की थी नौ में से तीन निक'लकर छः बचे उन छः को दो तिहाई माल यानी चौंतीस हिस्सों में जमअ् किया तो चालीस होगये और यह चालीस पाँच बेटों में बराबर–बराबर ब'हिसाब फ़ी'कस आठ हिस्से तक़सीम होंगे यह कुल मिलाकर इक्यावन हुए यानी मूसा'लहू नम्बर एक को आठ, मूसा'लहू नम्बर 2 को तीन और पाँच बेटों को चालीस = कुल इक्यावन। (आलमगीरी जि.6 स.101)

मसअ्ला.17:– किसी शख़्स ने वसियत की कि "मेरे माल का छठा हिस्सा फुलाँ शख़्स के लिये है" फिर उसी मज्लिस में या दूसरी मज्लिस में कहा कि उसी के लिये मेरे माल का तिहाई हिस्सा है और वारिसों ने उसे जाइज़ करदिया तो उसे तिहाई माल मिलेगा और छठा हिस्सा उसी में दाख़िल हो जायेगा। (हिदाया 45 व आलमगीरी जि.6 स.104)

मसअ्ला.18:– किसी ने वसियत की कि फुलाँ शख़्स के लिये एक हज़ार रुपया है और उसका कुछ माल नक़्द है और कुछ दूसरों के ज़िम्मे उधार है तो अगर यह एक हज़ार रुपया उसके नक़्द माल से निकाला जा सकता है तो यह एक हज़ार रुपया मूसा'लहू को अदा कर दिया जायेगा और अगर यह रुपया उसके नक़्द माल से नहीं निकाला जा सकता तो नक़्द माल का एक तिहाई जिस क़द्र रहता है वह फ़िल'वक़्त अदा करदिया जायेगा और उधार में पड़ा हुआ रुपया जैसे जैसे और जितना जितना वसूल होता जायेगा वसूल शुदा रुपया का एक तिहाई मूसा लहू को दिया जाता रहेगा जब तक कि उसकी एक हज़ार की रक़म पूरी होजाये जो कि मरने वाले ने उसके लिये

वसियत की थी। (आलमगीरी जि.6 स.105)
मसअला.19:– ज़ैद ने वसियत की कि उसका एक तिहाई माल अम्र और बक्र के लिये है और बक्र
का इन्तिकाल हो चुका है ख़्वाह उसका इल्म मूसी यानी वसियत करने वाले को हो या न हो या
वसियत की कि मेरा तिहाई माल अम्र और बक्र के लिये है अगर बक्र ज़िन्दा हो हालांकि वह
इन्तिकाल कर चुका है या यह वसियत की कि मेरा तिहाई माल अम्र के लिये और उस शख़्स के
लिये है जो उस घर में हो और उस घर में कोई नहीं है या यह वसियत की कि मेरा तिहाई माल
अम्र के लिये और उसके बाद होने वाले बेटे के लिये या यह कहा कि मेरा तिहाई माल अम्र के लिये
और बक्र के बेटे के लिये और बक्र का बेटा वसियत करने वाले से पहले मरगया तो इस तमाम
सूरतों में उसका तिहाई माल पूरा पूरा सिर्फ़ अकेले अम्र को मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.105)
मसअला.20:– किसी ने वसियत की कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के मा'बैन तक़सीम
करदिया जाये और बक्र का उस वक़्त इन्तिक़ाल होचुका हो, या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद
और बक्र के दरम्यान तक़सीम करदिया जाये अगर वह मेरे बाद जिन्दा हो, या यह कहा कि मेरा
तिहाई माल ज़ैद और फ़क़ीर के मा'बैन तक़सीम हो फिर उसका इन्तिक़ाल होगया और फ़क़ीर
ज़िन्दा है या मर चुका या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के मा'बैन तक़सीम हो अगर
बक्र घर में हो और वह घर में नहीं है या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और बक्र के लड़के के
दरम्यान तक़सीम हो और बक्र के यहाँ लड़का पैदा हुआ या लड़का मौजूद था फिर मरगया और
दूसरा लड़का पैदा होगया, या यह कहा कि मेरा तिहाई माल ज़ैद और फुलाँ के लड़के के मा'बैन
तक़सीम हो अगर वह लड़का फ़क़ीर हो, और वह लड़का फ़क़ीर व मोहताज न हुआ था यहाँ तक
कि मूसी का इन्तिक़ाल होगया, या यह वसियत की कि यह मेरा तिहाई माल ज़ैद और उसके
वारिस् के लिये है, या ज़ैद और उसके दो बेटों के लिये है और उसके बेटा सिर्फ़ एक है तो उन
तमाम सूरतों में ज़ैद को निस्फ़ सुलुस् यानी उसके माल का छठा हिस्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.105)
मसअला.21:– मूसी (वसियत करने वाला) ने ज़ैद और अम्र के लिये अपने सुलुस् माल (तिहाई माल) की
वसियत की या यह कहा कि मेरा सुलुस् माल ज़ैद और अम्र के मा'बैन तक़सीम किया जाये फिर
मूसी का इन्तिक़ाल होगया उसके बाद ज़ैद और अम्र दोनों में से किसी एक का इन्तिक़ाल होगया
तो जो ज़िन्दा रहा उसको सुलुस् माल (तिहाई माल) का आधा मिलेगा और आधा मरने वाले के
वारिसों को मिलेगा यही हुक्म उस वक़्त है जब मूसी के इन्तिक़ाल के बाद मूसा'लहुमा यानी ज़ैद
और अम्र में से किसी के वसियत क़बूल करने से पहले एक का इन्तिक़ाल होजाये और दूसरा जो
ज़िन्दा रहा उसने वसियत को क़बूल करलिया तो दोनों वसियत के माल के मालिक होंगे आधा
ज़िन्दा को और आधा मरने वाले के वारिसों को मिलेगा, और अगर उन दोनों में से एक वसियत
करने वाले से पहले इन्तिक़ाल कर गया तो उसका हिस्सा मूसी को वापस होजायेगा(आलमगीरी)
मसअला.22:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल (तिहाई माल) ज़ैद के लिये है और उसके लिये
जो अब्दुल्लाह के बेटों में से मोहताज व फ़क़ीर हो फिर मूसी (वसियत करने वाले) का इन्तिक़ाल
होगया और अब्दुल्लाह के सब बेटे उस वक़्त ग़नी और मालदार हैं तो उसका सुलुस् माल सबका
सब ज़ैद को मिल जायेगा, और अगर मूसी की मौत से क़ब्ल अब्दुल्लाह के कुछ बेटे (यानी सब नहीं)
ग़रीब व फ़क़ीर होगये तो उसका सुलुस् माल ज़ैद और अब्दुल्लाह के ग़रीब बेटों के दरम्यान बहिस्से
–ए–मसावी उनकी तादाद के मुताबिक़ तक़सीम होगा और अगर अब्दुल्लाह के सब ही बेटे ग़रीब व
फ़क़ीर हैं तो उनको कुछ हिस्सा न मिलेगा वसियत का कुल माल ज़ैद को मिल जायेगा(आलमगीरी जि.6)
मसअला.23:– एक औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसने अपने वारिसों में सिर्फ़ अपना शौहर छोड़ा और
अपने निस्फ़ माल की वसियत करदी किसी अजनबी शख़्स के लिये, तो यह वसियत जाइज़ है इस
सूरत में शौहर को सुलुस् मिलेगा, अजनबी को निस्फ़, बचा सुदुस (छठा हिस्सा) वह बैतुल'माल में

जमा होगा, तकसीम इस तरह होगी कि पहले मुतवफ्फ़िया के माल से ब'क़द्रे सुलुस् माल के निकाल लिया जायेगा क्योंकि वसियत विरासत पर मुकद्दम है तिहाई माल निकालने के बाद दो तिहाई माल बाकी बचा इस में से निस्फ़ शौहर को विरासत में दिया जायेगा जो कि कुल माल के एक सुलुस् के बराबर है अब बाक़ी रहा एक सुलुस् इस का कोई वारिस् है ही नहीं लिहाज़ा मुतवफ्फ़िया की बाक़ी वसियत उसमें से जारी होगी और मूसा'लहू जिसको सुलुस् मिला था उसका निस्फ़ पूरा करने के लिये इस बक़िया सुलुस् में से एक हिस्सा देकर उसका निस्फ़ पूरा कर दिया जायेगा अब बाक़ी बचा एक सुदुस (छठा हिस्सा) वह बैतुल'माला में जमअ् होगा क्योंकि उसका कोई वारिस् नहीं है। (आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअ्ला.24:– शौहर का इन्तिकाल हुआ वारिसों में उसने एक बीवी छोड़ी और अपने कुल माल की किसी अजनबी के लिये वसियत करदी लेकिन उसकी ज़ौजा ने इस वसियत को जाइज़ न कहा तो उसका कुल माल छः हिस्सों में तक़सीम होकर एक हिस्सा ज़ौजा को और पाँच हिस्सा अजनबी को मिलेंगे जिसके हक़ में कुल माल की वसियत की थी, माले तर्का की तक़सीम इस तरह होगी कि कुल माल के छः हिस्से करके पहले उसमें से एक सुलुस यानी दो हिस्से अजनबी को मिलेंगे क्योंकि वसियत विरासत पर मुक़द्दम है बक़िया चार हिस्सों में से एक रुबअ् बीवी को मिलेगा बाक़ी रहे तीन हिस्से यह भी अजनबी को मिल जायेंगे क्योंकि वसियत बैतुल'माल पर भी मुक़द्दम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– यह वसियत की मेरा सुलुस् माल फुलां के बेटों के लिये है और ब'वक़्ते वसियत फुलाँ के बेटे नहीं थे बाद में पैदा हुए इसके बाद मूसी (वसियत करने वाले) का इन्तिकाल हुआ तो उसका तिहाई माल उस फुलाँ के बेटों में तक़सीम होगा और अगर ब'वक़्ते वसियत फुलाँ के बेटे मौजूद थे लेकिन वसियत करने वाले ने न उन बेटों के नाम लिये न उनकी तरफ़ इशारा किया (यानी इस तरह कहना कि उन बेटों के लिये) तो यह वसियत उन बेटों के हक़ में नाफ़िज़ होगी जो मूसा'लहू की मौत के वक़्त मौजूद होंगे ख़्वाह यह बेटे वही हों जो ब'वक़्ते वसियत मौजूद थे या वह बेटे मर गये हों और दूसरे पैदा हुए और अगर ब'वक़्ते वसियत फुलाँ के बेटों में स हर एक का नाम लिया था या उनकी तरफ़ इशारा करदिया था तो यह वसियत ख़ास उन्हीं के हक़ में होगी अगर उनका इन्तिक़ाल मूसी की मौत से पहले होगया तो वसियत बातिल ठहरेगी।(आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअ्ला.26:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल अब्दुल्लाह और ज़ैद और अम्र के लिये है और अम्र को इस में से सौ रुपये दें और उसका तिहाई माल कुल सौ ही रुपये हैं तो यह कुल अम्र को मिलेगा और अगर इसका तिहाई माल एक सौ पचास रुपये है तो इस सूरत में सौ रुपये अम्र को और बाक़ी पचास में आधा आधा अब्दुल्लाह और ज़ैद को मिलेंगे।(आलमगीरी जि.6 स.105)

मसअ्ला.27:– किसीके लिये सुलुस् माल की वसियत करदी और वसियत करने वाले की मिल्कियत में ब'वक़्ते वसियत कोई माल ही न था बाद में उसने कमा लिया तो ब'वक़्ते मौत वह जितने माल का मालिक है उसका सुलुस् मूसा'लहू (जिस के हक में वसियत की) को मिलेगा जब कि मूसा'बिही शय मुअय्यन और नोअ् मुअय्यन न हो। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.28:– अगर किसी ने अपने माल में से किसी ख़ास किस्म के माल के सुलुस् हिस्से की वसियत की मसलन कहा कि मेरी बकरियों या भेड़ों का तिहाई हिस्सा फुलाँ को दिया जाये और यह बकरियाँ या भेड़ें मूसी की मौत से पहले हलाक होजायें तो यह वसियत बातिल होजायेगी हत्ता कि उसने उनके हलाक होने के बाद दूसरी बकरियाँ या भेड़ें ख़रीदी तो मूसा'लहू का उन बकरियों या भेड़ों में कोई हिस्सा नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.29:– वसियत करने वाले ने वसियत की कि फुलाँ के लिये मेरे माल से एक बकरी है और उसके माल में बकरी मौजूद नहीं तो मूसा'लहु को बकरी की क़ीमत दी जायेगी और अगर यह कहा था कि फुलाँ के लिये एक बकरी है यह नहीं कहा था कि "मेरे माल से" और उसकी मिल्कियत में

बकरी नहीं है तो ब'क़ौले बाज़ वसियत सहीह नहीं और बक़ौले बाज़ वसियत सहीह है और अगर यूँ वसियत की कि फुलाँ के लिये मेरी बकरियों में से एक बकरी है और इस की मिल्कियत में बकरी नहीं है तो वसियत बातिल ठहरेगी इसी उसूल पर गायें, भैंस और ऊंट के मसाइल का इस्तिख़राज किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.30:– यह वसियत की कि मेरे माल का तिहाई हिस्सा सदक़ा कर दिया जाये और किसी शख़्स ने वसी से वह माल ग़स्ब कर लिया और ज़ाइअ् करदिया और वसी यह चाहता है कि वसियत के इस माल को इस ग़ासिब पर भी सदक़ा करदे और ग़ासिब इस माल का इक़रारी है तो यह जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.31:– वसियत करने वाले ने कहा कि मैं ने तेरे लिये अपने माल से एक बकरी की वसियत की तो इस वसियत का तअ़ल्लुक़ उस बकरी से न होगा जो वसियत करने के दिन उसकी मिल्कियत में थी बल्कि उसका तअ़ल्लुक़ उस बकरी से होगा जो मूसी की मौत के दिन उसकी मिल्कियत में होगी और जब यह वसियत सहीह है तो मूसी की मौत के बाद अगर उसके माल में बकरी है तो वारिसों को इख़्तियार है अगर वह चाहें तो मुसा'लहू को बकरी देदें या चाहें तो बकरी की क़ीमत देदें। (आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स ने कहा कि मेरा सुर्ख़ रंग का अ़ज्मियुन्नस्ल घोड़ा फुलाँ के लिये वसियत है तो यह वसियत उसमें जारी होगी जिसका वह वसियत के दिन मालिक था न कि उस में जो वह बाद में हासिल करले हाँ अगर उसने यह कहा कि मेरे घोड़े फुलाँ के लिये वसियत हैं और उनकी तअ़ईन या तख़सीस न की तो इस सूरत में वसियत ब'वक़्ते वसियत मौजूद घोड़ों और बाद में हासिल किये जाने वाले घोड़ों दोनों को शामिल होगी। (आलमगीरी जि.6 स.160)

मसअ्ला.33:– अगर किसी ने अपने सुलुस् माल की फुलाँ शख़्स और मसाकीन के लिये वसियत की तो इस सुलुस् माल का निस्फ़ फुलाँ को दिया जायेगा और निस्फ़ मसाकीन को(आलमगीरी स.6 जि.106)

मसअ्ला.34:– किसी ने अपने सुलुस् माल की वसियत एक शख़्स के लिये की फिर दूसरे शख़्स से कहा कि मैंने तुझे इस वसियत में उसके साथ शरीक कर दिया तो यह सुलुस् उन दोनों के लिये है और अगर एक के लिये सौ रुपये की वसियत की और दूसरे के लिये सौ की फिर तीसरे शख़्स से कहा कि मैंने तुझे उन दोनों के साथ शरीक किया तो तीसरे के लिये हर सौ में तिहाई हिस्सा है(आलमगीरी)

मसअ्ला.35:– किसी अजनबी शख़्स और वारिस् के लिये वसियत की तो अजनबी को वसियत का निस्फ़ हिस्सा मिलेगा और वारिस् के हक़ में वसियत बातिल ठहरेगी, इस तरह अपने क़ातिल और अजनबी के हक़ में वसियत की थी तो वसियत क़ातिल के हक़ में बातिल और अजनबी को निस्फ़ हिस्सा मिलेगा।(आलमगीरी जि.6 स.106) इसके बर'ख़िलाफ़ अजनबी या वारिस् के लिये ऐन (नक़द) या दैन का इक़रार किया तो अजनबी के लिये सहीह नहीं और वारिस् के लिए सहीह है।(आलमगीरी जि.6 स.106)

मसअ्ला.36:– मुतअ़द्दिद कमरों पर मुश्तमिल एक मकान दो आदमियों के दरम्यान मुश्तरक है उनमें से एक ने किसी के लिये एक मुअ़य्यन कमरे की वसियत करदी तो मकान तक़सीम किया जायेगा पस अगर वह मुअ़य्यन कमरा मूसी के हिस्से में आगया तो वह मूसा'लहू को देदिया जायेगा और अगर वह मुअ़य्यन कमरा दूसरे शरीक के हिस्से में आया तो मूसा'लहू को बक़द्र कमरे के ज़मीन मिलेगी। (आलमगीरी जि.6 स.107, दुर्रेमुख़्तार, रद्दुलमुहतार जि.5 स.473)

मसअ्ला.37:– वारिस् ने इक़रार किया कि उसके बाप ने फुलाँ के लिये सुलुस् माल की वसियत की और कुछ गवाहों ने गवाही दी कि उसके बाप ने किसी दूसरे के लिये सुलुस् माल की वसियत की तो फ़ैसला गवाहों की गवाही के मुताबिक़ होगा और वारिस् ने जिसके लिये इक़रार किया उसे कुछ न मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.107)

मसअ्ला.38:– अगर किसी वारिस् ने इक़रार किया कि उसके बाप ने अपने सुलुस् माल की

वसियत फुलाँ के लिये की फिर उसके बाद कहा कि बल्कि उसकी वसियत फुलाँ के लिये की तो इस सूरत में जिसके लिये पहले इक़रार किया उसको मिलेगा और दूसरे के लिए कुछ नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.107) और अगर उसने दोनों के लिए मुत्तसिलन बिला फ़स्ल (दोनों को मिलाकर एक साथ) इक़रार किया तो सुलुस् माल दोनों के मा'बैन निस्फ़–निस्फ़ कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.107)

मसअ्ला.39:– वारिस् तीन हैं और माल तीन हज़ार है हर वारिस् ने एक एक हज़ार पाया फिर उनमें से एक ने इक़रार किया कि उस के बाप ने फुलाँ के लिये सुलुस् माल की वसियत की थी और बाक़ी दो वारिसों ने इन्कार किया तो इक़रार करने वाला अपने हिस्से में से एक तिहाई इस को देगा जिसके लिये उसने इक़रार किया। (आलमगीरी जि.6 स.107)

मसअ्ला.40:– अगर दो बेटों में से एक ने तक़सीमे तर्का के बाद इक़रार किया कि मरहूम बाप ने सुलुस् माल की वसियत फुलाँ के लिये की थी तो इसका इक़रार सहीह है और इस इक़रार करने वाले ही के हिस्से के सुलुस् में नाफ़िज़ होगी। (दुर्रेमुख्तार) और यही हुक्म इस सूरत में है कि जबकि इसके कई बेटों में से एक ने इक़रार किया हो तो इक़रार करने वाले के हिस्से के सुलुस् में वसियत नाफ़िज़ होगी। (मजमअ् व रद्दुल'मुहतार जि.5 स.473)

मसअ्ला.41:– वारिस् दो हैं और माल एक हज़ार नक़्द है और एक हज़ार उनमें से एक पर उधार है फिर उस वारिस् ने जिस पर उधार नहीं है इक़रार किया कि उसके बाप ने किसी के हक़ में एक सुलुस् की वसियत की थी तो उस एक हज़ार नक़्द में से तिहाई हिस्सा लेकर मूसा'लहू को दिया जायेगा और इक़रार करने वाले को बाक़ी दो तिहाई मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.107)

तम्बीहः– मूसा'बिही से पैदा होने वाली कोई भी ज़्यादती जैसे बच्चा, या ग़ल्ला वग़ैरा अगर मूसी की मौत के बाद और मूसा'लहू की क़बूले वसियत से पहले हो तो ज़्यादती और इज़ाफ़ा मूसा'बिही में शुमार होगा और सुलुस् माल में शामिल होगा लेकिन अगर यह इज़ाफ़ा और ज़्यादती मूसा'लहू के क़बूले वसियत के बाद मगर माल तक़सीम होने से पहले हो तब भी वह मूसा'लहू में शामिल होगी (आलमगीरी ब'हवाला मुहीतुस्सर्ख़सी जि.6 स.107) मिसाल के तौर पर एक शख़्स के पास छः सौ दिरहम और एक लौन्डी क़ीमती तीन सौ दिरहम की हैं उसने किसी आदमी के लिये लौन्डी की वसियत की और मरगया फिर लौन्डी ने एक बच्चा जना जिसकी क़ीमत तीन सौ दिरहम के बराबर है पस यह विलादत अगर तक़सीमे माल और क़बूले वसियत से पहले हुई तो मूसा'लहू को वसियत में वह लौन्डी मिलेगी और उस बच्चे का तिहाई हिस्सा, और अगर मूसा'लह के वसियत क़बूल करने के बाद और माल तक़सीम होजाने के बाद विलादत हुई तो बिला इख़्तिलाफ़ मूसा'लहू की मिल्कियत है और अगर मूसा'लहू ने वसियत क़बूल करली थी और माल अभी तक़सीम न हुआ था कि लौन्डी के बच्चा पैदा होगया तब भी वह मूसा'बिही में शामिल होगा जैसाकि क़बूले वसियत से क़ब्ल की सूरत में वह मूसा बिही में शामिल किया गया था और अगर लौन्डी ने मूसी की मौत से पहले बच्चा जना तो वह वसियत में दाख़िल न होगा। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.108)

बेटे का अपने मरज़ुल मौत में अपने बाप की वसियत को जाइज़ और अपने ऊपर या अपने बाप के ऊपर दैन (उधार)का इक़रार करने का बयान

मसअ्ला.1:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ और उसने तीन हज़ार रुपये और एक बेटा छोड़ा और दो हज़ार रुपये की किसी शख़्स के लिये वसियत की फिर बेटे ने अपने मर्ज़ुल'मौत में इस वसियत को जाइज़ कर दिया और मरगया और बेटे का ब'जुज़ इस वारिस् के और कोई माल भी नहीं तो इस सूरत में मूसा'लहू एक हज़ार रुपये तो बेटे की इजाज़त के बिग़ैर ही पाने का मुस्तहक़ है और बक़िया दो हज़ार में से एक सुलुस् और पायेगा जो कि बेटे के माल का तिहाई हिस्सा होता है(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.2:– वारिस् की तरफ़ से मरज़ुल'मौत में अपने मूरिस् की वसियत को जाइज़ करना ब'मन्ज़िला वसियत करने के है इसी तरह मर्ज़ुल'मौत में अपनी मौत के बाद गुलाम को आज़ाद

करना भी ब'मन्जिला वसियत के है और जब दो वसियतें जमअ् हों जिनमें से एक इत्क (आज़ाद करना) हो तो इत्क मुकद्दम व औला है और दैन (यानी उधार) मुकद्दम है वसियत पर।(आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.3:– वारिस् ने अगर ब'हालते सेहत व तन्दुरुस्ती अपने मूरिस् की वसियत को जाइज कर दिया तो वह औला और मुकद्दम है इत्क से, और उधार के इकरार से और वसियत से (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.4:– वारिस् ने अगर ब'हालते सेहत अपने बाप की वसियत को जाइज करदिया फिर अपने बाप पर उधार होने का इकरार किया तो पहले बाप की वसियत पूरी की जायेगी इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो उधार वालों को अदा किया जायेगा लेकिन वारिस् कमी की सूरत में उन उधार वालों के उधार की कामिल अदायगी का जिम्मेदार होगा हाँ अगर वसियत पूरी करने के बाद इतना माल बच रहा है कि उधार की कामिल अदायगी होजाये तो उधार का इकरार करने के बाद वह इस की कामिल अदायगी का जिम्मेदार है और अगर बचा हुआ माल कर्ज़ की अदायगी के लिये पूरा न हो तो इकरार करने वाला वारिस् इतना अदा करने का ज़ामिन होगा जितने का उसने इकरार किया है। (आलमगीरी जि.5 स.108)

मसअ्ल.5:– एक शख़्स ने अपने बाप पर दैन का दअ्वा किया और मूसा'लहू ने मय्यित की तरफ़ से दअ्वा किया कि उसने अपने बाप की वसियत को जाइज़ कर दिया है और उस शख़्स ने उन दोनों बातों की तस्दीक़ की तो दैन की अदायगी मुकद्दम होगी और वह साहिबे इजाज़त के लिये किसी चीज़ का जिम्मेदार न होगा ख़्वाह उसने यह तस्दीक ब'हालते सेहत की हो या बहालते मर्ज़। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.6:– मरीज़ वारिस् ने अपने बाप की वसियत को जाइज़ किया फिर उसने अपने बाप पर दैन (उधार) का इक़रार किया और अपनी ज़ात पर भी दैन का इक़रार किया तो पहले बाप का दैन अदा किया जायेगा फिर उसका अपना दैन अदा किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.7:– वारिस् ने अपने बाप की वसियत की इजाज़त देदी फिर अपनी ज़ात पर दैन का इक़रार किया तो दैन मुकद्दम व औला है पहले दैन अदा होगा उसके बाद देखा जायेगा अगर दैन की अदायगी के बाद कुछ बच रहे तो अगर उस वारिस् के वुरसा ने इस वसियत को जाइज़ नहीं किया जिसको वारिस् ने जाइज़ कर दिया था तो बकिया माल का सुलुस् उस वसियत में दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.8:– एक मरीज़ जिसके पास दो हज़ार रुपये हैं और इसके पास उनके इलावा और कोई माल नहीं उसका इन्तिकाल हुआ इसने किसी शख़्स के लिये उनमें से एक हज़ार रुपये की वसियत करदी और एक दूसरे शख़्स के लिये बकिया एक हज़ार की वसियत करदी और उसके वारिस् बेटे ने इसकी उन दोनों वसियतों को यके बाद दीगरे अपनी बीमारी की हालत में जाइज़ कर दिया और इस वारिस् बेटे के पास सिवाए उन दो हज़ार रुपये के जो विरासत में मिले और माल नहीं है तो इस सूरत में उन दो हज़ार का तिहाई हिस्सा उन दोनों को निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम कर दिया जायेगा जिनके लिये मय्यिते अव्वल ने वसियत की थी। (आलमगीरी जि.6 स.108)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स के पास एक हज़ार दिरहम हैं उसने उनकी किसी शख़्स के लिये वसियत करदी और इन्तिकाल करगया उसका वारिस् जो उसके माल का मालिक हुआ उसकी मिल्कियत में भी एक हज़ार दिरहम थे (यानी उसके पास कुल दो हज़ार दिरहम होगये) फिर उस वारिस् ने किसी शख़्स के लिये अपने ज़ाती एक हज़ार दिरहम की और उन एक हज़ार दिरहम की जो विरासत में मिले थे दोनों की वसियत करदी फिर उस वारिस् का इन्तिकाल होगया और उसने अपना एक वारिस् छोड़ा उसने अपने बाप और अपने दादा की वसियत को अपने मर्ज़ुल'मौत में जाइज़ कर दिया और मरगया और उस मरने वाले का ब'जुज़ उस तर्का के और कोई माल नहीं तो इस सूरत में पहले वाले मूसा'लहू को यानी दादा के मूसा'लहू को पहले एक हज़ार दिरहम का एक सुलुस् वसियत जाइज़ किये बिग़ैर ही मिलेगा फिर बाक़ी दो तिहाई को दूसरे एक हज़ार दिरहम में मिला दिया जायेगा और इस मजमूआ का एक सुलुस् मूसा'लहू दोम को यानी उस मय्यित के बाप के मूसा'लहू को मिलेगा और यह भी मय्यित को जाइज़ किये बिग़ैर ही देदिया जायेगा। यह सुलुस् अदा करने के बाद इस

तीसरी मय्यित के बकिया माल को देखा जाये और उसे मूसा लहू अव्वल, मूसा लहू दोम के दरम्यान वसियत जाइज़ कर देने के बाद बक़द्र अपने अपने बकिया हिस्से के तक़सीम कर दिया जायेगा(आलमगीरी)

किस हालत में वसियत मोअ्तबर है

मसअ्ला.1:– मरीज़ ने किसी औरत के लिये दैन (उधार) का इक़रार किया या उसके लिये वसियत की या उसे कुछ हिबा किया उसके बाद फिर उससे निकाह कर लिया इसके बाद उस मरीज़ का इन्तिकाल होगया। तो उसका इक़रार जाइज़ है और वसियत और हिबा बातिल है।(आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.2:– मरीज़ ने अपने काफ़िर बेटे या गुलाम के लिये वसियत की या उसे कुछ हिबा किया और सौंप दिया या उसके लिये दैन का इक़रार किया बाद में वह काफ़िर बेटा मुसलमान होगया या गुलाम आज़ाद होगया और यह मरीज की मौत से पहले होगया तो यह वसियत या हिबा या इक़रार बातिल होजायेगा। (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.3:– मरीज़ ने वसियत की इस हालत में कि वह ज़ोअ्फ़ व नाताक़ती(कमजोरी)की वजह से बात करने पर क़ादिर न था उसने सर से इशारा किया और यह मालूम हो कि अगर उसका इशारा समझ लिया गया तो वह जान लेगा कि उसका इशारा समझ लिया गया है तो उसकी वसियत जाइज़ है वरना नहीं। यह उस सूरत में है कि वह मरीज़ कलाम करने पर कुदरत हासिल होने से क़ब्ल ही इन्तिक़ाल कर जाये क्योंकि इस सूरत में यह ज़ाहिर होगा कि उसके कलाम करने से ना'उम्मीदी होगई लिहाज़ा वह आख़िरी यानी गूंगे की तरह है(खिजानतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.4:– जिसके हाथ मारे गये हों या जिसके पैर मारे गये हों, फालिज'ज़दा और तपे'दिक़ का मारा जबकि उनके अमराज़ को लम्बी मुद्दत गुज़र जाने और उन मर्ज़ों की वजह से मौत का अन्देशा न रहे तो यह सब सहीहुल'जिस्म के हुक्म में हैं कि अगर यह अपना तमाम माल हिबा करदें तो हिबा करना सहीह है लेकिन अगर दोबारा उनको मर्ज़ हो तो वह ब'मन्ज़िला–ए–नये मर्ज़ के है अगर उस वक़्त उनकी मौत का अन्देशा हो तो यह उन का मर्जुल'मौत होगा लिहाज़ा ऐसी सूरत में उनका हिबा करना सिर्फ़ तिहाई माल में मोअ्तबर होगा यानी वह अपना तिहाई माल हिबा कर सकते हैं ज़्यादा नहीं। (काफी अज आलमगीरी जि.6 स.109) अगर उसे इन अमराज़ में से कोई मर्ज़ लाहिक़ हुआ और वह साहिबे फराश हुआ तो यह उस का मर्जुल'मौत होगा और उसका हिबा सुलुस् माल में जारी होगा। (काफी अज़ आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.5:– किसी ने वसियत की फिर उस पर जुनून तारी होगया अगर उसका जुनून मुत़बक़ है (यानी हमा वक़्त मुस्तकिल है) तो मुआमला क़ाज़ी की राय पर है अगर वह उस की वसियत को जाइज़ क़रार दे तो जाइज़ है वरना बातिल और अगर जुनून से अच्छा होने की मीआद मुक़र्रर करने की ज़रूरत हो तो फ़तवा इस पर है कि हक़्क़े तसर्रुफ़ात में जुनूने मुत़बक़ की मुद्दत एक साल मुक़र्रर की जाती है। (ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स109)

मसअ्ला.6:– जो शख़्स क़ैदखाने में महबूस है क़िसास में क़त्ल किया जाये या रज्म (संगसार) किया जाये वह मरीज़ के हुक्म में नहीं है। (आलमगीरी) लेकिन जब वह क़त्ल करने के लिये निकाला जाये इस हालत में वह मरीज़ के हुक्म में दाख़िल है। (आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.7:– जो शख़्स मैदाने कारज़ार में क़िताल करने वालों की सफ़ में हो वह सहीह व तन्दुरुस्त के हुक्म में है लेकिन जब वह जंग व क़िताल शुरूअ् करदे तो मरीज़ के हुक्म में है(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– जो शख़्स कश्ती में सफ़र कर रहा है उसका हुक्म सहीह व तन्दुरुस्त आदमी का है लेकिन अगर दरया में ज़ब्र'दस्त तमव्वुज (मंझधार) हो कि कश्ती डूब जाने का अन्देशा हो तो इस हालत में वह मरीज़ के हुक्म में है। (आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.9:– क़ैदी क़त्ल के लिये लाया गया लेकिन क़त्ल नहीं किया गया क़ैदख़ाना वापस भेज दिया गया या जंग करने वाला जंग के बाद ब'ख़ैरियत अपनी सफ़ में वापस आगया या दरिया का तमव्वुज ठहर गया और कश्ती सलामत रही तो उन सूरतों में इस शख़्स का हुक्म उस मरीज़ जैसा

है जो अपने मर्ज़ से शिफ़ा पागया, अच्छा होगया अब इस के तमाम तसर्रुफ़ात इस के तमाम माल में नाफ़िज़ होंगे। (शरहुत्तहावी अज आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.10:– मजजूम (कोढ़ी) और बारी से निजात वाला ख़्वाह चौथे दिन बुख़ार आता हो या तीसरे दिन यह लोग अगर साहिबे फ़राश हों तो उस मरीज़ के हुक्म में हैं जो मर्ज़ुल मौत में है (आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.11:– किसी शख़्स पर फ़ालिज गिरा और उसकी ज़बान जाती रही यानी बेकार होगई या कोई शख़्स बीमार हुआ और कलाम करने पर कुदरत नहीं फिर उसने कुछ इशारे से कहा या कुछ लिख दिया और उसका यह मर्ज़ तवील हुआ यानी एक साल तक चलता रहा तो वह ब'मन्ज़िला गूंगे के है। (ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी जि.6 स.109)

मसअ्ला.12:– औरत को दर्दे ज़ह (बच्चे की पैदाइश के वक़्त दर्द) हुआ इस हालत में वह जो कुछ करे उसका निफ़ाज़ सुलुस् माल में होगा और अगर वह इस दर्देज़ेह से जांबर होगई (मरगई) तो जो कुछ उसने किया पूरा पूरा नाफ़िज़ होगा। (शरहुत्तहावी अज आलमगीरी जि.6 स.109)

कौनसी वसियत मुक़द्दम है कौनसी मुअख़्ख़र

मसअ्ला.1:– जब मुतअद्दिद वसियतें जमअ् होजायें तो इस में बहुत सी सूरतें हैं अगर सुलुस् माल से वह तमाम वसियतें पूरी हो सकती हैं तो वह पूरी करदी जायेगी और अगर सुलुस् माल में वह तमाम वसियतें पूरी नहीं हो सकतीं लेकिन वुरसा ने उनको जाइज़ करदिया तब भी वह तमाम वसियतें अदा की जायेंगी लेकिन अगर वुरसा ने इजाज़त न दी तो देखा जायेगा कि आया वह तमाम वसियतें अल्लाह तआला के लिये हैं या बाज़ तक़र्रुब इलल्लाह (अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल करने) के लिये और बाज़ बन्दों के लिये या कुल वसियतें बन्दों के लिये हैं अगर कुल वसियतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये हैं तो देखा जायेगा कि आया वह कुल एक ही दर्जा के फ़राइज़ से हैं या कुल वसियतें वाजिबात से हैं या कुल की कुल नवाफ़िल से हैं अगर कुल वसियतें एक ही दर्जा के फ़राइज़ से हैं तो पहले वह वसियतें पूरी की जायेंगी जिसका ज़िक्र मूसी ने पहले किया (आलमगीरी)

मसअ्ला.2:– हज और ज़कात में अगर हज फ़र्ज़ है तो वह ज़कात पर मुक़द्दम है ख़्वाह मूसी ने ज़कात का ज़िक्र पहले किया हो और कफ़्फ़ारए क़त्ल और कफ़्फ़ारए यमीन में उस को मुक़द्दम किया जायेगा जिसको मूसी ने मुक़द्दम किया और माहे रमज़ान के रोज़े तोड़ने के कफ़्फ़ारा में और क़त्ले ख़ता के कफ़्फ़ारा में कफ़्फ़ारा–ए–क़त्ले ख़ता मुक़द्दम होगा (ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी स.115)

मसअ्ला.3:– हज और ज़कात मुक़द्दम हैं कफ़्फ़ारात पर और कफ़्फ़ारात मुक़द्दम हैं सदक़तुल फ़ित्र पर और सदक़तुल'फ़ित्र मुक़द्दम है कुर्बानी पर, और अगर कुर्बानी से पहले मन्ज़ूर'बिही (जिसकी मिन्नत मानी गई) को ज़िक्र किया तो मन्ज़ूर'बिही मुक़द्दम है कुर्बानी पर और कुर्बानी मुक़द्दम है नवाफ़िल पर। (आलमगीरी) और उन सब पर एअ्ताक़ मुक़द्दम है ख़्वाह एअ्ताक़ मुन्जिज़ हो या एअ्ताक़ मुअल्लक़ बिल'मौत हो। (आलमगीरी जि.6 स.115)

मसअ्ला.4:– हज की वसियत की और कुछ दीगर तक़र्रुब इलल्लाहि तआला चीज़ों की वसियत की और मस्जिदे मुअय्यन के मुसालेह़ के लिये (मस्जिद की मरम्मत वग़ैरह के लिये) और किसी क़ौम के कुछ मख़्सूस व मुशख़्ख़स लोगों के लिये वसियत की और सुलुस् माल में यह सब पूरी नहीं हुई तो सुलुस् माल को उनके मा'बैन तक़सीम कर दिया जायेगा जितना माल मुशख़्ख़स व मुअय्यन लोगों को मिलेगा उसमें से वह अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और जितना माल तक़र्रुब इलल्लाह के हिस्से में आयेगा अगर उनमें सिवाए हज के कोई दूसरा वाजिब नहीं है तो हज मुक़द्दम है अगर यह तमाम माल हज ही के लिये पूरा होगया तो तक़र्रुब इलल्लाहि तआला की बक़िया वसियतें बातिल ठहरेंगी और अगर कुछ बच गया तो तक़र्रुब की वह वसियतें मुक़द्दम है जिस को मूसी ने पहले ज़िक्र किया (आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.5:– कुछ वसियतें अल्लाह तआला के लिये हैं और कुछ बन्दों के लिये तो अगर मूसी ने क़ौम के ख़ास मुअय्यन लोगों के लिये वसियत की तो वह सुलुस् माल में शरीक हैं उनको सुलुस्

माल में जो हिस्सा मिलेगा वह तक़दीम व ताख़ीर उन सब के लिये है और जो हिस्सा सुलुस् माल में से अल्लाह तआ़ला के तक़र्रुब के लिये मिलेगा उसमें फ़राइज़ मुक़द्दम होंगे फिर वाजिबात फिर नवाफ़िल। (आलमगीरी जि.6 स.115)

मसअ्ला.6:– अगर यह वसियत की कि मेरा तिहाई माल हज, ज़कात, कफ़्फ़रात में और ज़ैद के लिये है इस सूरत में सुलुस् माल चार हिस्सों में तक़सीम होगा एक हिस्सा मूसा'लहू ज़ैद के लिये एक हिस्सा हज के लिये एक हिस्सा ज़कात के लिये और एक हिस्सा कफ़्फ़ारात के लिये(आलमगीरी)

मसअ्ला.7:– कुल वसियतें बन्दों के लिये हैं इस सूरत में अक़वा, ग़ैर अक़वा पर (यानी ज्यादा ताक़तवर ग़ैर ताक़तवर पर) मुक़द्दम होगी इस का लिहाज़ न किया जायेगा कि मय्यित ने किस का ज़िक्र पहले किया था और किस का बाद में अगर वह सब कुव्वत में बराबर हों तो हर एक को सुलुस् माल में से ब'क़द्र इस के हक़ के मिलेगा और अव्वल व आख़िर का लिहाज़ न होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.8:– अगर तमाम वसियतें नवाफ़िल की क़िस्म से हों और उनमें कोई चीज़ मख़्सूस व मुअ़य्यन न हो तो ऐसी सूरत में मय्यित ने जिसका ज़िक्र पहले किया वह मुक़द्दम होगी।(ज़ाहिरुर्रिवाया अज़ आलमगीरी जि.6 स.115) जैसे उसने वसियत की कि मेरा नफ़्ली हज करा देना या एक जान मेरी तरफ़ से आज़ाद कर देना या उसने वसियत की कि मेरी तरफ़ से ग़ैर मुअ़य्यन फ़ुक़रा पर सदक़ा कर देना तो इन सूरतों में जिस का ज़िक्र पहले किया वह पूरी की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.115)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने वसियत की कि सौ दिरहम फ़ुक़रा को दिये जायें और सौ दिरहम अक़रबा (क़रीबी लोगों) को और उसकी छूटी हुई नमाज़ों के बदले में खाना खिलाया जाये, फिर उसका इन्तिक़ाल होगया और उस पर एक माह की नमाज़ें बाक़ी थीं और उसका सुलुस् माल तमाम वसियतों के लिये नाकाफ़ी है तो इस सूरत में सुलुस् माल को इस तरह तक़सीम किया जायेगा कि सौ दिरहम फ़ुक़रा पर और सौ दिरहम अक़रबा पर और उसकी हर नमाज़ के बदले निस्फ़ साअ़ गेहूँ की जो क़ीमत हो उस पर, पस जो हिस्सा अक़रबा को पहुँचेगा वह उनको देदिया जायेगा और जो हिस्सा फ़ुक़रा और खाने का है उससे खाना खिलाया जाये और जो कमी पड़ेगी वह फ़ुक़रा के हिस्से में आयेगी। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअ्ला.10:– हज्जतुल'इस्लाम यानी हज फ़र्ज़ की वसियत की तो यह हज मरने वाले के शहर से सवारी पर कराया जायेगा लेकिन अगर वसियत के लिये ख़र्च पूरा न हो तो वहाँ से कराया जाये जहाँ से ख़र्च पूरा होजाये और अगर कोई शख़्स हज करने के लिये निकला और रास्ते में इन्तिक़ाल होगया और उसने अपनी तरफ़ से हज अदा करने की वसियत की तो उसका हज उसके शहर से कराया जाये यही हुक्म उसके लिये है जो हज्जे बदल करने वाला हज के रास्ते में मरगया वह हज्जे बदल फिर उसके शहर से कराया जाये। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.116)

अक़ारिब व हमसाया वग़ैराहुम के लिए वसियत का बयान

मसअ्ला.1:– अक़ारिब के लिये वसियत की तो वह उस के ज़ी'रहम महरम में से दर्जा ब'दर्जा ज़्यादा क़रीब के लिये है और इसमें वालिदैन दाख़िल नहीं और यह वसियत एक से ज़्यादा के लिये है। (हिदाया जि.4 आलमगीरी जि.6 स.116) इमामे आज़म अबू'हनीफ़ा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने इस सिलसिले में छः चीज़ों का एअ़तिबार फ़रमाया है पहली यह कि इस लफ़्ज़ के मुस्तहक़ मूसी के ज़ी रहम महरम हैं। दूसरी यह कि उनके बाप और माँ की तरफ़ से होने में कोई फ़र्क़ नहीं। तीसरी यह कि वह वारिसों में से न हो। चौथी यह कि ज़्यादा क़रीब मुक़द्दम होगा और अब्अद अक़रब से महजूब (महरूम) होजायेगा (अबअ़द यानी दूर का रिश्तेदार जिसके बीच में फ़ासिला हो जैसे बाप के होते हुए दादा अक़रब क़रीब का रिश्तेदार जिसके बीच में किसी रिश्ते का फ़ासिला न हो जैसे बाप) पाँचवीं यह कि मुस्तहक़ दो या दो से ज़्यादा हों और छठी यह कि इस में वालिद और वलद दाख़िल नहीं।(हिदाया मअ़ल'किफ़ाया जि.4)

मसअ्ला.2:– अक़ारिब के लिये वसियत की तो इसमें दादा और पोता दाख़िल नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअ्ला.3:– अक़ारिब के लिये वसियत की तो अगर दो चचा और दो मामूँ हैं और वह वारिस् नहीं कि मरने वाले का बेटा मौजूद है तो इस सूरत में यह वसियत दोनों चचाओं के लिये है दोनों मामूओं कि लिये नहीं। (बदाइअ् अज आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअ्ला.4:– अक़ारिब के लिये वसियत की और एक चचा और दो मामूँ हैं तो चचा को सुलुस् का निस्फ़ मिलेगा और निस्फ़ आखिर दोनों मामूओं को। (हिदाया जि.4 व आलमगीरी जि.6 स.116) और अगर फ़क़त एक ही चचा है और ज़ी रहम महरम में से कोई और नहीं तो चचा को निस्फ़ सुलुस् और बाक़ी निस्फ़ सुलुस् वुरसा पर रद होगा। (बदाइअ्)

मसअ्ला.5:– अक़ारिब के लिये वसियत की और एक चचा और एक फूफी एक मामूँ और एक खाला छोड़े तो यह वसियत चचा और फूफी के दरम्यान बराबर तक़सीम की जायेगी।(आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअ्ला.6:– अपने ज़ी क़राबत या अपने रहम के लिये वसियत की और एक चचा और एक मामूँ छोड़े तो इस सूरत में अकेला चचा कुल वसियत का मालिक होगा। (आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअ्ला.7:– अपने अहले बैत के लिये वसियत की तो इसमें उसके मूरिसे आ'ला (अक़सल'अब फिल'इस्लाम) की तमाम औलाद शामिल होंगी यहाँ तक कि अगर मूसी अलवी है तो इस की वसियत में हर वह शख़्स शामिल होगा जो अपने बाप की तरफ़ से हज़रत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मन्सूब है। (आलमगीरी जि.6 स116)

मसअ्ला.8:– अपने नसब या हस्ब के लिये वसियत की तो वह उसके हर उस रिश्तेदार के लिये है जिसका नस्ब उसके मूरिसे आ'ला (अक़सा अल'अब)से साबित है। (आलमगीरी जि.6 स.116)

मसअ्ला.9:– अपने सुलुस् माल की वसियत की अपने अहल के लिये या दोनों के अहल के लिये की तो यह खा़स तौर से ज़ौजा के लिये है मगर इस्तिहसानन तमाम घर वालों के लिये है जो इस की एयालदारी में हैं और जिस के नफ़्क़ा का वह कफ़ील है लेकिन इसमें उसके गुलाम शामिल नहीं (आलमगीरी जि.6 स.116) और अगर उसके अहल दो शहरों में या दो घरों में रहते हैं वह भी इस वसियत में दाखि़ल हैं। (तातार खानिया अज आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअ्ला.10:– किसी ने यह कहा कि मैंने अपने सुलुस् माल की वसियत अपने क़राबतदारों और गै़र के लिये की तो यह कुल वसियत क़राबतदारों के लिये है। (आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअ्ला.11:– अपने भाईयों के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो उन तमाम भाईयों को मिलेगी जो उसके भाईयों की हैसियत से मशहूर हैं और उसकी तरफ़ मन्सूब हैं।(आलमगीरी जि.6 स.117)

मसअ्ला.12:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने ज़ौजा छोड़ी और उस ज़ौजा के सिवा उसका कोई वारिस् नहीं उसने किसी अजनबी के लिये अपने तमाम माल की वसियत की और अपनी ज़ौजा के लिये जमीअ़े माल की वसियत की तो इस सूरत में अजनबी को पहले इसके तमाम माल का सुलुस् हिस्सा मिल जायेगा बक़िया दो सुलुस् का रुबअ् (चौथाई) मीरास् में बीवी को मिलेगा जो कि कुल का छठा हिस्सा बनता है बाक़ी रह गया निस्फ़ माल तो वह उस बीवी और अजनबी में बराबर आधा–आधा तक़सीम होगा (आलमगीरी जि.6 स.117) मिसाल के तौर पर मूसी ने बारह रुपये छोड़े उसमें से एक सुलुस् यानी चार रुपये तो अजनबी को बिला मुनाज़अ़त पहले ही मिल जायेंगे बाक़ी रहे दो सुलुस् यानी आठ रुपये इस का रुबअ् यानी दो रुपये बीवी को मीरास् में मिल जायेंगे जो कि कुल का छठा हिस्सा है अब बाक़ी रहा निस्फ़ माल यानी छः रुपये तो यह अजनबी और बीवी के मा'बैन आधे–आधे तक़सीम होंगे इस तरह बीवी को इस के माल से पाँच हिस्से और अजनबी को सात हिस्से मिलेंगे।(मुअल्लिफ़)

मसअ्ला.13:– औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसने अपने तमाम माल की शौहर के लिये वसियत की और उसका कोई दूसरा वारिस् नहीं और किसी अजनबी के लिये भी तमाम माल की वसियत की या दोनों के लिये निस्फ़–निस्फ़ माल की वसियत की इस सूरत में अजनबी को पहले कुल माल का एक सुलुस् मिलेगा बक़िया दो सुलुस् में से आधा मीरास् में शौहर को मिलेगा बाक़ी रहा एक सुलुस् इस के तीन हिस्से किये

जायेंगे उनमें से एक हिस्सा अजनबी को और दो हिस्से शौहर को मिलेंगे (फतावा काजीखाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.117) इस सूरत में इस का कुल माल अठारह हिस्सों में तक़सीम होगा पहले अजनबी को छः हिस्से यानी एक तिहाई मिलेगा बाकी रहे दो तिहाई यानी बारह हिस्से इस में से आधा यानी छः हिस्से शौहर को मिलेंगे बाकी रहे छः हिस्से जो कि कुल माल का एक सुलुस् है इस में से अजनबी को एक सुलुस् यानी दो हिस्से और शौहर को दो सुलुस् यानी चार हिस्से मिलेंगे इस तरह शौहर को बीवी के कुल माल में से दस हिस्से और अजनबी को आठ हिस्से मिलेंगे। (मुअल्लिफ)

मसअ्ला.14:– औलादे फुलाँ के लिये वसियत की और फुलाँ के कोई सुल्बी औलाद ही नहीं तो इस वसियत में उसके बेटों की औलाद दाखिल होगी। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.15:– फुलाँ के वुरसा के लिये वसियत की तो वसियत इस तरह तक़सीम होगी कि मुजक्कर को दो हिस्से और मुअन्नस को एक हिस्से। (हिदाया आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.16:– फुलाँ की बेटियों (बनात) के लिये वसियत की और उसके बेटे और बेटियाँ दोनों हैं तो वसियत ख़ास तौर से बेटियों की लिये है और अगर उसके बेटे हैं और पोतियाँ हैं तो वसियत पोतियों के लिये है। (आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.17:– फुलाँ फुलाँ के आबा (बापों) के लिये वसियत की और उनके आबा व उम्महात (बाप और मायें) दोनों हैं तो यह दोनों वसियत में दाख़िल हैं लेकिन अगर उनके आबा और उम्महात (माँ बाप) नहीं बल्कि दादा और दादियाँ हैं तो यह वसियत में दाख़िल नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.118)

मसअ्ला.18:– आले फुलाँ के लिये वसियत की तो यह उसके तमाम घर वालों के लिये है(हिदाया जि.4) मगर उसमें बेटियों और बहनों की औलाद दाख़िल नहीं न ही माँ के क़राबतदार दाख़िल हैं(जैलई)

मसअ्ला.19:– अपने पड़ोसियें के लिये वसियत की तो इस में इमामे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक वह तमाम लोग शामिल हैं जो इसके घर से मिले हुए हों लेकिन साहिबैन के नज़्दीक वह तमाम लोग शामिल हैं जो महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। (दुर्रेमुख्तार जि.5 स.476)

मसअ्ला.20:– अपने पड़ोसियों के लिये सुलुस् माल की वसियत की अगर वह गिन्ती के हैं तो यह सुलुस् माल उनके अग़निया व फुक़रा दोनों में तक़सीम किया जायेगा यही उस वसियत का है जो अहले मस्जिद के लिये की जाये। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.21:– बनी फुलाँ के यतामा (फुलाँ खान्दान के यतीमों) के लिये वसियत की और वह गिन्ती के हैं तो वसियत सहीह है उन सब पर खर्च की जायेगी यही हुक्म उस वक़्त है जब यह कहे कि मैंने उस गली के यतामा या उस घर के यतामा के लिये वसियत की अगर वह गिन्ती के हैं तो ग़नी व फक़ीर दोनों पर ख़र्च होगी और अगर वह अनगिन्त हैं तो वसियत जाइज़ हैं इस सूरत में सिर्फ फुक़रा पर ख़र्च होगी। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.22:– फुलाँ ख़ान्दान की बेवाओं के लिये वसियत की वह ख़्वाह गिन्ती की हों या अन'गिन्त हों दोनों सूरतों में वसियत जाइज़ है अगर गिन्ती की हैं तो वसियत उनपर ख़र्च होगी और अगर अनगिन्त हैं तो जो मिल जायें उनपर ख़र्च होगी। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.23:– अपने पड़ोस या फुलाँ के पड़ोसी के लिये वसियत की और वह पड़ोसी अनगिन्त हैं तो वसियत बातिल है ऐसे ही अगर उसने अहले मस्जिद के लिए वसियत की या अहले जेल ख़ाना (कैदियों) के लिये वसियत की और वह अनगिन्त हैं तो वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.24:– फुलाँ ख़ानदान के अन्धों के लिये वसियत की या फुलाँ ख़ानदान के लुन्जों (यानी अअ्जा से अपाहिज) के लिये वसियत की या क़र्ज़दार या मुसाफ़िर या क़ैदियों के लिये अगर वह काबिले शुमार हैं तो ग़नी और फ़क़ीर दोनों शामिल होंगे और अगर बे'शुमार हैं तो सिर्फ़ फुक़रा के लिये माले वसियत ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.119)

मसअ्ला.25:– अपने अस्हार यानी सुसराल वालों के लिये वसियत की तो यह वसियत उसकी बीवी

के हर जी रहम महरम के लिये है, इसी तरह उसमें इसके बाप की बीवी के जी रहम महरम भी दाखिल होंगे और इसके हर जी रहम महरम की जौजा भी दाखिल है, यह सब उस वक़्त दाखिल होंगे जब मूसी की मौत के दिन यह उस के सहर हों। (आलमगीरी जि.6 स.120) यानी मूसी की जौजा उसकी जौजियत में हो तलाके बाइन या तलाके मुगल्लजा से इद्दत में न हो अगर तलाके रजई से मुद्दत में है तो वह जौजियत में दाखिल है। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुलमुहतार जि.5 स.473)

मसअ्ला.26:– अपने अखतान यानी दामादों के लिये वसियत की तो उस में उसके हर जी रहम महरम का शौहर दाखिल है जैसे बेटियों के शौहर, बहनों के शौहर, फूफियों के शौहर और खालाओं के शौहर (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.120) बीवी की लड़की जो शौहरे अव्वल से है उसका शौहर मूसी के दामादों में शामिल नहीं। (तातार खानियाँ अज आलमगीरी जि.6 स.120)

मसअ्ला.27:– औलादे रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिये वसियत की तो इस वसियत में सिर्फ औलादे इमामे हसन और इमामे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा दाखिल होंगी(आलमगीरी जि.6 स.120)

मसअ्ला.28:– अलवियों की वसियत की तो यह वसियत जाइज़ नहीं क्योंकि वह बे शुमार हैं और वसियत में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो फकीर व हाजत मन्दी का इशारा करे हाँ अगर फुकराए अलवियों के लिये वसियत की तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.29:– फुकहा के लिये वसियत की तो जाइज़ नहीं और अगर उनके फुक़रा के लिये वसियत की तो जाइज़ है इसी तरह अगर तलबा–ए–इल्म के लिए वसियत की तो ना जाइज़ और अगर उन के फुक़रा के लिये की तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.30:– किसी शहर के अहले इल्म के लिये वसियत की उसमें अहले फ़िक़्ह और अहले हदीस (अहले हदीस से हदीस का इल्म जानने वाले मुराद हैं) शामिल हैं लेकिन अहले मन्तिक़ व अहले फ़लसफ़ा शामिल नहीं न ही इस में इल्मे कलाम पढ़ने वाले दाख़िल हैं हज़रत अबूक़ासिम फ़क़ीह से रिवायत है कि कुतुबे कलाम, कुतुबे इल्म नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.31:– अपने सुलुस् माल की वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ के लिये है और मुसलमानों में से एक शख़्स के लिये तो निस्फ़ सुलुस् फुलाँ को दिया जायेगा और इस शख़्स के लिये कुछ नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.121)

मसअ्ला.32:– क़ब्र को लेपने, पोतने की वसियत की अगर यह हिफ़ाज़ते क़ब्र के लिये है तो जाइज़ और अगर तज़ईन के लिये है तो ना जाइज़ और यही हुक्म मज़ारात पर कुब्बा बनाने का है खुसूसन औलिया अल्लाह के मज़ारात पर बे नियते आसाइशे ज़ाइरीन (ज़ाइरीन के आराम के लिये) व तहसीने क़ब्र (हिफ़ाज़ते क़ब्र)। (फ़तावा रज़विया जि.1 स.151 ब हवाला दुर्रेमुख़्तार आलमगीरी व बज़ाज़िया)

मसअ्ला.33:– अपनी क़ब्र पर क़ुर्आन शरीफ़ पढ़ने की वसियत की यह वसियत जाइज़ है मगर उजरत पर जाइज़ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार जि.5 स.485)

मसअ्ला.34:– वसियत की कि मुझे मेरे घर में दफ़न करें तो यह वसियत बातिल है कि यह खास है अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिये। उम्मत के हक़ में मशरूअ् नहीं(फ़तावा रजविया)

मकान में रहने और ख़िदमत करने, दरख़्तों के फलों, बाग़ की आमदनी और ज़मीन की आमदनी और पैदावार की वसियत का बयान

मसअ्ला.1:– घर के किराये की आमदनी की वसियत की तो मूसा लहू को उसमें रहने का हक़ नहीं और अगर ज़ैद के लिये एक साल तक अपने दार (घर) में सुकूनत की वसियत की और दार के मूसी का और कुछ माल नहीं है तो ज़ैद उसमें से तिहाई दार में रहेगा और वुरसा दो तिहाई दार में वुरसा को इख़्तियार नहीं कि वह अपना मक़बूज़ा फ़रोख़्त करदें। (बदाइअ् अज आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.2:– यह कहा कि यह भूसा फुलां के जानवरों के लिये है तो यह वसियत बातिल है और अगर यह वसियत की फुलाँ के जानवरों को खिलाया जाये तो वसियत जाइज़ है।(आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.3:– किसी शख़्स के लिये अपने घर में रहने की वसि़यत की और मुद्दत और वक़्त मुक़र्रर नहीं किया तो यह वसि़यत ता'हयात मूसा'लहू है। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.4:– किसी शख़्स के लिये अपने घर में रहने की वसि़यत की तो उसे उस घर को किराया पर देने का हक़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.5:– किसी ने अपने बाग़ के मुहासि़ल व पैदावार की वसि़यत की तो मूसा'लहू के लिये उस के मौजूदा मुहासि़ल व पैदावार हैं और जो कुछ आइन्दा हों। (आलमगीरी जि.6 स.122) मलहूज़ रहे कि अ़रबी ज़बान में बुस्तान उस बाग़ को कहते हैं जिसकी चहार दीवारी बनी हो उस चहार दीवारी के अन्दर जो दरख़्त या ज़राअ़त हो वह सब बुस्तान में शामिल है और बाग़ से इन मसाइल में मुराद ऐसा ही बाग़ है। (मुअल्लिफ़)

मसअ्ला.6:– किसी के लिये अपने बाग़ के फलों की वसि़यत की तो उसकी दो सूरतें हैं यह कहा कि हमेशा के लिये या हमेशा का लफ़्ज़ नहीं कहा अगर हमेशा का लफ़्ज़ नहीं कहा तो इसकी भी दो सूरतें हैं अगर उसके बाग़ में इसकी मौत के दिन फल लगे हैं तो मूसा'लहू के लिये इसके सुलुस् माल में से सिर्फ़ उन्हीं फलों से दिया जायेगा और इसके बाद जो फल आयेंगे मूसा'लहू का उनमें कोई हि़स्सा न होगा और अगर मूसा'लहू की मौत के दिन बाग़ में फल नहीं लगे थे तो क़यास यह है कि यह वसि़यत बाति़ल मगर इस्तिहसान में वसि़यत बाति़ल नहीं बल्कि मूसा'लहू को उसकी ता ह़यात उस बाग़ के फल मिलते रहेंगे। ब'शर्ते कि वह बुस्तान उस के सुलुस् माल से ज़ाइद न हो, यह तमाम सूरतें उस वक़्त हैं जब मूसी ने वज़ाहत नहीं की और अगर उसने वज़ाहत करदी और यूँ कहा कि मैंने तेरे लिये हमेशा के वास्ते अपने बाग़ के फ़लों की वसि़यत की तो उसे मौजूदा फल भी मिलेंगे और जो बाद में पैदा होते रहें वह भी। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.7:– अपने बाग़ के फ़लों व पैदावार की हमेशा के लिये किसी के लिये वसि़यत की फिर उसके खजूर के दरख़्तों की जड़ों से और दरख़्त पैदा होगये तो उनकी पैदावार और मुहासि़ल भी वसि़यत में दाख़िल होंगे। (अलमुन्तक़ा अज़ आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.8:– अपने बाग़ के फ़लों के सुलुस् की वसि़यत की और मूसी का और कोई माल सिवाए इस बुस्तान (बाग़) के नहीं है तो यह वसि़यत जाइज़ है और मूसा'लहू इस का सुलुस् पाने का मुस्तहक़ है अगर मूसा'लहू ने बाग़ का तिहाई हि़स्सा वुरसा से तक़सीम कर लिया फिर उस हि़स्से से आमदनी हुई जो मूसा'लहू के पास आया और वुरसा के हि़स्से में आमदनी नहीं हुई या वुरसा के हि़स्से में आमदनी हुई और मूसा'लहू के हि़स्से में आमदनी नहीं हुई तो दोनों सूरतों में वह वुरसा और मूसा'लहू एक दूसरे के शरीक होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.122)

मसअ्ला.9:– किसी के लिये सुलुस् बुस्तान की वसि़यत की तो वुरसा के लिये जाइज़ है कि वह अपने हि़स्से का दो सुलुस् बुस्तान फ़रोख़्त करदें ऐसी सूरत में दो सुलुस् का ख़रीदार मूसा'लहू के साथ शरीक होजायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स ने किसी के लिये अपनी ज़मीन की पैदावार की वसि़यत की और इस ज़मीन में खजूर के दरख़्त हैं और न कोई दरख़्त है और मूसी का इसके सिवा और माल भी नहीं है तो इसको किराये पर उठाया जायेगा और इस किराये का एक सुलुस् मूसा'लहू को दिया जायेगा और अगर इस में खजूर के दरख़्त हैं और, और भी दरख़्त हैं तो उन दरख़्तों की पैदावार का सुलुस् मूसा'लहू को मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.11:– वसि़यत करने वाले ने किसी के लिये अपनी बकरियों की ऊन की या अपनी बकरियों के बच्चों की या उनके दूध की हमेशा के लिये वसि़यत की तो उन तमाम सूरतों में मूसा'लहू को उन बकरियों का वही ऊन मिलेगा जो वसि़यत करने वाले की मौत के दिन उनके जिस्म पर है और वही बच्चे मिलेंगे जो मूसी की मौत के दिन उनके पेटों में हैं और वही दूध मिलेगा

जो मूसी की मौत के दिन उनके थनों में है ख़्वाह मूसी ने वसियत में हमेशा का लफ़्ज़ कहा या न कहा। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.12:– किसी शख़्स ने अपने बुस्तान (बाग़) की पैदावार की वसियत की फिर मूसा'लहू ने मय्यित के वुरसा से ग़ल्ले के एवज़ पूरा बाग़ ख़रीद लिया तो यह जाइज़ है इस सूरत में वसियत बातिल होजायेगी इसी तरह अगर वुरसा ने बाग़ उसको फ़रोख़्त नहीं किया लेकिन उन्होंने कुछ माल देकर कि मूसा लहू को अपने हिस्से के ग़ल्ले से बरी होने पर राज़ी कर लिया तो यह भी जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.13:– अपने घर के किराये की मसाकीन में तक़सीम करने की वसियत की तो यह जाइज़ नहीं मगर यह कि मूसा'लहू मालूम हो। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.14:– मसाकीन के लिये अपने अंगूर के बाग़ की बहार की तीन साल तक के लिये वसियत की और मरगया और तीन साल तक उसके अंगूर के बाग़ में अंगूर की बहार न आई तो बाज़ के क़ौल पर यह बाग़ मौकूफ़ रहेगा जब तक इसकी तीन साल की बहार मसाकीन पर सदक़ा न करदी जाये फ़क़ीह अबुल्लैस रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फ़रमाया यह क़ौल हमारे असहाब के मुताबिक़ है। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.15:– अपने जिस्म के लिबास की वसियत की तो यह जाइज़ है और मूसा'लहू को उसके जुब्बे, क़मीस, चादरें और पाजामें मिलेंगे उसकी टोपियाँ, मौज़े, जुर्राबें इस में शामिल न होंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला.16:– यह वसियत की कि यह कपड़े सदक़ा करदो तो यह जाइज़ है कि वह कपड़े फ़रोख़्त करके उनकी क़ीमत सदक़ा करदें या चाहें तो कपड़े फ़रोख़्त न करें रखलें और उनकी क़ीमत देदें। (आलमगीरी जि.6 स.123)

मसअ्ला.17:– किसी आदमी को यह वसियत की कि मेरी ज़मीन से दस जरेब (गट्ठा) ज़मीन हर साल काश्त करले इस सूरत में बीज, ख़िराज (माल'गुजारी) और आब'पाशी मूसा'लहू के ज़िम्मे होगी और अगर वसियत में यह कहा कि हर साल मेरी दस जरेब ज़मीन मेरे लिये काश्त करे इस सूरत में बीज, माल गुज़ारी और आब'पाशी मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से दिये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.18:– किसी शख़्स के लिये खजूर के बाग़ की खजूरों की वसियत की जो कि तैयार थीं या काश्त की वसियत की जो काटे जाने के क़रीब थीं लेकिन फ़सल काटी नहीं गई थी तो मालगुज़ारी मूसा'लहू पर है लेकिन अगर बाग़ के फल तोड़ लिये गये और खेती काट ली गई तो मुतवफ़्फ़ा मूसा'लहू के माल से मालगुज़ारी दी जायेगी। (तातार खानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.19:– मूसी ने किसी के लिये अपनी तलवार की वसियत की तो उस में तलवार का परतला और हमाइल दाख़िल है। (आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.20:– किसी के लिये मुसहफ़ (कुर्आन पाक) की वसियत की और मुसहफ़ का ग़िलाफ़ भी है तो इसको मुसहफ़ मिलेगा ग़िलाफ़ नहीं। (कुदूरी अज़ आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.21:– सिरके के मटके की वसियत की तो इसमें मटका शामिल है और अगर जानवरों के घर (यानी वह घर जिस में जानवर रखे जाते हैं) की वसियत की तो वसियत दार (घर) की है इस में जानवर शामिल नहीं ऐसे ही खाने की कश्ती (टिरे) की वसियत की तो इसमें का खाना दिया जायेगा कश्ती (टिरे) नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.124)

मसअ्ला.22:– किसी के लिये मीज़ान (तराज़ू) की वसियत की तो इसमें उसका उमूद (डन्डी) पलड़े और उस की डसें (तराजू की डोरियां) शामिल हैं बाट, बट्टा और मुठिया(एलाक)(मूठ जहाँ से तराजू को पकड़ते हैं) शामिल नहीं लेकिन अगर तराज़ू मुअय्यन करदी तो इसमें बाट और एलाक़ भी शमिल होंगे(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.23:– अपनी बकरियों में से किसी के लिये एक बकरी की वसियत की और यह नहीं कहा कि मेरी उन बकरियों में से, फिर वारिसों ने उसे वह बकरी दी जिसने मूसी की मौत के बाद बच्चा

जना तो यह बच्चा बकरी के साथ शामिल न होगा यानी फ़क़्त बकरी मिलेगी। (आलमगीरी जि.6 स.124)
मसअ्ला.24:– और अगर यह कहा कि मैंने फुलाँ के लिये अपनी बकरी में से एक बकरी की वसियत की और वारिसों ने उस मूसा'लहू को वह बकरी दी जिसने मूसी की मौत के बाद बच्चा दिया तो वह बच्चा उस बकरी का ताबेअ् होगा यानी बकरी मअ् मूसा'लहू को दी जायेगी और अगर वारिसों ने बकरी मुअ़य्यन करने से पहले बच्चा ज़ाइअ् कर दिया यानी हलाक करदिया तो उन पर उसका ज़मान नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.124)
मसअ्ला.25:– दार (घर) की एक शख़्स के लिये वसियत की और उसकी बुनियाद की दूसरे के लिये या यह कहा कि यह अंगूठी फुलाँ के लिये है और उसका नगीना दूसरे के लिये या यह कहा कि यह कुन्डिया (जम्बील) फुलाँ के लिये और उसमें के फल फुलाँ के लिये तो उन तमाम सूरतों में अगर उसने मुत्तसिलन बिला फ़स्ल कहा तो हर शख़्स को वही मिलेगा जिसकी वसियत उसके लिये की और अगर मुत्तसिलन नहीं कहा बल्कि फ़स्ल किया तो इमाम अबू यूसूफ़ के नज़्दीक यही हुक्म है और इमाम मुहम्मद ने फ़रमाया कि अस्ल (यानी दार या अगूठी या कुन्डिया) तन्हा पहले को मिलेगी और ताबेअ् में दोनों शरीक होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.125 ब'हवाला काफी) यानी इस सूरत में घर तन्हा पहले को मिलेगा बिना मुश्तरक होगी कुन्डिया पहले को मिलेगी फल मुश्तरक होंगे और अंगूठी पहले को मिलेगी और नगीना मुश्तरक होगा।
मसअ्ला.26:– और अगर यह वसियत की कि यह घर फुलाँ के लिये है और इस में रिहाइश फुलाँ के लिये या यह दरख़्त फुलाँ के लिये है और इसका फल फुलॉ के लिये या यह बकरी फुलाँ के लिये और इसका ऊन फुलाँ के लिये तो जिसके लिये जो वसियत की उसको बिला इख़्तिलाफ़ वही मिलेगा ख़्वाह उसने यह मुत्तसिलन कहा हो या दरम्यान में फ़स्ल किया हो।(आलमगीरी जि.6 स.124)
मसअ्ला.27:– किसी शख़्स के लिये अपने दार (मकान) की वसियत की और उसमें बने हुए एक ख़ास बैत (कमरा) की वसियत किसी दूसरे के लिये की तो वह ख़ास मकान उन दोनों के दरम्यान बकद्र उनके हिस्से कि मुश्तरक होगा। (आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.28:– किसी के लिये मुअ़य्यना एक हज़ार दिरहम की वसियत की और उनमें से एक सौ दिरहम की दूसरे के लिये वसियत की तो एक हज़ार वाले को नौ सौ दिरहम मिलेंगे और सौ दिरहम दोनों के दरम्यान निस्फ़ निस्फ़ तक़सीम होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.29:– अगर एक शख़्स के लिये मकान की वसियत की और उसकी बिना(बुनियाद)की दूसरे के लिये तो बिना उन दोनों के दरम्यान हिस्सा–ए–रसदी तक़सीम होगी। (आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.30:– मूसी ने अपने जानवर की एक शख़्स के लिये वसियत की और उसकी सवारी और मन्फ़अ़त की दूसरे के लिये वसियत की तो हर मूसा'लहू के लिये वही है जिसकी उसके लिये वसियत की। (मब्सूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.125)
मसअ्ला.31:– एक शख़्स के लिये अपने घर के किराये की वसियत की और दूसरे के लिये इस में रहने की वसियत की और तीसरे शख़्स के लिये उसके रक़बा की वसियत की और यह एक सुलुस् है पस किसी शख़्स ने मूसी की मौत के बाद उसको मुन्हदिम कर दिया तो जितना उसने गिराया है उसकी क़ीमत का तावान उस पर है फिर उस क़ीमत से मकान बनाये जायें जैसे बने हुए थे और अगर किराये पर दिया जाये तो जिसके लिये किराये की वसियत की उसे किराया और जिसके लिये सुकूनत की वसियत की उसे हक़्क़े सुकूनत मिलेगा यही हुक्म बुस्तान (बाग़) की वसियत का है कि उसने एक शख़्स के लिये बुस्तान की पैदावार की वसियत की और दूसरे के लिये उसके रक़बे की फिर किसी शख़्स ने उस में से दरख़्त काट लिये तो उसपर दरख़्तों की क़ीमत का तावान है इस कीम से दरख़्त ख़रीदकर लगाये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.127)
मसअ्ला.32:– मूसी ने एक शख़्स के लिये अपने बाग़ की आमदनी की वसियत की और दूसरे के

लिये बाग के रक़बे की वसियत की और यह उसका सुलुस् माल है तो बाग का रक़बा उसके लिये है जिसके वास्ते रक़बा की वसियत की और उसकी आमदनी उसके लिये जिस के वास्ते उसकी आमदनी की वसियत की जब तक मूसा'लहू ज़िन्दा है और इस सूरत में बाग की आब'पाशी, मालगुज़ारी और उस की इस्लाह व मरम्मत आमदनी वाले पर है। (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.33:– मूसी ने हमेशा के लिये अपनी बकरियों की ऊन की या उनके दूध की या उनके घी की या उनके बच्चों की किसी के लिये वसियत की तो यह वसियत सिर्फ़ उस ऊन में जारी होगी जो मूसी की मौत के दिन उन बकरियों की पीठों पर है या वह दूध जो उनके थनों में है या वह घी जो उनके थनों के दूध से बरआमद हो या वह बच्चे जो उनके पेट में हों जिस दिन कि मूसी की मौत हुई, उसकी मौत के बाद फिर जो कुछ पैदा होगा इसमें वसियत जारी न होगी(आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.34:– मूसी ने किसी के लिये हमेशा के वास्ते अपने खजूरों के बाग़ के मुहासिल(आमदनी)की वसियत की और दूसरे के लिये इस बाग़ के रक़बे की वसियत की और इस बाग़ में बहार (फल) नहीं आई तो इस सूरत में इसकी आब'पाशी और इसकी इस्लाह का ख़र्चा व मरम्मत साहिबे रक़बा पर है फिर जब उस पर फल आजायें तो यह ख़र्चा आमदनी लेने वाले पर है और अगर एक साल फल आये फिर न आये तब भी उस की इस्लाह व ख़र्चा की जिम्मेदारी आमदनी लेने वोले पर है अगर आमदनी लेने वाले ने ख़र्चा न किया और साहिबे रक़बा ने ख़र्चा किया यहाँ तक कि बाग़ में फल आगये तो साहिबे रक़बा उससे अपना ख़र्चा वसूल करेगा। (मब्सूत अज आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.35:– यह वसियत की कि उन तिलों का तेल फ़ुलाँ के लिये और उसकी खली दूसरे के लिये है तो तेल निकालने की ज़िम्मादारी उसकी है जिसके लिये तेल की वसियत की(आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.36:– अंगूठी के हल्क़े की एक शख़्स के लिये वसियत की और उसके नगीने की दूसरे के लिये तो यह वसियत जाइज़ है अगर उसका नग निकालने में अंगूठी के ख़राब होने का अन्देशा है तो देखा जायेगा अगर हल्क़े की क़ीमत नग से ज़्यादा है तो हल्क़ा वाले से कहा जायेगा कि वह नग की क़ीमत अदा करे और अगर नग की क़ीमत ज़्यादा है तो नग वाले से कहा जायेगा कि वह अंगूठी के हल्क़े की क़ीमत अदा करे। (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.37:– एक शख़्स ने किसी के लिये अपने बुस्तान (बाग़) के उन फलों की वसियत की जो उसमें मौजूद हैं और उसने इसके लिये इसके फ़लों की हमेशा के लिये भी वसियत की इसके बाद मूसी का इन्तिक़ाल होगया और मूसी का इसके सिवा और माल नहीं है और बाग़ में फल सौ रुपये की क़ीमत के हैं और पूरे बाग़ की क़ीमत तीन सौ रुपये के मसावी है इस सूरत में मूसा'लहू के लिए बाग़ में मौजूद फलों का तिहाई हिस्सा है और आइन्दा जो फल आयेंगे उनमें से हमेशा इस को एक सुलुस् मिलता रहेगा। (आलमगीरी जि.6 स.127)

मसअ्ला.38:– यह वसियत की कि मेरे माल से फ़ुलाँ शख़्स पर हर माह पाँच दिरहम ख़र्च किये जायें तो उसके माल का एक सुलुस् रख लिया जायेगा ताकि मूसा'लहू पर हर माह पाँच दिरहम ख़र्च किये जाते रहें जैसा कि मूसी ने वसियत की है। (मब्सूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.128)

मसअ्ला.39:– एक शख़्स ने दो आदमियों के लिये वसियत की कि उनमें से हर एक पर मेरे माल से इतना इतना ख़र्च किया जाये तो उसका एक सुलुस् माल उन दोनों पर ख़र्च के लिये रख लिया जायेगा फिर अगर वारिसों ने उनमें से किसी एक से कुछ देकर मुसालहत करली और वह वसियत से दस्त'बर्दार होगया तो इस सूरत में मूसी का कुल सुलुस् माल दूसरे पर ख़र्च करने के लिये रख लिया जायेगा और वारिसों के हक़ में दस्त'बर्दारी देने वाले का हक़ वारिसों को न मिलेगा(मुहीत जि.6 स.127)

मसअ्ला.40:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरे माल में से फ़ुलाँ शख़्स पर उसकी ता'हयात हर माह पाँच दिरहम ख़र्च किये जायें और एक दूसरे शख़्स के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की और वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो इस सूरत में उसका माल छः हिस्सों में तक़सीम होकर एक

हिस्सा मूसा'लहू सुलुस् (जिसके लिये तिहाई माल की वसियत की है) को मिलेगा और बाकी पाँच हिस्से महफ़ूज़ रखे जायेंगे उनमें से पाँच दिरहम वाले पर हर माह पाँच दिरहम ख़र्च किये जायेंगे और यह शख़्स जिसके लिये पाँच दिरहम हर माह ख़र्च करने की वसियत की थी अपने हिस्से का महफ़ूज़ रुपया ख़र्च होने से पहले ही मरगया तो जिसके लिये सुलुस् माल की वसियत की थी उसका सुलुस् पूरा किया जायेगा और यह सुलुस् माल उस दिन के हिसाब से लगाया जायेगा जिस दिन कि मूसी की मौत हुई लेकिन अगर माल का दो सुलुस् हिस्से से ज़्यादा ख़र्च होचुका था और अब जो बाकी बचा उससे मूसा'लहू सुलुस् का सुलुस् पूरा नहीं होता तो इस सूरत में उस मरने वाले के हिस्से में से जो नफ़का बचा है वह उसे देदिया जायेगा और उसका सुलुस् पूरा नहीं किया जायेगा और अगर माल इतना बच गया था कि मूसा'लहू सुलुस् का सुलुस् पूरा होकर बचगया तो जो बाकी बचा वह मूसी के वुरसा को मिलेगा न कि उसके वुरसा को जिसके लिये पाँच दिरहम माहाना ख़र्च करने की वसियत की थी। (आलमगीरी जि.6 स.128)

मसअ्ला.41:– अगर दो आदमियों के लिये यह वसियत की कि उन दोनों पर उनकी ता'हयात मेरे माल से हर साल दस दिरहम ख़र्च किये जायें और एक तीसरे के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो अगर वुरसा ने इसकी इजाज़त दी तो इसका माल छः हिस्सों में तक़सीम होगा और अगर वुरसा ने इजाज़त न दी तो दो बराबर हिस्सों में तक़सीम होगा और अगर उन दोनों आदमियों से जिनके लिये ता'हयात दस दिरहम माहाना की वसियत की थी एक आदमी का इन्तिकाल हो गया तो उसका हिस्सा इस को नहीं मिलेगा जिसके सुलुस् माल की वसियत की थी बल्कि जो कुछ उन दो आदमियों के लिये महफ़ूज़ रखा था वह वैसे ही महफ़ूज़ रहेगा और उसे उस एक पर ख़र्च किया जायेगा जो उन दोनों में से ज़िन्दा बाकी है। (आलमगीरी जि.6 स.128 किताबुल'वसाया)

मसअ्ला.42:– अगर मय्यित ने यह वसियत की मैंने फुलां के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की और फुलाँ के लिये उस पर ता'हयात हर माह पाँच दिरहम ख़र्च करने की वसियत की और एक दूसरे के लिये ता'हयात उसकी उस पर पाँच दिरहम ख़र्च करने की वसियत की तो अगर वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो उसका माल नौ हिस्सों में मुन्कसिम होगा जिसके लिये सुलुस् माल की वसियत की उसको एक हिस्सा और बकिया बाद वाले दोनों मूसा'लहुमा के लिये चार चार हिस्से महफ़ूज़ रखे जायेंगे और उनपर हर माह ख़र्च होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.128)

मसअ्ला.43:– अगर मय्यित ने वसियत की कि मेरे माल से फुलां पर उसकी ता'हयात पाँच दिरहम माहाना ख़र्च किया जाये और फुलाँ और फुलाँ पर उनकी ता'हयात दस दिरहम माहाना ख़र्च किये जायें, हर एक के लिये पाँच दिरहम और वुरसा ने इसकी इजाज़त देदी तो माल मूसा'लहू और मूसा लहुमा के दरम्यान निस्फ़–निस्फ़ तक़सीम होगा इस तरह कि जिसके लिये पाँच दिरहम माहाना की वसियत की उसे एक निस्फ़ और जिन दो के लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की उन्हें दूसरा निस्फ़ इस तरह निस्फ़ माल पहले एक के लिये और निस्फ़ माल दूसरे दो के लिये महफ़ूज़ रखा जायेगा और उनपर माह ब'माह ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.127) और अगर उस एक का इन्तिकाल होगया जिस एक के लिये पाँच दिरहम माहाना की वसियत की थी तो जो कुछ बचा वह उन पर ख़र्च होगा जिस दो के लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की थी और अगर उन दोनों में से एक का इन्तिकाल होगया जिनके लिये एक साथ दस दिरहम माहाना की वसियत की थी और पाँच दिरहम वाला ज़िन्दा रहा तो इस सूरत में मरने वाले का हिस्सा इसके शरीक वसियत के लिये महफ़ूज़ रखा जायेगा और इसपर ख़र्च किया जायेगा यह इस सूरत में जब वुरसा ने इजाज़त देदी और अगर वुरसा ने इजाज़त नहीं दी तो मय्यित का सुलुस् माल निस्फ़ निस्फ़ दो बराबर हिस्सों में तक़सीम होगा निस्फ़ सुलुस् इसको मिलेगा जिस एक के लिये पाँच दिरहम माहाना की वसियत की और निस्फ़ सुलुस् उन दोनों को मिलेगा जिन दोनों को एक साथ मिलाकर उनके लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की। (आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला 44:– एक शख़्स ने वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ के लिये रखा जाये और उसपर उसमें से हर माह चार दिरहम खर्च किये जायें जब तक कि वह जिन्दा रहे और मैंने वसियत की कि मेरा सुलुस् माल फुलाँ फुलाँ के लिये है उन दोनों पर हर माह ता'हयात उनकी दस दिरहम खर्च किये जायें तो अगर वुरसा ने इसकी इजाजत देदी तो चार दिरहम इस मय्यित के माल का कामिल सुलुस् (पूरा तिहाई हिस्सा) मिलेगा वह जो चाहे करे और दस दिरहम वाले दोनों को इस मय्यित के माल का दूसरा सुलुस् कामिल मिलेगा और यह सुलुस् उन दोनों के दरम्यान बराबर बराबर तकसीम होगा और महफूज कुछ न रखा जायेगा और अगर उन तीनों मूसा'लहुम (जिन के लिये वसियत की गई) में से किसी का इन्तिकाल होगया तो उसके हिस्से का माल उस इन्तिकाल कर जाने वाले के वारिसों को मिलेगा और अगर वुरसा ने मय्यित की इस वसियत को जाइज़ नहीं किया तो इस सूरत में चार दिरहम वाले को निस्फ सुलुस् (तिहाई माल का आधा) मिलेगा और उन दोनों को जिनके लिये दस दिरहम माहाना की वसियत की थी निस्फ सुलुस् मिलेगा और यह निस्फ सुलुस् उन दोनों के मा'बैन आधा आधा बटेगा। (आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला.45:– मय्यित ने कहा मैंने फुलाँ के लिये एक सुलुस् माल की वसियत की इस पर उसमें से हर माह चार दिरहम खर्च किये जायें और मैंने फुलाँ फुलाँ के लिये वसियत की कि फुलाँ पर पाँच दिरहम माहाना और फुलाँ पर तीन दिरहम, पस अगर वुरसा ने इसकी इजाजत देदी तो चार दिरहम वाले को माहाना उसके कुल माल का एक सुलुस् मिलेगा और बकिया दो को दो सुलुस् मिलेंगे और यह दो सुलुस् उन दोनों के दरम्यान निस्फ़–निस्फ़ तकसीम होंगे, यह लोग अपने अपने हिस्से को जैसे चाहें इस्तेअ्माल करें, और अगर वुरसा ने इसकी उस वसियत को जाइज़ न किया तो चार दिरहम वाले को निस्फ़ सुलुस् मिलेगा और बकिया दो को दूसरा निस्फ़ सुलुस् मिलेगा और यह उन के मा'बैन आधा आधा बंट जायेगा और अगर उनमें से किसी का इन्तिकाल होगया तो उसका हिस्सा उसके वारिसों को मीरास् में मिलेगा। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला.46:– मय्यित ने वसियत की कि फुलाँ पर मेरे माल से हर माह चार दिरहम खर्च किये जायें और एक दूसरे पर हर माह पाँच दिरहम मेरे बुस्तानी (चहार दीवारी वाला बाग) की आमदनी से खर्च किये जायें और मय्यित ने बजुज़ बुस्तान के और कोई माल नहीं छोड़ा तो इस सूरत में मय्यित का सुलुस् (तिहाई) बुस्तान उन दोनों के लिये निस्फ़–निस्फ़ है फिर बुस्तान (बाग) की सुलुस् पैदावार फरोख्त की जायेगी और उसकी कीमत वसी के कब्जे में या अगर वसी नहीं है तो किसी ईमानदार व सिका आदमी (दीनदार) के कब्जे में देदी जायेगी वह वसी और सिका उन दोनों पर हिस्सा–ए–रस्दी माह ब'माह खर्च करेगा और अगर उन दोनों का इन्तिकाल होगया तो जो कुछ रहेगा वह मूसी के वुरसा को मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.129)

मसअ्ला.47:– यह वसियत की कि फुलाँ शख़्स पर मेरे माल से चार रुपये माहाना खर्च किये जायें और फुलाँ और फुलाँ पर पाँच रुपये माहाना तो इस सूरत में तन्हा एक के लिये माले वसियत का छठा हिस्सा और दूसरे दोनों के लिये दूसरा छठा हिस्सा खर्च करने के लिये महफूज़ रखा जायेगा (आलमगीरी जि.6 स.130) यानी मय्यित का माल बारह हिस्सों में तकसीम होगा इसमें से एक सुलुस् यानी चार हिस्से वसियत में दिये जायेंगे बाकी दो सुलुस् यानी आठ हिस्से वुरसा को मिलेंगे फिर सुलुस् माल की वसियत के उन चार हिस्सों में से एक दो हिस्सा यानी एक हिस्सा मूसा'लहू के लिये और दूसरे दो हिस्से दोनों मूसा'लहुमा के लिये और उनपर हर माह खर्च होगा।

मसअ्ला.48:– मय्यित ने अपनी आराज़ी की पैदावार की किसी एक शख़्स के लिये वसियत की और दूसरे शख़्स के लिये उस आराज़ी के रकबे की वसियत की और सुलुस् माल में है फिर उसको साहिबे रकबा ने (यानी जिसके लिए रकबा की वसियत की थी) फरोख्त कर दिया और उस शख़्स ने उस बैअ् को तस्लीम कर लिया जिसके लिये पैदावर की वसियत की थी तो बैअ् जाइज होगई और

पैदावार की वसियत जिसके लिये थी वह वसियत बातिल होगई अब उसका इस पैदावार की कीमत में भी कोई हिस्सा नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.49:– मरीज़ ने अपने बुस्तान की पैदावार की वसियत किसी के लिये की और मूसी की मौत से क़ब्ल कई साल उसमें पैदावार हुई फिर मूसी का इन्तिकाल होगया तो मूसा लहू का उस पैदावार में हिस्सा है जो मूसी की मौत के वक़्त या उसके बाद पैदा हो। (आलमगीरी जि.6 स.130) जो पैदावार मूसी की मौत से पहले हुई उसमें कोई हिस्सा नहीं।

मसअला.50:– यह कहा कि मैंने उन एक हज़ार की फुलाँ के लिये वसियत की और मैंने फुलाँ के लिये उसमें से सौ की वसियत करदी है तो यह रुजूअ़ नहीं है इस सूरत में नौ सौ पहली वसियत वाले के लिये हैं और सौ में दोनों आधे–आधे के शरीक हैं। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.51:– मरीज़ ने कहा कि मेरा सुलुस माल फुलाँ और फुलाँ के लिये और फुलाँ के लिये इस में से एक सौ है और उसका सुलुस माल कुल सत्रह दिरहम ही है तो यह कुल सुलुस उसी को मिलेगा जिस के लिये सौ मुकर्रर किये। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.52:– यह वसियत की कि मेरा सुलुस माल अ़ब्दुल्लाह के लिये ज़ैद व अ़म्र के लिये और अ़म्र के लिये उसमें से सौ रुपये और उसका सुलुस माल कुल सौ रुपये ही है तो यह सौ रुपये अ़म्र को मिलेंगे और अगर उसका सुलुस माल डेढ़ सौ रुपये थे तो अ़म्र को सौ रुपये मिलेंगे और जो पचास इस में अ़ब्दुल्लाह और ज़ैद निस्फ़–निस्फ़ के शरीक हैं। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.53:– यह वसियत की कि यह एक हज़ार फुलाँ और फुलाँ के लिये, फुलाँ के लिये इसमें से सौ रुपये तो वह इस इस तरह तक़सीम होंगे फुलाँ को सौ रुपये और दूसरे को नौ सौ रुपये, अगर इस में से कुछ ज़ाइअ़ होगये तो बाक़ी के दस हिस्से करके एक हिस्सा सौ वाले को और बाक़ी नौ हिस्से दूसरे को दिये जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.130) और अगर उसने एक तीसरे शख़्स के लिये दीगर एक हज़ार रुपये की वसियत करदी और इसका सुलुस माल कुल एक हज़ार रुपये है तो इस सूरत में निस्फ़ हज़ार तीसरे मूसा लहू को मिलेगा और निस्फ़ हज़ार पहले दो मूसा लहुमा को दिया जायेगा और वह दस हिस्सो में तक़सीम होकर पहले को एक हिस्सा और दूसरे को नौ हिस्से मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.54:– अगर कहा कि यह एक हज़ार फुलाँ और फुलाँ के लिये इसमें से पहले फुलाँ के लिये सौ रुपये और दूसरे के लिये माबक़िया यानी नौ सौ रुपये तो पहले वाले को सौ रुपये मिलेंगे और अगर तक़सीम से पहले हज़ार में से नौ सौ हलाक होगये तो पहले के लिये सौ रुपये हैं और दूसरे के लिये कुछ नहीं और अगर यह कहा कि मैंने अपने सुलुस माल से फुलाँ के लिये सौ रुपये की वसियत की और फुलाँ के लिये बक़िया की और मैंने फुलाँ के लिये एक हज़ार रुपये की वसियत करदी इस सूरत में बक़िया वाले को कुछ न मिलेगा और मय्यित का सुलुस माल पहले वाले मूसा लहू और तीसरे वाले मूसा लहू में ग्यारह हिस्सों में तक़सीम होकर एक हिस्सा पहले वाले को और दस हिस्से एक हज़ार वाले को यानी तीसरे वाले को मिलेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.130)

मसअला.55:– यह कहा कि मैंने इस एक हज़ार की फुलाँ फुलाँ के लिये वसियत की और फुलाँ के लिये सात सौ और फुलाँ के लिये छः सौ तो इस सूरत में यह एक हज़ार उन दोनों के दरम्यान तेरह हिस्सों में तक़सीम होगा सात हिस्से सात सौ वाले को और छः हिस्से छः सौ वाले को मिलेंगे

मसअला.56:– यह कहा कि फुलाँ के लिये इस एक हज़ार में से हज़ार और फुलाँ के लिये हज़ार तो इस सूरत में यह एक हज़ार उन दोनों के दरम्यान निस्फ़–निस्फ़ तक़सीम होगा(आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअला.57:– यह कहा कि मैंने इस एक हज़ार की फुलाँ और फुलाँ के लिये वसियत की फुलाँ के लिये इसमें से एक हज़ार तो इस सूरत में एक हज़ार सब के सब दूसरे मूसा लहू को मिलेंगे(आलमगीरी)

मसअला.58:– एक शख़्स ने कुछ लोगों के लिये कुछ वसियतें कीं उनमें से कोई आया और उसने अपने लिये वसियत का सुबूत पेश किया और यह चाहा कि उसका हिस्सा उसे देदिया जाये तो

उसका हिस्सा उसे देदिया जाये और बाक़ी लोगों का हिस्सा महफ़ूज़ रखा जाये पस अगर उन बाक़ी लोगों का हिस्सा सहीह व सालिम रहा तो वह उनको देदिया जायेगा और अगर ज़ाइअ़ हो गया तो यह सब उसके हिस्से में शरीक होंगे जिसने अपना हिस्सा ले लिया था और उस को हिस्सा देदेना बक़िया लोगों के लिये तक़सीम का हुक्म नहीं रखता। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअ्ला.59:– किसी ने वसियत की कि फ़ुलाँ शख़्स को एक हज़ार दिरहम देदिये जायें जिनसे वह क़ैदियों को ख़रीदले पस अगर वह शख़्स रुपये लेने से क़ब्ल ही इन्तिक़ाल कर गया तो हाकिम को यह रुपया देदिया जायेगा वह इस काम के लिये लोगों में से किसी को वली बना देगा ताकि वह इस रुपये से क़ैदियों को ख़रीदले। (ख़िजानतुल मुफ़्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअ्ला.60:– एक शख़्स ने यह वसियत की कि मेरा घर फ़रोख़्त किया जाये और उसकी क़ीमत से दस बोझ गेहूँ (मसलन दस कुन्तल) और एक हज़ार मन रोटियाँ ख़रीदी जायें (मन $67\frac{1}{2}$ तोले का एक पैमाना था फ़तावा रज़विया जि.4) और उसने कुछ और वसियतें भी कीं पस इस का घर फ़रोख़्त किया गया और उसकी क़ीमत मज़कूरा मिक़दार गेहूँ और रोटियों के लिये पूरी नहीं हुई और उस घर के एलावा उसका और भी माल है तो अगर उसका सुलुस् माल उस की तमाम वसियतों के लिये गुन्जाइश रखता हो तो वह तमाम वसियतें इस के सुलुस् माल से पूरी करदी जायेंगी (आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.61:– एक शख़्स ने कुछ वसियतें कीं उसके वुरसा को मालूम हुआ कि उनके बाप ने कुछ वसियतें की हैं लेकिन यह नहीं मालूम कि किस चीज़ की हैं उन्होंने कहा कि हमारे बाप ने जिस चीज़ की वसियत की हमने उसको जाइज़ किया तो उनकी यह इजाज़त सहीह नहीं सिर्फ़ इस सूरत में इजाज़त सहीह होगी जब कि उन्हें इल्म हो जाये। (मुन्तक़ा अज आलमगीरी जि.6 स.31)

मसअ्ला.62:– एक शख़्स ने किसी आदमी के लिये कुछ माल की वसियत की और फ़ुक़रा के लिये कुछ माल की वसियत की और मूसा'लहू मोहताज है तो इस को फ़ुक़रा का हिस्सा भी दिया जा सकता है। (फ़तावा काजीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मसअ्ला.63:– एक शख़्स ने कुछ वसियतें कीं फिर कहा और बाक़ी फ़ुक़रा पर सदक़ा किया जाये फिर अपनी कुछ वसियतों से रुजूअ़ कर लिया जिनके लिये वसियतें की थीं (मूसा'लहुम) या उन में से बाज़ मूसा'लहुम मूसी की मौत से पहले ही मर गये तो बाक़ी माल फ़ुक़रा पर सदक़ा किया जायेगा अगर उसने फ़ुक़रा के लिये वसियत से रुजूअ़ नहीं किया है। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.131)

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मसअ्ला.1:– एक शख़्स ने क़सम खाई कि वह कोई वसियत नहीं करेगा फिर उसने अपने मर्ज़ुल'मौत में कोई चीज़ हिबा की या उसने इस हालत में अपना गुलाम बेटा ख़रीदा जो कि आज़ाद होगया तो उसकी क़सम नहीं टूटी और वह हानिस् नहीं हुआ। (आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअ्ला.2:– एक मरीज़ ने कुछ वसियतें कीं लेकिन यह अलफ़ाज़ नहीं कहे कि अगर मैं अपने इस मर्ज़ से मरजाऊँ या यह कि अगर मैं इस मर्ज़ से अच्छा न हों तो मेरी यह वसियतें हैं, वसियतें करने के बाद वह इस मर्ज़ से अच्छा होगया और कई साल ज़िन्दा रहा तो मर्ज़ से अच्छा होने के बाद उसकी वसियतें बातिल होजायेंगी। (फ़तावा काजीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.3:– मरीज़ ने कहा अगर मैं इसी बीमारी से मरजाऊँ तो मेरे माल से फ़ुलाँ को इतना रुपया और मेरी तरफ़ से हज कराया जाये फिर अपनी बीमारी से अच्छा होगया फिर दोबारा बीमार होगया और उसने उन गवाहों से जिनको पहली वसियत पर गवाह बनाया था कहा या दूसरे लोगों से कहा तुम गवाह होजाओ कि मैं अपनी पहली वसियत पर क़ाइम हूँ तो यह इस्तिहसानन जाइज़ है (आलमगीरी)

मसअ्ला.4:– किसी ने वसियतें कीं और दस्तावेज़ लिखदी और अच्छा होगया फिर उसके बाद बीमार हुआ कुछ वसियतें कीं और दस्तावेज़ लिखदी अगर उसने उस दूसरी दस्तावेज़ में यह वाज़ेह नहीं किया कि उसने पहली वसियतों से रुजूअ़ कर लिया है तो ऐसी सूरत में दोनों वसियतों पर

अमल किया जायेगा। (ख़िज़ानतुल मुफ़्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.5:– एक शख़्स ने वसियत की फिर उसे वसवसों और वहम ने घेर लिया और फ़ातिरुल अक्ल होगया और एक ज़माने तक उसी हालत पर रहा फिर इन्तिकाल होगया तो उस की वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.6:– एक शख़्स ने किसी को एक हज़ार रुपये दिये और कहा कि यह फुलां के लिये हैं जब मैं मरजाऊँ तो उसको देदेना फिर मरगया तो वह शख़्स मय्यित की वसियत के मुताबिक वह एक हज़ार रुपये फुलाँ शख़्स को देगा और अगर मरने वाले ने यह नहीं कहा था कि यह रुपये फुलाँ के लिये सिर्फ़ इतना कहा कि उसको देदेना फिर वह मर गया इस सूरत में यह रुपया फुलाँ शख़्स को नहीं दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.7:– एक शख़्स ने कहा कि यह रुपया या कपड़े फुलाँ को देदो और यह नहीं कहा कि यह उसके लिये हैं न यह कहा कि यह उसके लिए वसियत है तो यह बातिल है यह न वसियत है न इक़रार। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.8:– एक शख़्स ने कुछ वसियतें कीं लोगों ने उसकी वसियतें खोटे और रद्दी दिरहमों से पूरी करदीं इस सूरत में अगर वसियत मुअ़य्यन (ख़ास) लोगों के लिये थी और वह इल्म व इत्तिलाअ़ के बावजूद उन खोटे दिरहमों से राज़ी हैं तो जाइज़ है और अगर ग़ैर मुअ़य्यन फ़क़ीरों के लिये वसियत थी तब भी जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.9:– एक शख़्स ने कुछ वसियतें कीं और मुख़्तलिफ़ सिक्कों का चलन है तो ख़रीद व फ़रोख़्त में जिन सिक्कों का चलन ग़ालिब है उन सिक्कों से वसियतों को पूरा किया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– मरीज़ से लोगों ने कहा कि तू वसियत क्यों नहीं कर देता उसने कहा कि मैंने वसियत की कि मेरे सुलुस् माल से निकाला जाये फिर एक हज़ार रुपये मिस्कीनों पर सदक़ा कर दिया जाये और अभी कुछ ज़्यादा न कह पाया था कि मरगया और उसका सुलुस् माल दो हज़ार रुपये है इस सूरत में सिर्फ़ एक हज़ार रुपया सदक़ा किया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.11:– मरीज़ ने अगर यह कहा कि मैंने वसियत की कि मेरे सुलुस् माल से निकाला जाये और कुछ न कह पाया तो उसका कुल तिहाई माल फ़क़ीरों पर सदक़ा किया जायेगा(आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.12:– मरीज़ ने कहा कि मैंने फुलाँ के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की जो एक हज़ार है लेकिन सुलुस् एक हज़ार से ज़्यादा है तो इमाम हसन इब्ने ज़्याद के नज़्दीक मूसा'लहू को सुलुस् माल मिलेगा वह जितना भी हो। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.13:– ऐसे ही अगर यह कहा कि मैंने उस घर से अपने हिस्से की वसियत की और वह तिहाई है फिर देखा तो उसका हिस्सा निस्फ़ था तो मूसा'लहू को निस्फ़ घर मिलेगा अगर निस्फ़ घर मय्यित के कुल माल का तिहाई हिस्सा या इस से कम है। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.14:– अगर उसने यह कहा कि मैंने फुलाँ के लिये एक हज़ार रुपये की वसियत की और वह मेरे माल का दसवाँ हिस्सा है तो मूसा'लहू को सिर्फ़ एक हज़ार रुपया मिलेगा उसके माल का दसवाँ हिस्सा कम हो या ज़्यादा। (आलमगीरी जि.6 स.133)

मसअ्ला.15:– यह कहा कि इस थैली में जो कुछ है मैंने फुलाँ के लिये वसियत की और वह एक हज़ार दिरहम हैं और यह एक हज़ार दिरहम आधा है जो इस थैली में है फिर देखा तो थैली में तीन हज़ार दिरहम हैं तो मूसा'लहू को सिर्फ़ एक हज़ार मिलेंगे और अगर थैली में एक हज़ार ही हैं तो वह कुल मूसा'लहू को मिलेंगे और अगर थैली में सिर्फ़ पाँच सौ दिरहम थे तो मूसा'लहू को तिहाई मिलेंगे इस के एलावा नहीं और अगर थैली में दिरहम नहीं हैं बल्कि जवाहिरात और दीनार हैं तो मुनासिब है कि मूसा'लहू को उससे एक हज़ार रुपये दिये जायें। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.16:– मरीज़ ने कहा कि जो कुछ उस घर में है मैंने उस तमाम की वसियत की और वह

एक पैमाना खाना है फिर देखा तो इस में कई पैमाने खाना है और उसमें गेहूँ और जौ भी हैं तो यह सब मूसा'लहू के लिये हैं अगर सुलुस् माल के अन्दर अन्दर हैं। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.17:– अगर किसी ने मख़्सूस और मुअ़य्यन एक हज़ार दिरहम सदक़ा करने की वसि़यत की और वसी ने उनके बदले मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से दूसरे एक हज़ार दिरहम सदक़ा कर दिये तो जाइज़ है लेकिन अगर वसी के सदक़ा करने से पहले ही वह पहले वाले मुअ़य्यन दिरहम ज़ाइअ़ होगये और वसी ने मूसी के माल से एक हज़ार दिरहम सदक़ा कर दिये तो वसी एक हज़ार दिरहम का वुरसा के लिये ज़ामिन है और अगर मूसी ने एक हज़ार मुअ़य्यन दिरहम सदक़ा करने की वसि़यत की फिर वह हलाक होगये तो वसि़यत बाति़ल होजायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.18:– एक आदमी ने वसि़यत की कि उसके माल में से कुछ हाजी फ़क़ीरों पर सर्फ़ किया जाये तो अगर वह माल हाजी फ़क़ीरों के सिवा दूसरे फ़क़ीरों पर सदक़ा करदिया जाये तो जाइज़ है(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.19:– एक आदमी ने अपने सुलुस् माल को सदक़ा करने की वसि़यत की फिर वसी से किसी ने उस माल को ग़स्ब कर लिया, छीन लिया और उस माल को हलाक कर दिया अब वसी यह चाहता है कि वह उस माल को उस ग़ासि़ब पर ही सदक़ा करदे और ग़ासि़ब यानी माल छींनने वाला भी ग़रीब व तंगदस्त है तो यह जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.20:– एक शख़्स को हराम माल मिला उसने वसि़यत की कि उस माल के मालिक की त़रफ से सदक़ा कर दिया जाये अगर माल का मालिक मा'लूम है तो यह माल उसे वापस किया जायेगा और अगर मा'लूम नहीं तो उसकी त़रफ़ से सदक़ा कर दिया जायेगा और अगर मूसी के वुरसा ने उसके इस इक़रार को (यह हराम माल है) झुठलाया और न माना तो वसि़यत के मुता़बिक़ इस में से एक तिहाई सदक़ा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.21:– एक आदमी ने अपने सुलुस् माल की मिस्कीनों के लिये वसि़यत की और वह अपने वत़न से बाहर किसी दूसरे शहर में है अगर माल उसके साथ है तो जिस शहर में वह है वह माल उसी शहर के मिस्कीनों पर ख़र्च किया जायेगा और उसका जो माल उसके वत़न में है वह वत़न के फ़क़ीरों व मिस्कीनों पर ख़र्च होगा। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.22:– अगर किसी ने वसि़यत की कि उसका सुलुस् माल फ़ुक़रा–ए–बल्ख़ पर सदक़ा किया जाये तो अफ़ज़ल यह है कि उनपर ही ख़र्च किया जाये और अगर वह माल उनके एलावा दूसरों पर सदक़ा कर दिया तो जाइज़ है इमाम अबू यूसुफ़ के नज़्दीक इसी पर फ़तवा है(दुर्रेमुख़्तार जि.6)

मसअ्ला.23:– यह वसि़यत की कि उसका माल दस दिन में ख़र्च कर दिया जाये उसने एक ही दिन में ख़र्च कर दिया तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.24:– अगर यह वसि़यत की कि हर फ़क़ीर को एक दिरहम दिया जाये वसी ने हर फ़क़ीर को आधा दिरहम दिया फिर आधा दिरहम और देदिया और उस वक़्त तक फ़क़ीर ने आधा ख़र्च कर लिया था तो जाइज़ है वसी ज़ामिन न होगा। (आलमगीरी जि.6 स.134)

मसअ्ला.25:– मूसी ने वसि़यत की कि मेरी त़रफ़ से कफ़्फ़ारा में दस मिस्कीन खिलादिये जायें वसी ने दस मिस्कीनों को सुबह़ का खाना खिलाया फिर दसों मरगये तो वसी दूसरे दस को सुबह़ व शाम का खाना खिलायेगा और उस पर ज़मान नहीं और अगर उसने यह कहा कि मेरी त़रफ़ से दस मिस्कीनों को सुबह़ व शाम का खाना खिला दिया जाये कफ़्फ़ारा का ज़िक्र नहीं किया और वसी ने दस मिस्कीनों को सुबह़ का खाना खिलाया था कि वह मरगये तो इस सूरत में भी मुफ़्ता बिही यही है कि वसी दूसरे दस मिस्कीनों को सबुह़ व शाम का खाना खिलायेगा और पहले दस के खिलाने का तावान न देगा। (खिज़ानतुलमुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि6 स.135)

मसअ्ला.26:– एक आदमी ने वसि़यत की कि मेरे मरने के बाद तीन सौ क़फ़ीज़ गेहूँ सदक़ा किया जाये (क़फ़ीज़ गेहूँ नापने के एक पैमाने का नाम है) वसी ने मूसी की ज़िन्दगी ही में दो सौ क़फ़ीज़ गेहूँ

सदक़ा में तक़सीम कर दिये तो वसी उसका ज़ामिन होगा मूसी के मरने के बाद हाकिम के हुक्म से तक़सीम करे, अगर उसने मूसी की मौत के बाद बिग़ैर हाकिम के हुक्म के तक़सीम करदिये तब भी वह तावान देने से नहीं बचेगा और अगर मूसी के इन्तिक़ाल के बाद वसी ने वुरसा के हुक्म से तक़सीम किये तो अगर वुरसा में ना'बालिग़ भी हैं तो उनका हुक्म करना जाइज़ नहीं, अगर सब बालिग़ हैं तो हुक्म सहीह है अगर तक़सीम करदेगा तो उसपर तावान नहीं, अगर वुरसा में ना'बालिग़ भी हैं और बालिग़ वुरसा ने गेहूँ तक़सीम करने का हुक्म दिया तो यह बालिग़ों के हिस्से में सहीह और ना'बालिग़ों के हिस्से में सहीह न होगा। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.27:– यह वसियत की कि मेरे माल से गेहूँ और रोटी ख़रीदी जाये और उन्हें मिस्कीनों पर सदक़ा किया जाये तो अगर मूसी ने गेहूँ और रोटी उठाकर लाने वाले हम्मालों (बोझ'बर्दारों) की उजरत देने की भी वसियत की तो वह मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से दी जायेगी और अगर मूसी ने अपनी वसियत में उस उजरत के देने को नहीं कहा तो ऐसी सूरत में वसी के लिये मुनासिब है कि वह ऐसे लोगों से उठवाकर लाये जो बिग़ैर उजरत के उठालायें फिर उस गेहूँ और रोटी में से बतौर सदक़ा कुछ देदे और अगर मूसी ने यह वसियत करदी थी कि उनको मसाजिद में ले जाया जाये तो इस की उजरत मुतवफ़्फ़ा मूसी के माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.28:– मूसी ने एक शख़्स को वसियत की और उसे अपना सुलुस् माल सदक़ा करने का हुक्म दिया तो अगर उस शख़्स ने वह माल खुद ही रख लिया तो जाइज़ नहीं लेकिन अगर उसने अपने बालिग़ बेटे को दिया या ऐसे छोटे बेटे को दिया जो क़ब्ज़ा करना जानता है तो जाइज़ है और अगर वह छोटा बेटा क़ब्ज़ा करना नहीं जानता तो जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.29:– बादशाह के आ़मिल (मुहासिल वसूल करने वाले) ने वसियत की कि फ़क़ीरों को उसके माल से इतना देदिया जाये तो अगर यह मा'लूम है कि उसका माल उसका नहीं दूसरे का है तो उसका लेना हलाल नहीं और अगर उसका माल दूसरे के माल से मिला जुला है तो उसका लेना जाइज़ है बशर्ते कि मुतवफ़्फ़ा मूसी का बक़िया माल इस क़दर हो कि उससे दअ्वेदारों के मुतालबात अदा होजायें। (आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.30:– एक शख़्स ने अपने सुलुस् माल की फ़ुक़रा के लिये वसियत की और वसी ने वह माल ला'इल्मी में अग़निया को देदिया तो यह जाइज़ नहीं वसी फ़ुक़रा को इतना माल देने का ज़ामिन है। (तातार ख़ानिया अज़ आलमगीरी जि.6 स.135)

मसअ्ला.31:– एक शख़्स के पास सौ दिरहम नक़्द हैं और सौ दिरहम किसी अजनबी पर उधार हैं उसने एक आदमी के लिये अपने सुलुस् माल की वसियत की तो मूसा'लहू नक़्द माल का सुलुस् ले लेगा। (ज़हीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.32:– एक शख़्स का किसी आदमी पर उधार था उसने वसियत की कि उसे सवाब के कामों में सर्फ़ किया जाये तो इस वसियत का तअ़ल्लुक़ सिर्फ़ उधार से है अगर मूसी ने अपने उधार में से कुछ हिस्सा मक़रुज़ को हिबा करदिया तो जिस क़द्र हिबा करदिया उतने माल में वसियत बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.33:– अपने जिस्म के सामान की वसियत की तो इस में टोपी, मौज़े, लिहाफ़, बिस्तर, क़मीस, फ़र्श और पर्दे शामिल हैं। (सियर अज़ आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.34:– हरीर के जुब्बे की वसियत की और मूसी का एक जुब्बा है जिसका बालाई कपड़ा भी हरीर है और अस्तर भी हरीर है तो वह वसियत में शामिल है और अगर बालाई हिस्सा हरीर है और अस्तर ग़ैर हरीर तब भी वसियत में दाख़िल है अगर अस्तर हरीर है और बालाई कपड़ा हरीर नहीं तो मूसा'लहू को नहीं मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.136)

मसअ्ला.35:– अगर ज़ेवरात की वसियत की तो इसमें हर वह चीज़ दाख़िल है जिसपर ज़ेवर का

लफ़्ज़ बोला जाये ख़्वाह याकूत व ज़ुमुर्रुद से जुड़ाव हो या न हो और यह सब मूसा'लहू को मिलेगा
मसअ्ला.36:– ज़ेवर की वसियत की तो उसमें सोने की अंगूठी दाख़िल है और उसमें चाँदी की वह अंगूठी भी दाख़िल है जो औरतें पहनती हैं लेकिन अगर चाँदी की अंगूठी ऐसी है जिसको मर्द पहनते हैं वह इसमें दाख़िल नहीं और अगर लूलू और ज़ुमुर्रुद वग़ैरा चाँदी, सोने के साथ मुरक्कब हैं तो यह भी ज़ेवर में दाख़िल हैं वरना नहीं। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.136)

वसी और उसके इख़्तियारात का बयान

आदमी को वसियत क़बूल करना मुनासिब बात नहीं क्योंकि यह ख़तरात से पुर है हज़रत इमाम अबूयूसुफ़ रहिमहुल्लाहु अलैहि से मन्कूल है वह फ़रमाते हैं पहली बार वसियत क़बूल करना ग़लती है दूसरी बार ख़्यानत तीसरी बार सर्क़ा है हज़रते इमाम शाफ़ेई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फ़रमाते हैं वसियत में नहीं दाख़िल होता है मगर बे'वक़ूफ़ और चोर। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.137)

वसी:– उस शख़्स को कहते हैं जिस को वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे वसी तीन तरह के होते हैं (1)एक वसी वह है जो अमानतदार हो और वसियत पूरी करने पर क़ादिर हो, क़ाज़ी के लिये उसको मअ्ज़ूल और बर'तरफ़ करना जाइज़ नहीं (2)दूसरा वसी वह है जो अमानतदार तो हो मगर आजिज़ हो यानी वसियत को पूरा करने की क़ुदरत न रखता हो क़ाज़ी के लिये ज़रूरी है कि उसे बर'तरफ़ और मअ्ज़ूल करदे और उसकी जगह किसी दूसरे अमानतदार मुसलमान को मुक़र्रर करे। (ख़िज़ानतुल मुफ़्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.1:– एक शख़्स ने किसी को उसके सामने अपना वसी बनाया या मूसा इलैहि यानी वसी ने कहा कि मैं क़बूल नहीं करता तो उसका इनकार और रद करना सहीह है और वह वसी नहीं होगा फिर अगर मूसी ने मूसा इलैहि से यह कहा कि मेरा ख़्याल तुम्हारे बारे में ऐसा न था कि तुम क़बूल न करोगे उसके बाद मूसा इलैहि ने कहा "मैं ने वसियत क़बूल की" तो यह जाइज़ है और अगर वह मूसी की हयात में ख़ामोश रहा न क़बूल किया न इनकार फिर मूसी का इन्तिक़ाल हो गया तो उसे इख़्तियार है चाहे तो उसकी वसियत क़बूल करले या रद्द व इन्कार करदे (आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.2:– मूसी ने किसी को वसी बनाया वह ग़ाइब था उसे मूसी की मौत के बाद यह ख़बर पहुँची उसने कहा मुझे क़बूल नहीं फिर कहा क़बूल करलिया मैंने, अगर बादशाह ने अभी उसे वसी होने से ख़ारिज नहीं किया था और उसने पहले ही क़बूल कर लिया तो जाइज़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.3:– मूसी ने किसी को वसियत की उसने मूसी की ज़िन्दगी में क़बूल कर लिया तो उसके लिये वसी होना लाज़िम होगया अब अगर वह मूसी की मौत के बाद उससे निकलना चाहे तो उसके लिये यह जाइज़ नहीं और अगर उसने मूसी की ज़िन्दगी में उसके इल्म में लाकर क़बूल करने से इन्कार कर दिया तो सहीह है और इनकार कर दिया मगर मूसी को इसका इल्म नहीं हुआ तो सहीह नहीं। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.4:– किसी को वसियत की और यह इख़्तियार दिया कि जब वह चाहे वसी होने से निकल जाये तो यह जाइज़ है और वसी को यह हक़ है कि जिस वक़्त चाहे और जब चाहे वसी होने से निकल जाये। (ख़िज़ानतुल मुफ़्तीन अज आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.5:– किसी को वसियत की उसने कहा मैं क़बूल नहीं करता फिर मूसी ख़ामोश होगया और इन्तिक़ाल करगया फिर मूसा इलैहि यानी उस शख़्स ने जिसको वसियत की थी कहा कि मैंने क़बूल किया तो सहीह नहीं, और अगर मूसा'इलैहि ने सुकूत इख़्तियार किया और मूसी के सामने यह न कहा कि मैं क़बूल नहीं करता फिर उसकी पसे पुश्त मूसी की ज़िन्दगी में या उसकी मौत के बाद एक जमाअत की मौजूदगी में कहा कि मैंने क़बूल करलिया तो इसका क़बूल करना जाइज़ है और यह वसी बन जायेगा ख़्वाह उसका यह क़बूल करना क़ाज़ी के सामने हो या उसकी अदम मौजूदगी में और अगर क़ाज़ी ने उसे उसके यह कहने के बाद कि मैं क़बूल नहीं करता वसी होने

से ख़ारिज करदिया फिर उसने कहा कि मैं क़बूल करता हूँ तो यह क़बूल करना सहीह नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.6:– मूसी ने किसी को वसी बनाया या उसने मूसी की अदम मौजूदगी में कहा कि मैं क़बूल नहीं करता और इस इन्कार की इत्तिलाअ् के लिये उसने मूसी के पास क़ासिद भेजा या ख़त भेजा और वह मूसी तक पहुँचगया फिर उसने कहा कि मैं क़बूल करता हूँ तो यह क़बूल करना सहीह नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.7:– मूसा इलैहि (वसी) ने मूसी के सामने वसियत को क़बूल कर लिया फिर जब वसी चला गया मूसी ने कहा गवाह रहो मैंने उसे वसियत से ख़ारिज कर दिया तो यह इख़्राज सहीह है और अगर वसी ने मूसी की अदम मौजूदगी में वसी बनने को रद कर दिया क़बूल नहीं किया तो उसका यह रद करना बातिल है। (आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.8:– मूसी ने किसी शख़्स को अपना वसी बनाया और उसे अपना वसी होना मालूम नहीं फिर उस वसी ने मूसी की मौत के बाद उसके तर्का से कोई चीज़ फरोख़्त की तो उसका फरोख़्त करना जाइज़ है और उसे वसी होना लाज़िम होगया। (फतावा क़ाज़ीख़ाँ अज आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.9:– मूसी ने दो आदमियों को वसियत की एक ने क़बूल कर लिया दूसरा ख़ामोश रहा फिर मूसी की मौत के बाद क़बूल करने वाले ने सुकूत करने वाले से कहा कि मूसी की मय्यित के लिये कफ़न ख़रीद ले उसने ख़रीद लिया या कहा ''हाँ अच्छा'' तो यह सूरत वसियत क़बूल करने की है। (ख़िज़ानतुल मुफ़तीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.10:– वसी ने वसियत क़बूल करली फिर उसने इरादा किया कि वसियत से निकल जाये यह बिग़ैर हाकिम की इजाज़त के जाइज़ नहीं मूसा'इलैहि यानी वसी को जब वसियत लाज़िम होगई फिर वह हाकिम के पास हाज़िर हुआ और उसने अपने आप को वसी होने से ख़ारिज किया तो हाकिम मुआमले पर ग़ौर करेगा अगर वह वसी अमानतदार वसियत नाफ़िज़ करने पर क़ादिर है तो उसे वसी होने से नहीं निकालेगा और अगर वह आजिज़ है और उसके मशाग़िल कसीर हैं तो निकाल देगा। (अस्सिराजुलवह्हाज अज़ आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.11:– किसी फ़ासिक़ को वसी बनाया जिससे उसके माल को ख़तरा है तो यह वसियत यानी उसको वसी बनाना बातिल है यानी उसे क़ाज़ी वसी होने से ख़ारिज कर देगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.12:– फ़ासिक़ को वसी बनाया तो क़ाज़ी को चाहिए कि उसको वसी होने से ख़ारिज करदे और उसके ग़ैर को वसी बनादे अगर यह क़ाज़ी वसी होने के लाइक़ नहीं है और अगर क़ाज़ी ने वसियत को नाफ़िज़ किया और उस फ़ासिक़ वसी ने इससे पहले कि क़ाज़ी उसे वसी होने से ख़ारिज करदे मय्यित के दैन (उधार) को अदा कर दिया और बैअ् व शिरा की तो उसने जो कुछ कर दिया जाइज़ है और अगर उसे क़ाज़ी ने नहीं निकाला था कि उस फ़ासिक़ ने तौबा की और सालेह (नेक) होगया तो क़ाज़ी उसे ब'दस्तूर वसी बनाये रखेगा। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.137)

मसअ्ला.13:– अगर क़ाज़ी को मालूम न था कि मय्यित का कोई वसी है और पहले वसी की मौजूदगी में उसने एक दूसरे शख़्स को वसी मुक़र्रर करलिया फिर पहले वसी ने वसियत में दाख़िल होना चाहा यानी वसियत को नाफ़िज़ करना चाहा तो उसे इसका हक़ है और क़ाज़ी का यह फ़ेअ्ल उसे वसी होने से ख़ारिज नहीं करता है। (फ़तावा ख़ुलासा अज़ आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.14:– क़ाज़ी को इल्म न था कि मय्यित का वसी है और वसी ग़ाइब है क़ाज़ी ने किसी और शख़्स को वसी बना दिया तो क़ाज़ी का बनाया हुआ यह वसी मय्यित ही का वसी होगा क़ाज़ी का नहीं । (मुहीतुस्सर्ख़सी अज़ आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.15:– मुसलमान ने हर्बी काफ़िर को ख़्वाह वह मुस्तामिन है या ग़ैर मुस्तामिन अपना वसी बनाया तो यह बातिल है यही हुक्म मुसलमान का ज़िम्मी को वसी बनाने का है।(आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.16:– हर्बी काफ़िर अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ उसने किसी मुसलमान को

अपना वसी बनाया तो यह जाइज़ है। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.17:– मुस्लिम ने हर्बी को वसी बनाया फिर हर्बी इस्लाम ले आया तो वह ब'दस्तूर वसी रहेगा और यही हुक्म मुर्तद का भी है। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.18:– आकिल को वसी बनाया फिर उस आकिल को जुनूने मुतबक (जुनूने मुतबक यह है कि वह कम अज कम एक माह तक मुसलसल पागल रहे) तो काज़ी को चाहिए कि उसकी जगह किसी और को वसी मुक़र्रर करदे अगर काज़ी ने अभी किसी दूसरे को वसी मुक़र्रर नहीं किया था कि उसका पागल'पन जाता रहा और सहीह होगया तो यह ब'दस्तूर वसी बना रहेगा। (आलमगीरी जि.6 स138)

मसअ्ला.19:– अगर किसी ने बच्चे को या मअ्तूह (पागल) को वसी बनाया तो यह जाइज़ नहीं ख़्वाह बाद में वह अच्छा होजाये या न हो। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.20:– किसी शख़्स ने औरत को या अंधे को वसी बनाया तो यह जाइज़ है उसी तरह तोहमते ज़िना में सज़ा'याफ़्ता को भी वसी बनाना जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.21:– ना'बालिग़ बच्चे को वसी बनाया तो काज़ी उसको वसी होने से ख़ारिज कर देगा और उसकी जगह कोई दूसरा वसी बना देगा अगर काज़ी के उसको वसी होने से ख़ारिज करने से क़ब्ल उसने तसर्रुफ़ कर दिया तो नाफ़िज़ न होगा। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.22:– किसी शख़्स को वसी बनाया और कहा कि अगर तू मरजाये तो तेरे बाद फ़ुलाँ शख़्स वसी है फिर पहला वसी जुनूने मुतबक (ज्यादा मुद्दत का पागल'पन) में मुब्तला होगया तो काज़ी उसकी जगह दूसरा वसी मुक़र्रर कर देगा और जब यह पागल मरजाये तब वह फ़ुलाँ शख़्स वसी बनेगा जिसको मूसी ने पहले के बाद नामज़द किया। (आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.23:– किसी शख़्स ने अपने ना'बालिग़ बेटे को वसी बनाया तो काज़ी उसके लिये दूसरे को वसी मुक़र्रर करेगा जब यह ना'बालिग़ लड़का बालिग़ होजाये तो उसे वसी बनादेगा और अगर चाहे तो उसे ख़ारिज करदे जिस लड़के की ना'बालिग़ की वजह से वसी बना दिया था लेकिन वह बिग़ैर काज़ी के निकाले हुए निकल नहीं सकता। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स138)

मसअ्ला.24:– वसी अमीन है और तसर्रुफ़ करने पर क़ादिर है तो काज़ी उसे मअ्ज़ूल नहीं कर सकता और अगर सब वारिसों ने या बाज़ ने काज़ी से वसी की शिकायत की तो काज़ी के लिये मुनासिब नहीं कि वह उसे मअ्ज़ूल करदे जब तक काज़ी पर उसकी ख़्यानत ज़ाहिर न होजाये अगर ख़्यानत ज़ाहिर होजाये तो मअ्ज़ूल करदे। (काफ़ी अज़ आलमगीरी जि.6 स.138)

मसअ्ला.25:– अगर काज़ी के नज़्दीक वसी मुत्तहम होजाये (तोहमत लग जाये) तो काज़ी उसके साथ दूसरे को मुक़र्रर करदेगा यह इमामे आज़म के नज़्दीक है लेकिन इमाम अबूयूसुफ़ के नज़्दीक काज़ी उस मुत्तहम को वसियत से निकाल देगा। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअ्ला.26:– वक़्फ़ के लिये वसी था या मय्यित के तर्का के लिये वसी था वह तर्का में मय्यित की वसियत पूरी करने में या वक़्फ़ का इन्तिज़ाम क़ाइम रखने में आजिज़ रहा तो हाकिम एक और कय्यिस्म (क़ाइम करने वाला) मुक़र्रर करेगा फिर वसी ने कुछ दिनों के बाद कहा कि अब मैं उन चीज़ों को क़ाइम करने पर क़ादिर होगया हूँ जो मूसी ने मेरे सिपुर्द की थीं तो वह ब'दस्तूर वसी है हाकिम को दोबारा मुक़र्रर करने की ज़रूरत नहीं। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअ्ला.27:– मूसी ने दो आदमियों को अपना वसी बनाया तो दोनों में से एक तन्हा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता और उसका तसर्रुफ़ बिग़ैर दूसरे की इजाज़त के नाफ़िज़ नहीं होगा लेकिन चन्द चीज़ों में हो सकता है जैसे मय्यित की तजहीज़ व तकफ़ीन मय्यित के दैन की अदाइगी वदीअत (अमानत) की वापसी और ग़सब'कर्दा चीज़ की वापसी हक़ूक़े मय्यित से मुतअल्लिक़ मुक़द्दमात ना'बालिग़ वारिस के लिये हिबा क़बूल करना और जिस चीज़ की हलाकत का अन्देशा है उसे फ़रोख़्त करना लेकिन वह तन्हा मय्यित की वदीअत (अमानत) पर क़ब्ज़ा नहीं कर सकता न मय्यित का दैन वसूल

करके क़ब्ज़ा कर सकता है। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.28:– मूसी ने वसियत की और दो आदमियों को वसी बनाया कि उसका इतना इतना माल उसकी तरफ़ से सदक़ा करदें और किसी फ़क़ीर को मुअय्यन नहीं किया तो दोनों में से कोई वसी अकेले सदक़ा नहीं करेगा और अगर मूसी ने फ़क़ीर को मुअय्यन कर दिया था तो एक वसी अकेले ही सदक़ा कर सकता है। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.29:– मूसी ने दो आदमियों को वसी बनाया और कहा कि तुम दोनों में से हर एक पूरा पूरा वसी है तो हर एक के लिये तन्हा तसर्रुफ़ करना जाइज है(खिजानतुल मुफ़तीन अज आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.30:– एक शख़्स ने एक आदमी को किसी मख़्सूस व मुअय्यन शय में वसी बनाया और दूसरे आदमी को किसी दूसरी क़िस्म की चीज़ में वसी बनाया मस्लन यह कहा कि मैंने तुझे अपने क़र्ज़ों की अदायगी में वसी बनाया और दूसरे से कहा कि मैंने तुझे अपने उमूरे मालिया के क़याम में वसी बनाया तो उनमें से हर वसी तमाम कामों में वसी है। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.31:– किसी आदमी को अपने बेटे पर वसी बनाया और एक दूसरे आदमी को अपने दूसरे बेटे पर वसी बनाया या उसने एक वसी बनाया अपने मौजूदा माल में और दूसरे को वसी बनाया अपने ग़ाइब माल में तो अगर उसने यह शर्त लगादी थी कि उन दोनों में से कोई इस मुआमले में वसी नहीं होगा जिसका वसी दूसरा है तो जैसी उसने शर्त लगाई बिल इत्तिफ़ाक़ ऐसा ही होगा और अगर यह शर्त नहीं लगाई थी तो इस सूरत में हर वसी पूरे पूरे मुआमलात में वसी होगा(आलमगीरी)

मसअला.32:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया फिर एक वसी का इन्तिक़ाल होगया तो ज़िन्दा बाक़ी रहने वाला वसी इस के माल में तसर्रुफ़ नहीं करेगा वह मुआमला क़ाज़ी के सामने ले जायेगा अगर क़ाज़ी मुनासिब ख़याल करेगा तो तन्हा इस को वसी बनादेगा और तसर्रुफ़ का इख़्तियार देदेगा या अगर मुनासिब समझेगा तो इस के साथी मरने वाले वसी के बदले में कोई दूसरा वसी मुक़र्रर करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.139)

मसअला.33:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया तो उन दोनों वसियों में से किसी को यह इख़्तियार नहीं कि वह अपने साथी से यतीम के माल से कुछ ख़रीदें इसी तरह दो यतीमों के लिये दो वसी थे उनमें से किसी को यतीम का माल ख़रीदना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.34:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने दो वसी बनाये थे फिर एक शख़्स आया और उसने मय्यित पर अपने दैन (क़र्ज़) का दअ्वा किया दोनों वसियों ने बिग़ैर दलील क़ाइम हुए उसका दैन अदा करदिया फिर उन दोनों वसियों ने क़ाज़ी के पास जाकर इस दअ्वाए उधार पर शहादत दी तो उनकी शहादत क़बूल नहीं की जायेगी और जो कुछ उन्होंने मुद्दई को दिया है वह उस के ज़ामिन हैं और अगर उन्होंने इसका दैन (उधार) अदा करने से पहले शहादत दी फिर क़ाज़ी ने उन्हें दैन अदा करने का हुक्म दिया और उन्होंने अदा करदिया तो अब उन पर ज़मान नहीं(आलमगीरी जि.6स.140)

मसअला.35:– मय्यित के वसी ने मय्यित का दैन शाहिदों की शहादत के बाद अदा किया तो जाइज़ है और इस पर ज़मान नहीं और अगर बिग़ैर क़ाज़ी के हुक्म के बाज़ का दैन अदा करदिया तो मय्यित के क़र्ज़ख़्वाहों के लिये ज़ामिन होगा और अगर क़ाज़ी के हुक्म से अदा किया तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.36:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया उनमें से एक का इन्तिक़ाल हुआ फिर मरते वक़्त उसने अपने साथी को वसी बनादिया तो यह जाइज़ है और अब उसको तन्हा तसर्रुफ़ करने का हक़ है। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.37:– वसी जब मरने के क़रीब हो तो उसको हक़ है कि वह दूसरे को वसी बनादे चाहे मूसी ने उसे वसी बनाने का इख़्तियार न दिया हो। (ज़ख़ीरा आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअला.38:– एक शख़्स ने वसियत की और इन्तिक़ाल कर गया और उसके पास किसी की

वदीअत में (अमानतें) रखी हैं फिर एक वसी ने दूसरे वसी की इजाजत के बिगैर मय्यित के घर से अमानतें कब्जा में करली या किसी एक वारिस् ने दोनों वसियों के इजाजत के बिगैर या बकिया वारिसों की इजाजत के बिगैर उन वदीअतों पर क़ब्जा कर लिया और उसके क़ब्जे में आकर वह माले अमानत हलाक होगया तो उस पर जमान नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअ्ला.39:– दो वसी हैं उनमें से एक ने क़ब्रिस्तान तक जनाज़ा उठाने के लिये मज़दूर किराये पर लिये और दूसरा वसी भी मौजूद है लेकिन ख़ामोश रहा तो यह जाइज़ है उजरत मय्यित के माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.140) या वारिसों में से किसी ने दोनों वसियों की मौजूदगी में जनाज़ा उठाने के लिये मज़दूर किराये पर लिये और दोनों वसी ख़ामोश हैं तो जाइज़ है उनकी मज़दूरी मय्यित के माल से दी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअ्ला.40:– मय्यित ने दो वसियों को जनाज़ा उठाने से क़ब्ल फुक़रा को गन्दुम (गेहूँ) सदका करने की वसियत की उनमें से एक वसी ने गन्दुम सदका करदिया अगर यह गन्दुम मय्यित के माले मतरुका में मौजूद था तो जाइज़ है और दूसरे वसी को मनअ् करने का हक़ नहीं, अगर ख़रीदकर सदका किया तो ख़ुद उसकी तरफ़ से होगा, यही हुक्म कपड़े और खाने का है।(आलमगीरी जि.6 स.140)

मसअ्ला.41:– एक शख़्स ने दो आदमियों को वसी बनाया और उनसे कहा कि मेरा सुलुस् माल जहाँ चाहो देदो या जिसको चाहो देदो फिर उनमें से एक वसी का इन्तिकाल होगया तो यह वसियत बातिल होजायेगी और यह सुलुस् माल वुरसा को मिल जायेगा और अगर यह वसियत की थी कि मैंने सुलुस् माल मसाकीन के लिये करदिया फिर एक वसी का इन्तिक़ाल होगया तो क़ाज़ी उसकी जगह अगर चाहे तो दूसरा वसी बनादे अगर चाहे तो ज़िन्दा रहने वाले वसी से कहे 'तू तन्हा उसको तक़सीम करदे। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.42:– दो ना'बालिग़ों के घरों के बीच में एक दीवार है उस दीवार पर उनका अपना अपना हमूला (बोझ) यानी वज़नी सामान है और दीवार के गिरने का अन्देशा है और हर ना'बालिग़ के लिये एक वसी है उनमें से एक के वसी ने दूसरे के वसी से दीवार की मरम्मत का मुतालबा किया और दूसरे ने इनकार करदिया तो क़ाज़ी अमीन को भेजेगा कि अगर दीवार को इसी हालत में छोड़ देने से नुक़सान का ख़तरा है तो इनकार करने वाले वसी को मजबूर किया जायेगा कि वह दूसरे वसी के साथ मिलकर दीवार की मरम्मत कराये। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.43:– किसी शख़्स को यह वसियत की कि मेरा सुलुस् माल जहाँ तू पसन्द करे रखदे तो इस वसी के लिये जाइज़ है कि वह उस माल को अपनी ज़ात के लिये करे और अगर यह वसियत की थी कि जिसको चाहे देदे तो इस सूरत में वह यह माल खुद को नहीं दे सकता(आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.44:– एक शख़्स ने किसी को वसी बनाया उस से कहा कि तू फुलाँ के इल्म के साथ अमल कर, तो वसी के लिये जाइज़ है कि वह फुलाँ के इल्म के बिग़ैर ही अमल करे, और अगर यह कहा था कि कोई काम न कर मगर फुलाँ के इल्म के साथ तो वसी के लिये जाइज़ नहीं कि वह फुलां के इल्म के बिग़ैर अमल करे। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.45:– अगर मय्यित ने वसी से यह कहा कि फुलाँ की राय से अमल कर या कहा अमल न करना मगर फुलाँ की राय से तो पहली सूरत में सिर्फ़ वसी मुख़ातब है वह तन्हा वसी रहेगा और दूसरी सूरत में वह दोनों वसी हैं। (खिज़ानतुल मुफतीन अज़ आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.46:– किसी शख़्स ने अपने वारिस् को वसी बनाया तो यह जाइज़ है अगर यह वसी अपने मूरिस् की मौत के बाद मरगया और एक शख़्स से यह कहा था कि मैंने तुझे अपने माल में वसी बनाया और उस मय्यित के माल में वसी बनाया जिस में मैं वसी हूँ तो यह दूसरा वसी दोनों के माल में वसी होगा। (फतावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.47:– एक शख़्स ने किसी को अपना वसी बनाया फिर एक और शख़्स ने उस मूसी को

अपना वसी बनादिया फिर यह दूसरा मूसी इन्तिकाल करगया तो मूसी अव्वल उसका वसी है, फिर उसके बाद अगर मूसी अव्वल भी मरजाये तो उसका वसी उन दोनों मरने वालों का वसी होगा, मिसाल के तौर पर जैद ने खालिद को अपना वसी बनाया और कलीम ने जैद को अपना वसी बनाया फिर दूसरा मूसी यानी कलीम इन्तिकाल करगया तो जैद उसका वसी है और मूसी अव्वल जैद भी उसके बाद इन्तिकाल करगया तो उसका वसी खालिद उन दोनों का वसी होगा। (आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.48:– मरीज ने एक जमाअत को मुखातब करके मेरे मरने के बाद ऐसा करना, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वह सब वसी बन गये, और अगर खामोश रहे फिर उसके मरने के बाद बाज ने कबूल कर लिया तो अगर कबूल करने वाले दो या ज्यादा हैं तो वह उसके वसी बन जायेंगे और उन्हें इस की वसियत नाफिज करने का हक है लेकिन अगर कबूल करने वाला एक है तो वह भी वसी बन जायेगा लेकिन उसे तन्हा वसियत नाफिज़ करने का इख्तियार नहीं ता'वक्ते कि वह हाकिम से रुजूअ् न करे हाकिम उसके साथ एक और वसी मुकर्रर करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.141)

मसअ्ला.49:– दो वसियों में इस अम्र में इख्तिलाफ हुआ कि माल किसके पास रहेगा तो अगर माल काबिले तकसीम है तो दोनों के पास आधा आधा रहेगा और अगर काबिले तकसीम न हो तो अगर दोनों चाहें तो किसी दूसरे के पास वदीअ़त रखदें और चाहें तो दोनों में से किसी एक के पास रहे सब सूरतें जाइज़ हैं। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.50:– यतीमों के लिये दो वसी थे उनमें से एक ने माल तकसीम कर लिया तो जाइज नहीं जब तक दोनों एक साथ मौजूद न हों या जो गाइब है उसकी इजाज़त हासिल हो। (आलमगीरी जि.6) यही हुक्म ना'बालिग़ के माल के फरोख्त करने का है कि दोनों वसी हाजिर हों तो फरोख्त करना जाइज़ है, अगर एक गाइब है तो दूसरा उससे इजाजत लिये बिग़ैर फरोख्त नहीं कर सकता।

मसअ्ला.51:– वसी ने मय्यित की ज़मीन फरोख्त की ताकि उसका दैन अदा करदे और वसी के कब्जे में इतना माल है कि उस से मय्यित का उधार बेबाक करदे (यानी अदा करदे) इस सूरत में भी यह बैअ् जाइज़ है। (खिजानतुल मुफतीन अज आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.52:– बाप की तरफ़ से मुकर्रर'कर्दा वसी नाबालिग के लिये माल का मुकासमा कर सकता है चाहे माल मन्कूला जायदाद हो या जायदादे ग़ैर मन्कूला, इस में अगर मअ़मूली गड बड हो (यानी मअ़मूली गबन हो) तब भी जाइज़ है लेकिन अगर गबने फाहिश है (बड़ा गबन है) तो जाइज नहीं इस किस्म के मसाइल में अस्ल व क़ाइदा यह है कि जो शख्स किसी चीज को फरोख्त करने का इख्तियार रखता है उसे इस में मुकासमा करने का इख्तियार भी हासिल है। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.53:– वसी के लिये जाइज़ है कि मूसा'लहू के हिस्से की तकसीम करदे सिवाए अक्कार (यानी ग़ैर मन्कूला जायदाद के इलावा) के और नाबालिगों का हिस्सा रोकले अगर्चे बाज बालिग और गाइब हों। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.54:– वसी ने वुरसा के लिये मूसी का माल तकसीम किया और तर्का में किसी शख्स के लिये वसियत भी है और मूसा'लहू गाइब है तो वसी की तकसीम गाइब मूसा'लहू पर जाइज नहीं मूसा'लहू अपनी वसियत में वुरसा का शरीक होगा और अगर तमाम वुरसा ना'बालिग हैं और वसी ने मूसा'लहू से माल तकसीम किया और उसे सुलुस् माल देकर दो सुलुस् वुरसा के लिये रोक लिया तो यह जाइज़ है अब अगर वसी के पास से वह माल हलाक होगया तो वुरसा मूसा'लहू के हिस्से में शरीक न होंगे। (फतावा काजीखाँ अज आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.55:– काज़ी ने यतीम के लिये हर चीज़ में वसी मुकर्रर कर लिया फिर उसने जायदादे ग़ैर मन्कूला में और सामान में तकसीम की तो जाइज़ है जबकि काजी ने हर चीज में वसी मुकर्रर किया हो लेकिन अगर उसे यतीम के नफका और किसी खास शय की हिफाजत के लिये वसी मुकर्रर किया तो उसे तकसीम करना जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.142)

मसअ्ला.56:– किसी ने एक हजार दिरहम के सुलुस् की वसियत की वुरसा ने यह काज़ी के हवाले कर दिये काज़ी ने उसको तक़सीम किया और मूसा लहू गाइब है तो काज़ी की तक़सीम सहीह है यहाँ तक कि अगर मूसा'लहू के हिस्से के यह दिरहम हलाक होगये बाद में मूसा'लहू हाज़िर हुआ तो वुरसा के हिस्से में वह शरीक न होगा। (काफ़ी अज आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.57:– दो यतीमों के लिये एक वसी है इसने यतीमों के बालिग होजाने के बाद उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को एक हज़ार दिरहम दे चुका हूँ उनमें से एक ने वसी की तस्दीक़ की और दूसरे ने तकज़ीब की और इन्कार किया तो इस सूरत में इन्कार करने वाला अपने भाई से ढाई सौ दिरहम लेने का हक़दार है और अगर दोनों ने वसी की बात तस्लीम करने से इन्कार कर दिया तो वसी पर उन के लिये कुछ नहीं और अगर वसी ने यह कहा था कि मैंने तुम में से हर एक को पाँच पाँच सौ दिरहम अलैहिदा अलैहिदा दिये थे और उनमें से एक ने तस्दीक़ की दूसरे ने इन्कार किया तो इस सूरत में इन्कार करने वाला वसी से ढाई सौ दिरहम ले लेगा। (आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.58:– एक शख़्स ने दो छोटे लडके छोड़े और उनके लिये वसी बनादिया, उन्होंने बालिग होने के बाद वसी से अपनी मीरास् तलब की, वसी ने कहा कि तुम्हारे बाप का कुल तर्का एक हज़ार दिरहम था और मैं तुम में से हर एक पर पाँच पाँच सौ दिरहम ख़र्च कर चुका हूँ उन दोनों बेटों में से एक ने वसी की तस्दीक़ की और दूसरे ने इन्कार किया तो इन्कार करने वाला तस्दीक़ करने वाले से ढाई सौ दिरहम ले लेगा वसी से कुछ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.59:– जो वसी बच्चे की माँ ने मुक़र्रर किया वह उस बच्चे के लिये उसकी वह मन्कूला जायदाद व तक़सीम करने का हक़दार है जो बच्चे को उसकी माँ की तरफ़ से मिली है, यह हक़ उस वक़्त है जब बच्चे का बाप ज़िन्दा न हो और न बाप का वसी, लेकिन उन दोनों में से अगर एक भी है तो माँ के वसी को तक़सीम का हक़ नहीं लेकिन माँ का वसी किसी हाल में भी बच्चे के लिये उसकी जायदादे ग़ैर मन्कूला (वह जायदाद जो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तकिल न हो सके) नहीं कर सकता और न उसे इस जायदाद की तक़सीम का इख़्तियार है जो बच्चे की माँ के एलावा किसी और से मिली चाहे वह जायदादे मन्कूला हो या ग़ैर मन्कूला। यही हुक्म ना'बालिग़ के भाई के वसी और उसके चचा के वसी का है। (आलमगीरी जि.6 स.143)

मसअ्ला.60:– बाप के वसी ने बाप के तर्का से कुछ फ़रोख़्त किया तो इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि मय्यित पर दैन न हो और न वसियत हो दूसरी सूरत यह है कि मय्यित पर दैन हो या उसने वसियत की हो तो पहली सूरत में हुक्म यह है। (किताबुस्सग़ीर में है) वसी के लिये यह जाइज़ है कि वह हर चीज़ फ़रोख़्त कर सकता है ख़्वाह वह ज़मीन हो या अस्बाब जब कि वुरसा ना'बालिग़ हों, दूसरी सूरत यह है कि अगर मय्यित पर दैन है और पूरे तर्का के बराबर है तो कुल तर्का फ़रोख़्त करना बिल'इजमाअ् जाइज़ है। अगर दैन पूरे तर्का के बराबर नहीं तो बक़द्र दैन तर्का फ़रोख़्त करेगा। (काफ़ी अज आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.61:– अगर वसी ने अपने माल से मय्यित को कफ़न दिया तो वह मय्यित के माल से लेगा और यही हुक्म वारिस् का भी है। (उक़ूदुद्दुर्रिया बज़ाज़िया बर'हामिश हिन्दिया जि.6 स.446)

मसअ्ला.62:– अगर वसी या वारिस् ने मय्यित का दैन अपने माल से अदा किया तो वह मय्यित के माल से लेने का मुस्तहक़ है। (उक़ूदुद्दुर्रिया बज़ाज़िया बर'हामिश हिन्दिया जि.6 स.446)

मसअ्ला.63:– बाप की तरफ़ से छोटे बच्चे के लिये जो वसी मुक़र्रर है उसे बच्चे की जायदादे ग़ैर'मन्कूला सिर्फ़ इस सूरत में फ़रोख़्त करने का इख़्तियार व इजाज़त है जब मय्यित पर दैन हो जो सिर्फ़ ज़मीन की क़ीमत से ही अदा किया जा सकता है या बच्चे के लिये ज़मीन की क़ीमत की ज़रूरत हो या कोई ख़रीदार ज़मीन की दोगुनी क़ीमत अदा करने को तैयार हो(आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.64:– वसी ने यतीम के लिये कोई चीज़ ख़रीदी अगर उसमें ग़ब्ने फ़ाहिश है यानी खुली

बेईमानी है तो यह खरीदारी जाइज नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.65:– वुरसा अगर बालिग व हाजिर हैं तो उनकी इजाजत के बिगैर वसी को मय्यित के तर्का से कुछ फरोख्त करना जाइज नहीं अगर बालिग वुरसा मौजूद नहीं हैं तो उनकी अदम मौजूदगी में वसी को जायदादे गैर मन्कूला को फरोख्त करना जाइज नहीं, जायदादे गैर मन्कूला के इलावा और चीजों की बैअ् जाइज है जायदादे गैर मन्कूला को सिर्फ उस सूरत में वसी को फरोख्त करना जाइज है जबकि उसके जाइअ् व हलाक होने का खतरा हो। अगर मय्यित ने वसियते मुरसला (मुतलका) की तो वसी बकद्र वसियत बैअ् करने का बिल इत्तिफाक मालिक है और इमामे आजम के नज्दीक कुल की बैअ् कर सकता है। (आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.66:– अगर वुरसा में कोई ना बालिग बच्चा है और बाकी सब बालिग हैं और मय्यित पर कोई दैन और उसकी कोई वसियत भी नहीं और तर्का सब ही अज किस्मे माल व अस्बाब है। (यानी जायदादे गैर मन्कूला नहीं) तो वसी ना बालिग बच्चे का हिस्सा फरोख्त कर सकता है और इमामे आजम रहमतुल्लाहि अलैहि के नज्दीक वह वसी बाकी मान्दा बड़ों के हिस्से को भी बैअ् कर सकता है और अगर वह कुल की बैअ् करेगा तो उसकी बैअ् जाइज होगी। (आलमगीरी जि.6 स.144)

मसअ्ला.67:– माँ का इन्तिकाल हुआ उसने ना बालिग बच्चा छोड़ा और उसके लिये वसी बनाया तो उस वसी को बजुज जायदादे गैर मन्कूला उसके तर्का से हर चीज बैअ् करना जाइज है और इस वसी को इस बच्चे के लिये खाने, कपड़े के एलावा कोई और चीज खरीदना जाइज नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.68:– एक शख्स का इन्तिकाल हुआ उसने अपने ना बालिग बच्चे छोड़े और अपने बाप को छोड़ा और किसी को अपना वसी नहीं बनाया इस सूरत में मय्यित का बाप (यानी बच्चों का दादा) वसी की जगह समझा जायेगा उसे बच्चों की हिफाजत और माल में हर किस्म के तसर्रुफात का इख्तियार है लेकिन अगर मय्यित पर दैने कसीर (ज्यादा कर्ज) हो तो इस मय्यित के बाप को दैन की अदायगी के लिये उसका तर्का फरोख्त करने का इख्तियार नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.145)

मसअ्ला.69:– मय्यित के वसी ने दुयून (कर्जों) की अदायगी के लिये उसका तर्का फरोख्त किया और दैन तर्का को मुहीत (घेरे हुए) नहीं है तो जाइज है लेकिन अगर तर्का में दैन नहीं है और वारिसों में छोटे बच्चे भी हैं और काजी ने कुल तर्का फरोख्त करदिया तो यह बैअ् नाफिज हो जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.70:– मय्यित ने बाप छोड़ा और वसी भी छोड़ा तो वसी ज्यादा मुस्तहक है बाप से अगर उसने वसी नहीं बनाया था तो बाप मुस्तहक है और बाप भी नहीं तो दादा फिर दादा का वसी काजी की तरफ से मुकर्रर किया हुआ वसी। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.71:– बच्चा माँ का वारिस हुआ और उसका बाप निहायत फुजूल खर्च है और वह मन्नूउत्तसर्रुफ होने के लाइक है तो इस सूरत में उस बाप को उसके माल में विलायत नहीं (आलमगीरीजि.6 स.146) यानी वह बच्चे के माल में तसर्रुफ का मालिक नहीं होगा।

मसअ्ला.72:– काजी ने यतीम बच्चे के लिये वसी मुकर्रर किया तो काजी का यह वसी उसके बाप के वसी की जगह होगा अगर काजी ने उसे तमाम मुआमलात में वसी–ए–आम बनाया है और अगर काजी ने उसे किसी खास मुआमला में वसी बनाया तो उस मुआमले के साथ खास रहेगा दूसरे मुआमलात में उसे कुछ इख्तियार नहीं ब खिलाफ उस वसी के जिस को बाप ने मुकर्रर किया कि उसे किसी मुआमला के साथ खास नहीं किया जा सकता यानी अगर उसने किसी को एक मुआमला में वसी बनाया तो वह हर मुआमला में वसी रहेगा। (फतावा काजीखाँ अज आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.73:– वसी ने मय्यित के तर्का से कोई चीज उधार फरोख्त की अगर उसमें यतीम के नुकसान का अन्देशा हो मसलन यह कि खरीदार कीमत देने से इन्कार करदे या मीआदे मुकर्ररा पर उस से कीमत वसूल न होने का अन्देशा हो तो इस सूरत में यह बैअ् जाइज नहीं और अगर

अन्देशा न हो तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.74:– यतीम का एक घर है एक शख़्स ने उसे आठ रुपये माहाना पर किराये पर लेना चाहा और दूसरा उसे दस रुपये माहाना किराये पर लेना चाहता है लेकिन आठ रुपये माहाना देने वाला मालदार व क़ादिर हो (यानी किराया देता रहेगा) तो घर इसको दिया जायेगा दस रुपये माहाना वाले को नहीं जब कि इस से किराया न देने का अन्देशा हो। (आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.75:– वसी ने यतीम के माल में से कोई चीज़ सहीह क़ीमत पर फ़रोख़्त की दूसरा उस से ज़्यादा देकर लेना चाहता है तो क़ाज़ी यह मुआमला ईमानदार माहिरीने क़ीमत के सिपुर्द करदेगा अगर उनमें से दो साहिबे अमानत लोगों ने कह दिया कि वसी ने उसे सहीह क़ीमत पर फ़रोख़्त किया है और इस की क़ीमत यही है तो क़ाज़ी ज़्यादा क़ीमत देने वाले की तरफ़ तवज्जोह न करेगा यही हुक्म माले वक़्फ़ को इजारा पर देने का है। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.146)

मसअ्ला.76:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उसने सुलुस् माल की वसियत की और मुख़्तलिफ़ क़िस्म की जायदादे ग़ैर मन्कूला छोड़ीं अब वसी उनमें से किसी एक जायदाद को मय्यित की वसियत पूरी करने के लिये फ़रोख़्त करना चाहता है तो वुरसा को यह हक़ है कि वह सिर्फ़ इस सूरत में अपनी रज़ामन्दी दें जब मय्यित की हर क़िस्म की जायदाद ग़ैर मन्कूला से एक सुलुस् फ़रोख़्त किया जाये अगर उसकी हर जायदाद में से उस का सुलुस् फ़रोख़्त करना मुम्किन हो(आलमगीरी)

मसअ्ला.77:– एक औरत का इन्तिक़ाल हुआ उसने वसियत की कि मेरा माल व मताअ् फ़रोख़्त किया जाये और उसकी क़ीमत का सुलुस् (तिहाई हिस्सा) फ़ुक़रा पर ख़र्च किया जाये उसके बालिग़ वुरसा भी हैं अब वसी ने चाहा कि उसका तमाम साज़ व सामान फ़रोख़्त करदे वुरसा ने इनकार किया और बक़द्रे वसियत फ़रोख़्त करने को कहा अगर सुलुस् माल की ख़रीदार में नक़्स व ख़राबी है और इस से वुरसा और अहले वसियत (गूसा लहुम) को नुक़सान पहुँचता है तो वसी को कुल माल फ़रोख़्त कर देने का इख़्तियार है वरना नहीं सिर्फ़ इतना फ़रोख़्त करेगा जिस में वसियत पूरी की जा सके। (ज़ख़ीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.78:– वसी को माले यतीम से तिजारत करना जाइज़ है। (मबसूत अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.79:– वसी के लिये यह जाइज़ नहीं कि वह यतीम या मय्यित के माल से अपनी ज़ात के लिए तिजारत करे अगर उसने तिजारत की और मुनाफ़अ् हुआ तो वह यतीम या मय्यित के अस्ल माल का ज़ामिन होगा और मुनाफ़अ् को सदक़ा करेगा। (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.80:– वसी माले यतीम से यतीम को फ़ायदा पहुँचाने के लिये तिजारत कर सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला.81:– वसी ने मय्यित के तर्का का कुछ हिस्सा तवील मुद्दत के लिये इजारा पर दिया ताकि उससे मय्यित का दैन (उधार) अदा करदे तो यह जाइज़ नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअ्ला.82:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ वह मदयून है(यानी उस पर उधार है)उसने वसी बनाया और वसी ग़ाइब है किसी वारिस् ने उसका तर्का फ़रोख़्त किया और उसका दैन अदा करदिया और उसकी वसियतों को नाफ़िज़ कर दिया तो यह बैअ् फ़ासिद होगी लेकिन अगर क़ाज़ी के हुक्म से बैअ् किया था तो बैअ् जाइज़ है यह इस सूरत में है जब कि पूरा तर्का दैन में मुस्तग़रक़ हो अगर तर्का दैन में मुस्तग़रक़ नहीं है तो वारिस् का तसर्रुफ़ सिर्फ़ उसी के हिस्से में नाफ़िज़ होगा। (आलमगीरी जि.6 स.147) मगर यह कि मबीअ् अगर बैते मोअय्यन (यानी मख़सूस घर) हो तो उस सूरत में वारिस् का तसर्रुफ़ उसी के हिस्से में ही नाफ़िज़ होगा।

मसअ्ला.83:– बालिग़ वारिस् ने मय्यित के तर्का से या उसकी ग़ैर मन्कूला जायदाद से कुछ फ़रोख़्त किया फिर भी मय्यित पर दैन और वसियतें बाक़ी रह गई वसी ने चाहा कि वारिस् की बैअ् को रद्द करदे तो अगर वसी के क़ब्ज़े में उसके एलावा भी मय्यित का कुछ माल है जिसे फ़रोख़्त करके वह मय्यित का क़र्ज़ और वसियतें बेबाक़ कर सकता है तो वह वारिस् की बैअ् को रद्द नहीं करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.147)

मसअला.84:– वसी अगर यतीम का माल किसी को कर्ज़ देना चाहे तो उसको यह इख्तियार नहीं
है। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.147) अगर कर्ज़ देगा तो ज़ामिन होगा।
मसअला.85:– मय्यित के वसी या बाप ने यतीम का माल अपने दैन (उधार) में रहन कर दिया तो
यह इस्तिहसानन (एहसान के तौर पर) जाइज़ है अगर वसी ने यतीम के माल से अपना कर्ज़ अदा
किया तो जाइज़ नहीं अगर बाप ने ऐसा किया तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.147)
मसअला.86:– वसी ने बच्चे को किसी अमले ख़ैर के लिये उजरत पर रखा तो यह जाइज़ है(आलमगीरी)
मसअला.87:– वसी ने यतीम के लिये कोई अजीर उससे ज़्यादा उजरत पर लिया जो उसकी है
तो यह इजारा जाइज़ है लेकिन उसे इतनी ही उजरत दी जायेगी जो उसकी होती है और जो
ज़्यादा है वह उस यतीम बच्चे को वापस करदी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.148)
मसअला.88:– वसी ने ना'बालिग़ बच्चे का मकान उससे कम किराये पर दिया जितना किराया उस
का लेना चाहिए था तो मुस्ताजिर को यानी मकान किराये पर लेने वाले को उस का पूरा किराया
देना लाज़िम है (यानी इतना किराया जितने किराये का उस जैसा मकान मिलता है) लेकिन अगर कम किराया लेने
में यतीम का फ़ायदा है तो कम किराये पर मकान देना वाजिब है।(आलमगीरी जि.6 स.148)
मसअला.89:– वसी अपनी ज़ात को ना'बालिग़ यतीम का आजिर (उजरत पर काम लेने वाला) नहीं बना
सकता लेकिन बाप यानी यतीम का दादा अजीर (उजरत पर काम करने वाला) बन सकता है और इस
यतीम को अपना अजीर बना सकता है। (कुदूरी अज़ आलमगीरी जि.6 स.147)
मसअला.90:– वसी के लिये यह जाइज़ नहीं कि वह यतीम के माल को बिलमुआवज़ा या बिला
मुआवज़ा हिबा करे बाप के लिये भी यही हुक्म है। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.148)
मसअला.91:– वसी ने ना'बलिग़ यतीम का माल ख़ुद अपने हाथ फ़रोख़्त किया या अपना माल
यतीम ना'बालिग़ के हाथ फ़रोख़्त किया तो अगर उन सौदों (ख़रीद व फ़रोख़्त) में यतीम के लिये खुला
हुआ नफ़अ़ है तो जाइज़ है अगर मन्फ़अ़ते ज़ाहिरा (खुला हुआ नफ़अ) नहीं है तो जाइज़ नहीं मन्फ़अ़ते
ज़ाहिरा की तशरीह़ बाज़ मशाइख़ उलमा ने यह की है कि यतीम का सौ का माल सवा सौ में
फ़रोख़्त करे या अपना सौ का माल पिछहत्तर रुपये में यतीम को देदे। (आलमगीरी जि.6 स.148)
मसअला.92:– दो यतीमों के एक वसी ने एक यतीम का माल दूसरे यतीम को फ़रोख़्त किया तो
जाइज़ नहीं। (ज़ख़ीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.48)
मसअला.93:– मय्यित के बाप ने या उसके वसी ने ना'बालिग़ को तिजारत की इजाज़त देदी तो
सहीह है और उस ना'बालिग़ के ख़रीद व फ़रोख़्त करते वक़्त उनका सुकूत भी इजाज़त है, और
अगर ना'बालिग़ के बालिग़ होने से पहले मय्यित के बाप का या वसी का इन्तिक़ाल होगया तो
उनकी इजाज़त बातिल होजायेगी। अगर ना'बालिग़ बालिग़ होगया और बाप या वसी ज़िन्दा है तो
इजाज़त बातिल नहीं होगी। (आलमगीरी जि.6 स.148)
मसअला.94:– ना'बालिग़ का माल फ़रोख़्त करने के लिये बाप ने या वसी ने वकील बनाया फिर
बाप का इन्तिक़ाल होगया या ना'बालिग़, बालिग़ होगया तो वकील मअ़ज़ूल होजायेगा(आलमगीरी जि.6 स.149)
मसअला.95:– क़ाज़ी ने ना'बालिग़ को या कम'समझ को तिजारत की इजाज़त देदी तो सहीह है(आलमगीरी)
मसअला.96:– क़ाज़ी ने ना'बालिग़ को तिजारत की इजाज़त देदी और बाप या वसी ने मना किया
तो उनका मना करना बातिल है और ऐसे ही अगर इजाज़त देने वाले क़ाज़ी का इन्तिक़ाल होगया
तो यह इजाज़त उस वक़्त तक मम्नूअ़ न होगी जब तक दूसरा क़ाज़ी मम्नूअ़ न क़रार दे। (आलमगीरी)
मसअला.97:– वसी के लिये यह जाइज़ है कि वह यतीम के माल से उसका सदक़ा–ए–फ़ित्र अदा
करदे या उसके माल से उसकी तरफ़ से क़ुर्बानी करे जब कि यतीम मालदार हो (आलमगीरी जि.6 स.149)
मसअला.98:– वसी को इख़्तियार नहीं कि वह मय्यित के क़र्ज़दारों को बरी करदे या उनके ज़िम्मा
क़र्ज़ में से कुछ कम करदे या क़र्ज़ की अदायगी के लिये मीआद मुक़र्रर करे जब कि वह दैन
मय्यित के ख़ुद अपने किये हुए मुआमला का हो और अगर मुआमला वसी ने किया था उसका दैन

है तो वसी को मदयून (मकरूज) को बरी करने या दैन को कम करने या उसकी मुद्दत मुकर्रर करने का इख्तियार है लेकिन उसके नुकसान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी जि.6 स.149)

मसअ्ला.99:– वसी ने मय्यित के किसी कर्ज़दार से मय्यित के दैन में मुसालहत करली अगर मय्यित की तरफ से इस दैन का सुबूत है या कर्ज़दार खुद इकरारी है या काज़ी को उसके हक का इल्म है तो इन तमाम सूरतों में वसी की यह मुसालहत जाइज़ नहीं, अगर इस हके (दैन) पर दलील व बय्यिना काइम नहीं है तो वसी का मुसालहत कर लेना जाइज़ है लेकिन अगर वसी ने उस दैन में सुलह की जो मय्यित पर वाजिब था या यतीम पर था तो अगर मुद्दई के पास दलील व बय्यिना है या काज़ी ने मुद्दआी के हक में फैसला करदिया तो वसी का सुलह कर लेना जाइज़ है और अगर मुद्दआी के लिये उसके हक में दलील नहीं है और न काज़ी ने मुद्दआी के हक में फैसला दिया तो सुलह करना जाइज़ नहीं।(आलमगीरी जि.6 स.149)

मसअ्ला.100:– वसी यतीम का माल लेकर किसी ज़ालिम व जाबिर के पास से गुज़रा और उसे अन्देशा है कि अगर उसने उस के साथ हुस्ने सुलूक न किया यानी उसे कुछ न दिया तो यह सब माल उसके कब्ज़े से निकल जायेगा उसने यतीम के माल से उसको कुछ देदिया तो इस्तिहसानन जाइज़ है यही हुक्म मुज़ारिब के लिये है माले मुज़ारबत में। (आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअ्ला.101:– वसी ने काज़ी की अदालत में मुकद्दमात पर खर्च किया और बतौर इजारा कुछ दिया तो वसी उसका ज़ामिन नहीं लेकिन बतौर रिश्वत कुछ खर्च किया है तो उसका ज़ामिन है, फुकहा फरमाते हैं अपनी जान और माल से रफ़अे ज़ुल्म (अपने को ज़ुल्म से बचाने) के लिये माल खर्च करना उसके हक में रिश्वत देने में दाखिल नहीं, लेकिन अगर दूसरे पर कोई हक है उस हक को निकलवाने में माल खर्च करना रिश्वत है। (आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअ्ला.102:– एक शख्स का इन्तिकाल हुआ और उसने अपनी औरत को वसी बनाया और ना बालिग बच्चे और तर्का छोड़ा फिर उसके घर ज़ालिम हुक्मराँ आया उस वसी औरत से कहा गया कि अगर तू इसको कुछ नहीं देगी तो यह घर और जायदाद गैर मन्कूला पर कब्ज़ा और गल्बा करेगा इस वसी औरत ने जायदाद गैर मन्कूला से उसे कुछ देदिया तो यह मुआमला सहीह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.103:– वसी ने यतीम का माल यतीम की तअ्लीमे कुर्आन और अदब में खर्च किया गया अगर बच्चा उसकी (यानी तअ्लीमे अदब की) सलाहियत रखता था तो जाइज़ है बल्कि वसी सवाब पायेगा और अगर बच्चे में इल्म हासिल करने की सलाहियत नहीं बकद्र ज़रुरत नमाज़ कुर्आन की तअ्लीम दिलाये। (आलमगीरी जि.6 स.150 व दुर्रेमुख्तार जि.5 स.504 अला हामिश रद्दुलमुहतार)

मसअ्ला.104:– वसी को चाहिए कि वह बच्चे के नफ़का में वुस्अत करे न फुज़ूल खर्ची करे न तंगी यह वुस्अत बच्चे के माल और हाल के लिहाज़ से होगी वसी को बच्चे के माल और हाल को देख कर उसके लाइक खर्चा करेगा। (आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअ्ला.105:– वसी अगर यतीम के कामों के लिये जायेगा और यतीम के माल से सवारी किराये पर लेगा और अपने ऊपर खर्च करेगा तो इस्तिहसानन यह उसके लिये जाइज़ है बशर्ते कि वह खर्चा ज़रूरी व नागुज़ीर हो। (आलमगीरी जि.6 स.150 दुर्रेमुख्तार अला रद्दिलमुहतार जि.5 स.504)

मसअ्ला.106:– वसी ने मय्यित के तर्का से अगर कोई चीज़ अपने लिये खरीदी और मय्यित को छोटा बड़ा कोई वारिस् नहीं है तो जाइज़ है। (फतावा काज़ीखाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.150)

मसअ्ला.107:– एक शख्स का इन्तिकाल हुआ और उसके पास मुख्तलिफ लोगों की वदीअतें (अमानतें) थीं उसने तर्का में माल छोड़ा लेकिन उस पर दैन है जो उसके पूरे माल को मुहीत है और वसी ने मय्यित के घर से तमाम वदीअतों पर कब्ज़ा कर लिया ताकि वह वदीअत रखने वालों को वापस करदे या उसने मय्यित के तमाम माल पर कब्ज़ा कर लिया ताकि उससे मय्यित का दैन अदा करदे फिर वह माल या वदीअतें वसी के कब्ज़े में हलाक होगईं तो वसी पर कोई ज़मान नहीं इसी तरह अगर मय्यित पर दैन न था और वसी ने मय्यित के तमाम माल को कब्ज़े में लिया फिर वह माल हलाक होगया तो भी वसी पर कोई ज़मान नहीं। (ज़खीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.108:– एक शख्स ने अपना माल किसी के पास अमानत रखा और कहा कि अगर मैं मरजाऊँ तो यह माल मेरे बेटे को देदेना और उसने वह माल बेटे को देदिया और उसके दूसरे

वारिस् भी हैं तो वसी वारिस् के हिस्से का ज़ामिन होगा और उन अलफ़ाज़ से वह वसी नहीं बन जायेगा। (ज़खीरा अज़ आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.109:– मरीज़ के पास उसके अज़ीज़ व अक़ारिब हैं जो उसके माल से खा पी रहे हैं अगर मरीज़ उनकी आमद व रफ़्त का अपने मर्ज़ में मोहताज है और वह उसके और उसके एयाल के साथ बिग़ैर इस्राफ़ के खाते पीते हैं तो इस्तिहसानन उनपर कोई ज़मान नहीं अगर मरीज़ उन का मोहताज नहीं है तो अगर वह मरीज़ के हुक्म से खाते पीते हैं तो जो उनमें से वारिस् हैं उनपर उनके खाने पीने के ख़र्चा का ज़मान है और जो वारिस् नहीं उनका ख़र्चा मय्यित के सुलुस् माल में महसूब होगा (तिहाई माल में शुमार होगा) अगर मरीज़ ने उसका हुक्म दिया था। (आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.110:– वसी ने दअ्वा किया कि मय्यित के ज़िम्मे मेरा दैन है तो क़ाज़ी उसके दैन की अदायेगी के लिये वसी मुक़र्रर करेगा जो सुबूत क़ाइम होने के बाद उसका दैन अदा करदेगा और क़ाज़ी मय्यित के वसी को वसी होने से ख़ारिज नहीं करेगा इसी पर फ़तवा है। (आलमगीरी जि.6 स.151)

मसअ्ला.111:– मय्यित ने अपनी बीवी को वसी बनाया और माल छोड़ा और बीवी का मय्यित पर महर है तो अगर मय्यित ने उसके महर के बराबर सोना चाँदी छोड़ा है तो बीवी के लिये जाइज़ है कि वह उस सोने चाँदी से अपना महर लेले, और अगर मय्यित ने सोना चाँदी नहीं छोड़ा है तो बीवी के लिये जाइज़ है कि वह उस चीज़ को फ़रोख़्त करदे जो फ़रोख़्त करने के लिये ज़्यादा मुनासिब है और उसकी क़ीमत से अपना महर लेले। (आलमगीरी जि.6 स.153)

मसअ्ला.112:– मय्यित पर दैन है और जिसका दैन है वह उसका वारिस् या वसी है तो उसको यह हक़ है कि वारिसों के इल्म में लाये बिग़ैर अपना हक़ लेले। (आलमगीरी जि.6 स.153)

मसअ्ला.113:– एक शख़्स का इन्तिक़ाल हुआ उस ने ना'बालिग़ बच्चे छोड़े और किसी को वसी नहीं बनाया फिर क़ाज़ी ने किसी शख़्स को वसी मुक़र्रर किया फिर एक आदमी ने मय्यित पर अपने दैन का या वदीअत का दावा किया और बीवी ने अपने महर का दावा किया इस सूरत में दैन या वदीअत की अदायगी तो सुबूत होजाने के बाद की जायेगी, लेकिन निकाह अगर मारूफ़ है तो महर के बारे में औरत का क़ौल मोअ्तबर है अगर वह महरे मिस्ल के अन्दर है, वह महर औरत को दिया जायेगा। (फ़तावा क़ाज़ी ख़ाँ जि.6 स.154)

मसअ्ला.114:– वसी ने मय्यित की वसियत अपने माल से अदा करदी अगर यह वसी वारिस् है तो मय्यित के तर्के से लेलेगा वरना नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.155) और फ़तवा यह है कि वसी हर हाल में मय्यित के तर्के से अपना माल लेलेगा।

मसअ्ला115:– वसी ने इक़रार किया कि मैंने मय्यित का दैन जो लोगों पर था क़ब्ज़ा करलिया फिर एक मक़रूज़ आया और वसी से कहा कि मैंने तुझे मय्यित के दैन का इतना, इतना रूपया दिया, या वसी ने इनकार किया और कहा कि मैंने तुझसे कुछ भी नहीं लिया और न मुझे इल्म है कि तुझ पर मय्यित का क़र्ज़ा था तो इस सूरत में वसी का क़ौल क़सम लेकर तस्लीम करलिया जाये। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.154)

मसअ्ला.116:– वसी ने ना'बालिग़ बच्चों के लिये कपड़ा ख़रीदा या जो कुछ उनका ख़र्च है वह ख़रीदता रहता है अपने माल से तो वह यह मय्यित के माल और तर्के से लेलेगा यह वसी की तरफ़ से ततव्वोअ़न या एहसान के तौर पर नहीं है । (आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअ्ला.117:– कोई मुसाफ़िर किसी आदमी के घर आया और उसका इन्तिक़ाल होगया उसने किसी को वसी भी नहीं बनाया और जो कुछ रूपये छोड़े तो मुआमला हाकिम के सामने पेश होगा और उसको हाकिम के हुक्म से दरम्यानी दर्जे का कफ़न दिया जायेगा और अगर हाकिम न मिले तो भी दरम्यानी दर्जे का कफ़न दिया जायेगा और अगर उस मय्यित पर दैन है तो यह शख़्स उसके माल को दैन की अदायगी के लिये फ़रोख़्त न करेगा (फ़तावा क़ाज़ीख़ाँ अज़ आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअ्ला.118:– औरत ने अपने सुलुस् माल की वसियत की और किसी को अपना वसी बनादिया, उस वसी ने उसकी कुछ वसियतों को नाफ़िज़ कर दिया और कुछ वुरसा के क़ब्ज़े में बाक़ी रहगई अगर वुरसा दयानतदार हैं और वसी को उनकी दयानत का इल्म है कि मय्यित के सुलुस् माल से

उन बाकी रही वसियतों को पूरा कर देंगे तो उसको उनके लिये छोड़ देना जाइज़ है और उसका इल्म उसके खिलाफ़ है,तो वसी उनके लिये न छोड़ेगा बशर्तेकि वह वुरसा से माल बरआमद कर सकता हो। (आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअला.119:– वसी ने यतीम से कहा कि मैंने तेरा माल तेरे नफ़का में खर्च कर दिया फुलाँ फुलाँ चीज में, फुलाँ फुलाँ सामान में, अगर इतनी मुद्दत में इतना माल नफ़का में खर्च होजाता है तो वसी की तस्दीक करदी जायेगी ज़्यादा में नहीं नफ़का–ए–मिस्ल का मतलब यह है कि बैन बैन हो न इस्राफ़ (फुजूल खर्ची) न तंगी। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.155)

मसअला.120:– वसी ने दअ्वा किया कि उसने यतीम को हर माह सौ रुपये दिये और यह मुकर्ररा था और यतीम ने उसको जाइअ् करदिया फिर मैंने उसे उसी माह दूसरे सौ रुपये दिये, इस सूरत में वसी की तस्दीक की जायेगी जब तक वसी सरासर और खुली हुई गलत बात न कहे मसलन यह कहे कि मैंने इस यतीम को एक माह में बहुत बार सौ सौ रुपये दिये और उसने जाइअ् कर दिये तो ऐसी बात वसी की नहीं मानी जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.156)

मसअला.121:– वसी ने यतीम से यह कहा कि तूने अपने छुटपन में उस शख़्स का इतना इतना माल हलाक करदिया फिर मैंने अपनी तरफ़ से अदा करदिया यतीम ने उसकी तकज़ीब की और नहीं माना तो यतीम की बात कबूल करली जायेगी और वसी इतने माल का ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअला.122:– मय्यित के वसी ने इकरार किया कि मय्यित का फुलाँ शख़्स पर जितना वाजिब था वह तमाम मैंने पूरा वसूल पाया और वह सौ रुपये थे, जिस पर दैन था उसने कहा मुझपर उसका एक हज़ार रुपये दैन था और वह तूने ले लिया तो कर्ज़दार अपने तमाम दैन से बरी है अब वसी उससे कुछ भी नहीं ले सकता और वसी वुरसा के लिये इतने ही का जिम्मेदार होगा जितने के वसूल करने का उसने इकरार किया है। (आलमगीरी जि.6 स.157)

मसअला.123:– कर्ज़दार ने अव्वलन एक हज़ार रुपये कर्ज़ होने का इकरार किया फिर वसी ने इकरार किया कि जो कुछ उस पर कर्ज़ था वह मैंने पूरा वसूल पा लिया और वह एक सौ रुपये थे इस सूरत में कर्ज़दार बरी होगया और वसी वुरसा के बाकी नौ सो रुपये का ज़ामिन होगा(आलमगीरी)

मसअला.124:– वसी ने इकरार किया कि उसने फुलाँ शख़्स से सौ रुपये पूरे वसूल कर लिये और यह कुल कीमत है, मुश्तरी यानी खरीदार ने कहा कि नहीं बल्कि कीमत डेढ़ सौ रुपये है तो वसी को हक है कि वह बकिया पचास रुपये इस से और तलब करे। (आलमगीरी जि.6 स.157)

मसअला.125:– वसी ने इकरार किया कि उसने मय्यित के घर में जो कुछ माल व मताअ् (सामान) और मीरास थी उसपर कब्ज़ा कर लिया फिर कहा कि वह कुल सौ रुपये और पाँच कपड़े थे और वारिसों ने दअ्वा किया कि उससे ज़्यादा था और सुबूत देदिया कि जिस दिन मय्यित का इन्तिकाल हुआ उसकी मीरास उस दिन उस घर में एक हज़ार रुपये और सौ कपड़े थी तो वसी को इतना ही देना लाज़िम है जितने का उसने इकरार किया है। (मुहीत अज आलमगीरी जि.6 स.158)

मसअला.126:– वसी ने मय्यित पर दैन का इकरार किया तो इस का इकरार सहीह नहीं (आलमगीरी)

वसियत पर शहादत का बयान

मसअला.1:– दो वसियों ने गवाही दी कि मय्यित ने उनके साथ फुलाँ को वसी बनाया है और खुद भी वसी होने का दअ्वेदार है तो यह शहादत कबूल करली जायेगी और अगर वह फुलाँ दअ्वेदार नहीं है तो उन की शहादत कबूल नहीं की जायेगी। (मुहीतुस्सर्खसी आलमगीरी जि.6 स.158)

मसअला.2:– मय्यित के दो बेटों ने गवाही दी कि उनके बाप ने फुलाँ को वसी बनाया और वह फुलाँ भी उसका मुद्दई है तो यह शहादत इस्तिहसानन कबूल करली जायेगी लेकिन अगर वह फुलाँ मुद्दई नहीं है बल्कि इन्कारी है और बाकी वुरसा इस के वसी होने का दअ्वा नहीं कर रहे हैं तो उन (बेटों) की शहादत मकबूल नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.158)

मसअला.3:– दो आदमियों ने जिनका मय्यित पर कर्ज़ा है गवाही दी कि मय्यित ने फुलाँ को वसी बनाया है और उसने वसी होना कबूल कर लिया है और फुलाँ भी इसका मुद्दई है तो यह शहादत

इस्तिहसानन मक़बूल है लेकिन अगर वह मुद्दई नहीं है तो यह शहादत क़बूल न होगी(आलमगीरी)
मसअला.4:– ऐसे दो आदमियों ने जिनका मय्यित पर क़र्ज़ा है गवाही दी की मय्यित ने फुलाँ को वसी बनाया है और फुलाँ भी मुद्दई है तो इस्तिहसानन उनकी गवाही मक़बूल है और अगर वह फुलाँ मुद्दई नहीं तो मक़बूल नहीं। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअला.5:– वसी के दो बेटों ने गवाही दी कि फुलाँ ने हमारे बाप को वसी बनाया है और वसी भी दअ्वेदार है लेकिन वुरसा उस के मुद्दई नहीं हैं तो यह शहादत ना'मक़बूल है क़ाज़ी के लिये जाइज़ नहीं कि वह उसको वसी मक़र्रर करे। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअला.6:– दो वसियों में से एक वसी के दो बेटों ने गवाही दी कि मय्यित ने हमारे बाप को वसी बनाया और साथ ही फुलाँ को भी वसी बनाया तो अगर बाप इसका मुद्दई है तो उनकी शहादत न बाप के हक़ में क़ाबिले क़बूल है न अजनबी के हक़ में क़ाबिले क़बूल हाँ अगर बाप वसी होने का मुद्दई नहीं बल्कि दअ्वा वुरसा की तरफ़ से है इस सूरत में उनकी शहादत क़बूल करली जायेगी।
मसअला.7:– दो गवाहों ने गवाही दी कि मय्यित ने इस शख़्स को वसी बनाया और इस से रुजूअ् करके उस दूसरे को वसी बनाया तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअला.8:– दो गवाहों ने गवाही दी कि मय्यित ने उस शख़्स को वसी बनाया फिर वसी के दो बेटों ने गवाही दी कि मूसी ने उनके बाप को मअ्ज़ूल कर दिया और फुलाँ को वसी बना दिया तो उन दोनों बेटों की गवाही मक़बूल है। (आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअला.9:– दो गवाहों में एक गवाह ने गवाही दी कि मय्यित ने जुमेरात के दिन वसियत की और दूसरे गवाह ने गवाही दी कि उसने जुमा के दिन वसियत की तो यह शहादत मक़बूल है (आलमगीरी)
मसअला.10:– दो वसियों ने ना'बालिग़ वारिस् के हक़ में शहादत दी कि मय्यित ने उनके लिये अपने कुछ माल की वसियत की है या किसी दूसरे के कुछ माल की वसियत की है तो उनकी शहादत क़बूल नहीं की जायेगी यह शहादत बातिल है अगर उन्होंने यह शहादत बालिग़ वारिस् के हक़ में दी तो इमामे आज़म अलैहिर्रहमा के नज़्दीक मय्यित के माल में ना'मक़बूल है और ग़ैर के माल में मक़बूल करली जायेगी और साहिबैन के नज़्दीक दोनों क़िस्म के माल में शहादत जाइज़ है(हिदाया)
मसअला.11:– मूसा'लहू मअ्लूम है लेकिन मूसा'बिही मअ्लूम नहीं गवाहों ने मूसा'लहू के लिये इस की वसियत की गवाही दी तो यह गवाही मक़बूल है और मूसा'बिही की तफ़सील वुरसा से मअ्लूम की जायेगी। (मुहीत अज़ आलमगीरी जि.6 स.159)
मसअला.12:– दो शख़्सों ने दूसरे दो आदमियों के हक़ में गवाही दी कि उनका मय्यित पर एक हज़ार रुपये दैन है और उन दोनों ने पहले दो शख़्स के हक़ में गवाही दी कि उनका मय्यित पर एक हज़ार रुपये दैन है तो उन दोनों फ़रीक़ों की शहादत एक दूसरे के हक़ में क़बूल करली जायेगी लेकिन अगर उन दोनों फ़रीक़ों ने एक दूसरे के लिये एक एक हज़ार की वसियत की गवाही दी तो इस सूरत में उनकी गवाही क़बूल नहीं की जायेगी। (आलमगीरी जि.6 किताबुल'वसाया स.159)

ज़िम्मी की वसियत का बयान

मसअला.1:– यहूदी या नसरानी सौमआ(यहूदियों की इबादतगाह)या कनीसा(नसरानियों की इबादतगाह)ब'हालते सेहत बनाया फिर उसका इन्तिक़ाल होगया तो वह मीरास् है वुरसा में तक़सीम होगा(आलमगीरी जि.6 स.132)
मसअला.2:– यहूदी या ईसाई ने ब'वक़्ते मौत अपने घर को गिर्जा बनाने की मुतअय्यन व मअ्दूद लोगों के लिये वसियत करदी तो इसकी यह वसियत उसके सुलुस् हिस्से में जारी होगी(आलमगीरी)
मसअला.3:– अगर उसने अपने घर को ग़ैर महसूर व ग़ैर मअ्दूद लोगों के लिये कनीसा बनाने की वसियत की तो यह वसियत जाइज़ है। (जामेउस्सग़ीर अज़ हिदाया जि.4 स.132)
मसअला.4:– ज़िम्मी की वसियत की चार क़िस्में हैं एक यह कि ऐसी शय की वसियत करे जो उसके एअ्तिक़ाद में क़ुर्बत व इबादत हो और मुसलमानों के नज़्दीक क़ुर्बत व इबादत न हो जैसे कि (1)ज़िम्मी वसियत करे कि उसके ख़िन्ज़ीर काटे जायें और मुश्रिकों को खिलाये जायें तो अगर वसियत मुतअय्यन व मअ्दूद लोगों के लिये है तो जाइज़ है वरना नहीं **(2)**दूसरे यह कि ज़िम्मी ऐसी चीज़ की वसियत करे जो मुसलमानों के नज़्दीक क़ुर्बत व इबादत हो और ख़ुद ज़िम्मियों के नज़्दीक

इबादत न हो जैसे वह हज करने की वसियत करे या मस्जिद तअमीर कराने की वसियत करे या मस्जिद में चिराग़ रौशन करने की वसियत करे तो इसकी यह वसियत बिल'इज्माअ बातिल लेकिन अगर मख़्सूस व मुतअय्यन लोगों के लिये हो तो जाइज़ है **(3)**तीसरे यह कि ज़िम्मी ऐसी चीज़ की वसियत करे जो मुसलमान के नज़्दीक भी इबादत व क़ुर्बत हो और उनके नज़्दीक भी जैसे बैतुल मक़दस में चिराग़ रौशन करने की वसियत करे तो यह वसियत जाइज़ है **(4)**चौथे यह कि वह ऐसी चीज़ की वसियत करे जो न मुसलमान के नज़्दीक क़ुर्बत व इबादत हो और न ज़िम्मियों के नज़्दीक जैसे गाने बजाने वाली औरतों या नोहा अगर्चे औरतों के लिये वसियत करे तो यह वसियत जाइज़ नहीं। (हिदाया जि.4 व आलमगीरी जि.6 किताबुल'वसाया स.131)

मसअला.5:– फ़ासिक़, फ़ाजिर, बिदअती जिसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर हद्दे कुफ्र तक न पहुँचा हो वसियत के मुआमले में ब'मन्ज़िला मुसलमान के है और अगर उसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर कुफ्र की हद्द तक है तो वह ब'मन्ज़िला मुर्तद के है जो हुक्म मुर्तद की वसियत का है वही इसकी वसियत का है कि इसकी वसियत मौक़ूफ़ रहेगी अगर उसने अपने कुफ्र व इर्तिदाद से तौबा करली तो वसियत नाफ़िज़ होगी वरना नहीं। (हिदाया जि.4 व आलमगीरी जि.131)

मसअला.6:– हर्बी काफ़िर अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ और उसने अपने कुल माल की वसियत किसी मुसलमान या ज़िम्मी के लिये की तो इसकी वसियत कुल माल में जाइज़ है(आलमगीरी)

मसअला.7:– हर्बी काफ़िर अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ और उसने अपने माल के एक हिस्से की वसियत की, वसियत किसी मुसलमान या ज़िम्मी के लिये की तो यह वसियत जाइज़ है इसका बक़िया माल इसके वुरसा को वापस दिया जायेगा।(हिदाया, आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअला.8:– हर्बी मुस्तामिन के लिये किसी मुसलमान या ज़िम्मी ने वसियत की तो यह जाइज़ है (हिदाया) मुस्तामिन उस शख़्स को कहते हैं जो अमान लेकर दारुल'इस्लाम में दाख़िल हुआ।

मसअला.9:– ज़िम्मी ने अपने सुलुस माल से ज़्यादा में वसियत की या अपने बाज़ वारिसों के लिये वसियत की तो जाइज़ नहीं। (हिदाया) और अगर अपने ग़ैर मज़हब वाले के लिये वसियत की तो जाइज़ है। (आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअला.10:– मुसलमान या ज़िम्मी ने दारुल'इस्लाम में ऐसे काफ़िर हर्बी के लिये वसियत की जो दारुल'इस्लाम में नहीं है तो यह वसियत जाइज़ है। (हिदाया जि.4 व मुस्तसफ़ा अज़ आलमगीरी जि.6 स.132)

मसअला.11:– अगर मुसलमान मुर्तद होगया(मआज़ल्लाह)फिर वसियत की, इमामे आज़म अलैहिर्रहमा के नज़्दीक यह मौक़ूफ़ रहेगी अगर इस्लाम ले आया और वसियत इस्लाम में सहीह है तो जाइज़ है और जो इस्लाम के नज़्दीक सहीह नहीं वह बातिल होजायेगी। (आलमगीरी जि.6 स.132)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ कि बहारे शरीअत के उन्नीसवें हिस्से की तालीफ़ मुअर्रख़ा 29 1400हिजरी मुताबिक़ 10सितम्बर 1980 ई. यौम चहार शम्बा इख़्तिताम को पहुँची मौला तआला क़बूल फ़रमाये और इस में अपनी कम इल्मी की वजह से अगर कुछ ख़ामियाँ हों तो मुझे मुआफ़ फ़रमाये और इस किताब को मेरे लिए ज़ख़ीरा–ए–आख़िरत बनाये। आमीन!

अलफ़क़ीर इलल्लाह

ज़हीर अहमद बिन सय्यिद दाइम अली ज़ैदी ग़ुफ़ि'र लहू।

वाइस प्रिंसिपल मुस्लिम युनिवर्सिटी, सिटी हाई स्कूल अलीगढ़

हिन्दी तर्जमा

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नियर दो मीनार मस्जिद, मोहल्ला एजाज़ नगर

पुराना शहर बरेली यू0पी

मो0:–09219132423